खण्ड ५—अंक ६
२४ जुलाई, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खंड ५ में अंक १ से अंक २० तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

174 L. S. D. 56

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

लोक-सभा

मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय वैदेशिक सेवा

†*१९७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैदेशिक सेवा, शाखा (ख) के गठन की योजना तैयार कर ली गई है और उसे चालू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने कर्मचारी लिये जायंगे ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) भारतीय वैदेशिक सेवा शाखा (ख) के प्रारम्भिक गठन के हेतु योजना को लगभग अन्तिम रूप दे दिया गया है; उसमें केवल पदाली की कर्मचारी संख्या से सम्बन्धित कुछ सामान्य बातें ही तय करने के लिये रह गई हैं। यह सेवा औपचारिक रूप में १ अगस्त, १९५६ से चालू हो जायगी। योजना के अन्तर्गत गठित किये गये चुनाव बोर्डों द्वारा कर्मचारियों के चुनाव में कुछ और भी समय लग जायगा।

(ख) उपर्युक्त बातों के तय हो जाने के बाद पदाली की कर्मचारी संख्या के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जायेगा। उसी समय नियम और पदाली अनुसूची लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या पहले की मूल योजना में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो किस प्रकार के परिवर्तन किये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे पता नहीं कि किस मूल योजना का माननीय सदस्य निर्देश कर रहे हैं। मूल रुप में तो योजना वही है; उसमें कुछ सामान्य परिवर्तन किये गये हैं, जिन्हें मान लिया गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने कुछ बातों में मूल योजना में रूपभेद किया है। वे परिवर्तन किस प्रकार के हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे पता नहीं कि वे क्या हैं, मुझे याद नहीं। हमने उस पर पुनः विचार किया था और उसमें कहीं-कहीं रूपभेद किये थे, लेकिन जहां तक मुझे याद है उसमें कोई भी आधारभूत परिवर्तन नहीं किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में।

1—174 L. S./56

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस सेवा में भर्ती के लिये कौन सी विशेष अर्हतायें आवश्यक होंगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सामान्यतः ये कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उन सदस्यों में से चुने जायेंगे जो वैदेशिक कार्य मंत्रालय में यहां या विदेशों में नियुक्त भारतीय मिशनों और पदों पर सेवायुक्त हैं, या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में --- यदि वे वास्तव में, व्यापार सम्बन्धी विषयों से सम्बन्धित कार्य करते हैं---सेवायुक्त हैं, अथवा विदेश-स्थित भारतीय मिशनों में कार्य करने वाले स्थानीय भारतीय कर्मचारी है और भारत में उन कर्मचारियों में से भी उनका चुनाव किया जायेगा जो विदेश स्थित भारतीय मिशनों की किसी नियमित सरकारी सेवा में नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि इन कर्मचारियों का चुनाव उन व्यक्तियों में से किया जायेगा जो हमारे विदेश-स्थित मिशनों में वहां अस्थायी रूप से, बिना किसी निर्धारित सेवा-अवधि के कार्य कर रहे हैं। उनमें से चुनाव किया जायेगा और जिन्हें भी इसके योग्य समझा जायगा उन्हें इस पदाली (ख) में स्थायी रूप से स्थान दिया जायेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या नेफा (उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण) क्षेत्र में सेवायुक्त कर्मचारियों की एक अलग शाखा बनाई जायेगी या ये वही कर्मचारी होंगे और उनके लिये भी इन्हीं अर्हताओं का रखना आवश्यक होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नेफा क्षेत्र में कार्य करने के लिये हाल ही में जिन्हें भर्ती किया गया है, उन कर्मचारियों की प्रायः एक सेवा ही है, और उनका चुनाव भी उस क्षेत्र के लिये अपेक्षित बहुत ही विशेष अर्हताओं के आधार पर किया गया है। मैं नहीं समझता कि उन्हें भी सामान्यतः विदेशी सेवा का सदस्य माना जाता है।

†**श्री गिडवानी** : उनकी भर्ती की क्या प्रणाली है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये सभी व्यक्ति पहले से ही सेवा में हैं। अब पहले से कार्य कर रहे कर्मचारियों में से, उनकी सेवा के रिकार्ड और उनकी वर्तमान अर्हताओं तथा साथ ही उनकी सेवा सम्बन्धी रिपोर्टों के आधार पर, चुनाव करने के लिये चुनाव बोर्ड नियुक्त किये जा रहे हैं। उन्हें स्थायी रूप से सेवा में ले लिया जायेगा ; अभी इस समय वे अस्थायी हैं।

अम्बर चर्खा

†***१९८. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई अम्बर चर्खा समिति ने क्या सिफारिशें की है; और

(ख) क्या सरकार ने अम्बर चर्खा कार्यक्रम को विस्तृत करने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में ७५,००० अम्बर चर्खे चालू करने का निर्णय किया गया है। इससे आगे कार्यक्रम को विस्तृत करने का निर्णय, १९५६ के अन्त में किये जाने वाले स्थिति के पुनः मूल्यांकन पर ही निर्भर होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सब सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है, यदि नहीं, तो किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है। अभी तक सरकार ने जो निर्णय किया है वह ७५,००० चरखे चालू करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में है। सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : सिफारिश में कहा गया है कि सरकार को एक विशेष विभाग अथवा एक निदेशालय स्थापित करना चाहिये । सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह एक प्रारम्भिक कार्यवाही है, सम्भव है कि यह भी कि जाये । अभी से यह बताना कठिन है कि सरकार द्वारा क्या निर्णय किये जाने की संभावना है ।

†**श्री चं० द० पांडे** : क्या सरकार को इस बात का सन्तोष है कि अम्बर चर्खे के सूत से कपडे का जो उत्पादन होगा उस से देश की कपड़े की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकेगा और अम्बर चर्खे से काते गये सूत से कुल कितने गज कपड़ा तैयार किया जायेगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : यह तो एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है । इस बात का दावा तो नहीं किया गया है कि अम्बर चर्खे के सूत से तैयार किया गया कपड़ा देश की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा, देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कारखानों, चरखा, हाथकरघा और शक्तिचालित करघे इन सभी को काम में लाना होगा ।

प्रश्न के दूसरे भाग से पता नहीं चलता कि वास्तव में क्या जानकारी अपेक्षित है । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को विदित होगा, अम्बर चरखा के सूत से ३००० लाख गज कपड़े के उत्पादन की व्यवस्था की गई है ।

†**श्री सै० वें० रामस्वामी** : इस मामले में सावधानी से कार्य किये जाने के लिये समिति द्वारा क्या कारण बताये हैं ? अम्बर चर्खा सूत की अधिक लागत का क्या कारण है ? ––यह २ रु० १० आने प्रति पौंड है जब कि उसी नम्बर का मिल का सूत १ रु० २ आने प्रति पौंड है, यह मूल्य बहुत अधिक जान पड़त है । क्या यह ठीक है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : माननीय सदस्य ब्योरे के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता, मुझे स्थिति की जांच करनी होगी ।

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय मंत्री ने कहा था १९५७–५८ का कार्यक्रम दिसम्बर, १९५६ में तैयार किया जाने को ह, क्या सरकार ने ७५,००० अम्बर चर्खों के निर्माण की योजना तैयार कर ली है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : योजना को कार्यान्वित करना खादी और हाथकरघा बोर्ड का काम है, आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है और आवश्यक विधि भी उसे दे दी गई है और अब वह इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही कर रहा है ।

†**श्री डाभी** : क्या इसका यह अर्थ है कि अम्बर चर्खे से केवल ३००० लाख गज कपड़ा तैयार किया जायेगा ? इसके द्वारा १५००० लाख गज कपड़ा तैयार करने की मूल योजना का क्या हुआ ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : सरकार का वर्तमान विनिश्चय अम्बर चर्खा सूत के द्वारा ३००० लाख गज कपड़े का उत्पादन सुरक्षित करना है । अभी १५०० लाख गज की व्यवस्था की जानी है । वर्ष की समाप्ति पर स्थिति को जांचने के पश्चात यह कार्य करना पड़ेगा ।

खादी और हाथकरघा वोर्ड द्वारा तैयार किये गये बड़े कार्यक्रम की सभी बातों पर विचार करना और इसी समय उनके सम्बन्ध में निर्णय करना समय से पूर्व ही बात होगी । अतः चालू वर्ष के लिये विनिश्चय किया गया है, और वर्ष की समाप्ति पर समूची स्थिति का परीक्षण किया जायेगा। १९५७–५८ के लिये और बाद के वर्षों के लिये कार्यक्रम का परिणाम निश्चित किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

छोटी कोयला खदानों का एकीकरण

†*१९९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कोयला खदानो के एकीकरण के प्रश्न की जांच करने के लिये श्री बलवन्त राय गोपालजी महता के सभापतित्व मे नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** गत सत्र में साफ बताया गया था कि समिति के प्रतिवेदन के जून म प्राप्त होने की आशा थी । क्या मैं अवधि के अग्रेतर बढ़ाये जाने का कारण जान सकता हूं ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** समिति ने हमें लिखा है कि उसे और अधिक समय की आवश्यकता होगी क्योंकि समस्या के कुछ विशेष पहलुओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गई उप-समितियों ने अभी तक अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये थे, इसलिये सरकार ने अगस्त की समाप्ति तक समय बढ़ा दिया है ।

अस्पृश्यता सम्बन्धी प्रसारण

*२००. **श्री बाल्मीकी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये १९५४–५५ और १९५५–५६ में आकाशवाणी से क्या क्या कार्यक्रम प्रसारित हुये; और

(ख) इन कार्यक्रमों में कितने कलाकारों तथा जनता के नेताओं ने भाग लिया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा०केसकर): सूचना एकत्रित की जा रही है और तैयार होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

श्री बाल्मीकी : क्या मैं जान सकता हूं कि सूचना एकत्र करने में कितना समय लगेगा ?

डा० केसकर : यह कहना मुश्किल है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछे हैं वे इस प्रकार के हैं कि इसमें कुछ समय लगेगा, खास तौर पर इसमें यह पूछा गया है कि कितने कलाकारों तथा जनता के नेताओं ने भाग लिया । नेता कौन हैं और कौन नहीं हैं, इसको भी देखना पड़ता है । ये सब सवाल उसमें आते हैं ।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आकाशवाणी को कोई पत्र भेजा है कि इस विषय सम्बन्धी प्रसारणों को सुविधा दी जाये ?

†**डा० केसकर :** सरकार का एक सामान्य निदेश है कि अस्पृश्यता निवारण का प्रचार सभी संभव माध्यमों से दिया जाये और प्रसारणा की महत्वपूर्ण माध्यम में से एक है । इस दृष्टि से, एक सामूहिक प्रयत्न किया जा रहा है ताकि अस्पृश्यता निवारण के लिये इस माध्यम का भी प्रयोग किया जाये ।

श्री धुलेकर : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि आल इंडिया रेडियो में इस कार्य के लिये कोई आफिसर नियुक्त किया गया है या इस सम्बन्ध में कोई एडवाइजरी कौंसिल (मंत्रणा परिषद्) है, जो कि अनटचेबिलिटी (अस्पृश्यता) को रिमूव (हटाने) करने विषयक ब्राडकास्ट्स (प्रसारण) इत्यादि के बारे में परामर्श दे ?

डा० केसकर : जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विद्युत उत्पादन

†*२०१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में १९५५ मे १९५४ कि तुलना में विद्युत का कितना उत्पादन हुआ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : १९५५ में १०,७७,२० लाख किलोवाट बिजली पैदा की गई और १९५४ में ९,५७७० लाख किलोवाट । इस प्रकार १२.५ प्रतिशत वृद्धि हुई ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : १९५६ के लिये उत्पादन का लक्ष्य कितना है ?

†**श्री हाथी** : जो १६,६००० लाख किलोवाट का लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निश्चित किया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या नगरों कीं अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के सम्बन्ध में कोई सूत्र तैयार किया गया है, और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री हाथी** : विभिन्न विभागों में बिजली की जो खपत होगी उसका प्रयोग उपनगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा भी किया जायेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों और कुटीर उद्योगों आदि में बिजली की खपत होगी । मैं वर्गीकरण बता सकता हूं जो इस प्रकार से है : घरेलू, ९ प्रतिशत; वाणिज्यिक ६.० प्रतिशत; सार्वजनिक उपभोग, १.५ प्रतिशत; उद्योग ७२ प्रतिशत; संकर्षक, ४ प्रतिशत; सिंचाई, ४ प्रतिशत; वाटर वर्कस ३.५ प्रतिशत, कुल १०० प्रतिशत तैयार कीं गई बिजली की खपत उक्त तरीके से की जायेगी ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या घरेलू और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली बिजली की दर घटाने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : बिजली की दर प्रत्येक क्षेत्र विशेष में उसके उत्पादन परिव्यय और कोयले की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है । स्वाभाविक है, कि जहां भी समन्वय होगा, और जहां कहीं भी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये बिजली की अधिक आवश्यकता है, वहां कुछ रियायतें दी जायेंगी, परन्तु यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता ह ।

†**श्री कसलीवाल** : क्या १९५५ का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा या कार्यान्वित लक्ष्य से कम रह जायेगी ?

†**श्री हाथी** : १९५५ का लक्ष्य तो प्रायः प्राप्त हो चुका है । उसमें कुछ थोड़ी सी कमी है जो कि अधिक नहीं है और १९५६ की समाप्ति तक उसके पूरा कर लिये जाने की आशा है ।

†**श्री देवेन्द्रनाथ शर्मा** : क्या १९५५ और १९५६ में आसाम में विद्युत शक्ति का उत्पादन बढ़ा है या कम हुआ है ?

†**श्री हाथी** : प्रत्येक राज्य के ब्योरे के लिये मुझे पूर्व सूचना अपेक्षित होगी ।

भारत बर्मा व्यापार समझौता

†*२०२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २२ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २४०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-बर्मा व्यापार समझौते की बातचीत इस समय किस अवस्था में है ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : बातचीत अभी चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बातचीत पूर्ण कब होगी ? छः महीने पेश्तर भी इस सम्बन्ध में यही उत्तर दिया गया था कि बातचीत चल रही है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह समझौता कब होगा ?

श्री करमरकर : अगस्त में और भी डेलीगेशन आने वाले हैं। उसके बाद शायद बातचीत खत्म होगी।

†**श्री अच्युतन** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि ब्रह्मा की सरकार भारतीय झींगों के ब्रह्मा में आयात किये जाने पर रोक लगाने जा रही है और चीन से झींगों का आयात आरम्भ कर रही है, और यदि हां, तो भारत और ब्रह्मा के बीच भारतीय झींगों के पुराने व्यापार को फिर से चालू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

†**श्री करमरकर** : भारत और ब्रह्मा के बीच के व्यापार के इस मामले पर मुझे माननीय सदस्य से पूरी सहानुभूति है और यही उन बातों में से एक है हम जिन पर इस समय विचार कर रहे हैं।

†**श्री राधा रमण** : ब्रह्मा और भारत के मध्य करार न होने पर, व्यापार किस प्रकार नियमित किया जा रहा है और क्या उन उद्योगों को जो ब्रह्मा से किये गये आयात पर निर्भर करते हैं, कोई हानि पहुंची है ?

†**श्री करमरकर** : ब्रह्मा से हमारा अधिकतर आयात चावल का था। ब्रह्मा से आयात में कमी हो जाने के कारण किसी उद्योग को हानि नहीं पहुंची है। हमारी कठिनाई पर ब्रह्मा को भेज जाने वाले हमारे निर्यात की कमी थी और हम इस सम्बन्ध में प्रयत्न कर रहे हैं।

देशीय चिकित्सा प्रणाली

†*२०४. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी चिकित्सा प्रणाली के विशेषज्ञों के सम्मेलन द्वारा गत मई मास में व्यक्त कये गये विचारों पर यथाविधि विचार करके कोई विनिश्चय किया गया है; और

(ख) क्या आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के लिये परामर्शदाता स्थायी रूप से योजना आयो ग से नियुक्त किये जाने को है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) और (ख). देशी चिकित्सा प्रणाली पर विशेषज्ञों के सम्मेलन के सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग को परामर्श देने के लिये कोई संविहित निकाय गठित किया जायेगा अथवा कोई अस्थायी समिति उसे परामर्श देने के लिये गठित की जायेगी ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : एक परिषद् थी जिसका निर्देश माननीय सदस्य द्वारा मुख्य प्रश्न में किया गया है। उस समय यह निश्चय किया गया कि मंत्रालय द्वारा पहले ही नियुक्त की गई समिति द्वारा उक्त विषय पर प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इन मामलों पर पुनः विचार करने के लिये एक नई परिषद् होनी चाहिये। किन्तु कोई संविहित निकाय गठित नहीं किया जाने को है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस परिषद ने कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री श्या० न० मिश्र** : परिषद की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और ३० मई, १९५६ को श्री गिडवानी के एक प्रश्न के उत्तर में उसे सभा पटल पर रख दिया गया था।

†**श्री धुलेकर** : क्या हैल्थ मिनिस्ट्री (स्वास्थ्य मंत्रालय) ने इस बारे में कोई कमेटी (समिति) मुकर्रर कर दी है और क्या उस कमेटी में पार्लियामेंट के मेम्बरों (संसद सदस्यों) की राय ली जायेगी ?

†**श्री नन्दा** : आयुर्वेद की शिक्षा और प्रशिक्षण के समूचे प्रश्न के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है जिसके अध्यक्ष सौराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं। यह समिति शीघ्र ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रही है। इस प्रतिवेदन को निश्चय ही संसद के समक्ष रख दिया जायेगा।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग भी इस बारे में हीं कार्यवाही कर रहा है, अथवा क्या स्वास्थ्य मंत्रालय का भी इससे कोई सम्बन्ध है ? यदि स्वास्थ्य मंत्रालय भी इससे सम्बन्धित है तो उसकी प्रारम्भिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं ?

†**श्री नन्दा** : ऐसे विषयों पर सम्बन्धित मंत्रालय के पूर्ण सहकार्य और परामर्श लिये बगैर योजना मंत्रालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री धुलेकर : क्या प्लैनिंग मिनिस्टर साहब (योजना मंत्री) को मालूम है कि दवे कमेटी के सामने, जिसका कि अभी उन्होंने जिक्र किया है, केवल यह एक सवाल है कि हिन्दुस्तान भर में एक ही किस्म का ग्रैजुएट कोर्स हो जाय और उसके सामने वे सवाल नहीं हैं जो कि कान्फ्रेंस (परिषद) ने प्लैनिंग कमीशन (योजना आयोग) के सामने रखे हैं ?

श्री नन्दा : जो सवाल उसके सामने थे यह उनमें से सबसे जरूरी था। इस बारे में यह फैसला किया गया कि जब वह रिपोर्ट (प्रतिवेदन) आयगी, तो फिर सबको बुलाकर विचार किया जायगा और दूसरी बातों पर भी विचार किया जायगा।

ग्राम पुस्तकालय

†***२०५. श्री मादिया गौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार योजना खंडों में नव-साक्षरों तथा अन्य लोगों को लाभान्वित करने के लिये अब तक कितने ग्राम पुस्तकालय खोले गये हैं;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इन पुस्तकालयों में रखी गई पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)**: (क) से (ग). सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ग्राम में अथवा कम से कम सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवा को संगठित करने और उसके विस्तार के लिये उनके पास कोई नियमित योजना है ?

†**श्री श्या० न० मिश्र** : जी, नहीं। समाज शिक्षा सम्बन्धी इस बात की जानकारी देने में हमारी कठिनाई यह है कि उनके लिये अनेक ऐसे ब्यौरे आवश्यक हैं जो कि हमें दिये नहीं गये हैं। समाज शिक्षा के अन्तर्गत बहुत सी बातें आती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या यह आशा की जा सकती है कि कम से कम द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक बड़े गांवों में नव-साक्षर प्रौढ़ों और उन लोगों के लिये जिन्होंने शिक्षा की प्राथमिक अवस्था से पहले स्कूल जाना छोड़ दिया था, पुस्तकालय सेवा प्रारम्भ की जायेगी ?

†**श्री श्या० न० मिश्र** : यह एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये। मेरा ख्याल है कि सामुदायिक परियोजना विकास कार्यक्रम में कार्य करने वाले कार्यकर्त्ता अधिकांशतः इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्य कर रहे हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार प्रौढ़ शिक्षा लाभान्वित होने वालों की सहायता करने के लिये सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में स्थित पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें प्रकाशित कराने और उनको देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

†**श्री श्या० न० मिश्र** : माननीय सदस्य के प्रश्न को मैं समझ नहीं सका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार पुस्तकें छपवाकर उन्हें सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड क्षेत्रों में स्थित विभिन्न पुस्तकालयों को परिचालित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार उन लोगों की सहायता के लिये, जिन्होंने प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त की है, पुस्तकें परिचालित करने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री श्या० न० मिश्र** : नव-साक्षरों के लिये साहित्य की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय का अपना एक कार्यक्रम है ?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नव-साक्षरों के पुस्तकालय के लिये कोई धनराशि पृथक् रक्षित की गई है ?

†**श्री श्या० न० मिश्र** : इसका ब्यौरा मैं इस समय नहीं दे सकता हूं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय उपमंत्री ने अभी यह उत्तर दिया है कि वह यह जानकारी नहीं दे सकते हैं। आप यह देखेंगे कि प्रश्न के भाग (ख) में यही जानकारी मांगी गई है और तब भी जानकारी नहीं दी जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रश्न क्या यह है कि "कितनी धनराशि का उपबन्ध किया गया है "?

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या नव-साक्षरों के पुस्तकालयों के प्रयोजनार्थ कोई धनराशि पृथक् रक्षित की गई है ?

†**श्री श्या० न० मिश्र** : मैंने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह पहले ही बता दिया है कि हमें मुख्य शीर्ष "समाज शिक्षा" और उप-शीर्ष "सामुदायिक केन्द्रों" के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त होती है। किन्तु हमें पुस्तकालयों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होती है और हमारा ख्याल है कि इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में जितना धन और समय व्यय होगा वह प्राप्त सूचना के सम मात्रिक नहीं होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय उपमंत्री नें कहा कि वह व्यय की गई धनराशि का ब्योरा वह नहीं दे सकते थे। क्या वह हमें वह तरीके बतला सकते हैं जिनको कि "समाज शिक्षा" के अन्तर्गत नव-साक्षरों को पुनः निरक्षर बन जाने से रोकने के लिये काम में लाया जाता है ?

†**श्री श्या० न० मिश्र** : यह भी ब्यौरे की बात है और मैं पृथक् पूर्व सूचना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

छोटे उद्योगों सम्बन्धी सेवा संस्थायें

†*२०६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २६ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिये छोटे उद्योगों सम्बन्धी सेवा संस्थाओं की स्थापना के बारे में योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य पहलू क्या हैं ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क)ऐसी कोई योजना नहीं है, किन्तु सरकार का इरादा हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधी कि समाप्ती तक प्रत्येक राज्य के लिये ऐसी एक संस्था होनी चाहिये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रामकृष्ण : इस वर्ष कितने इंस्टीट्यूट (संस्थाएं) लगाये गये हैं ?

श्री कानूनगो : चार मेन (मुख्य) इंस्टीट्यूट लगाये गये हैं जो कि चारों चल रहे हैं । पटना और त्रावनकोर में सब-इंस्टीट्यूट लगाये गये हैं, और दो चार सब-इंस्टीट्यूट और लगाये जाने वाले हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : आपने यू० पी० को क्यों छोड़ दिया ?

श्री कानूनगो : आगरे में भी है ।

त्रावणकोर-कोचीन में डी० डी० टी० कारखाना

*२०८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री २९ फरवरी, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावनकोर-कोचीन में डी० डी० टी० के उत्पादन के लिये प्रस्तावित कारखाने के लिये प्लांट खरीद लिया गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे) : अल्वाये में स्थापित किये जाने वाले द्वितीय डी० डी० टी० कारखाने की यंत्र सामग्री तथा प्लांट के लिये सार्वभौम टेंडर मांगे गये थे। बोर्ड के डायरेक्टरों नें टेंडरों की जांच-तांच कर ली है तथा अन्तिम चुनाव के शीघ्र किये जाने की आशा है ।

†**श्री वें० प० नायर** : अधिकांश सदस्य हिन्दी में दिये गये उत्तर को समझते नहीं हैं। माननीय मंत्री से अंग्रेजी में उत्तर देने के लिये कहा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर अंग्रेजी में दिया जाये ।

(इसके बाद सभा-सचिव महोदय ने उक्त उत्तर हिंदी मे दुहराया)

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन से देश से इस प्लांट (संयंत्र) की खरीद की जा रही है ?

श्री रा० गि० दुबे : इस प्लांट के बारे में करीब सात देशों ने अपने टेंडर्स दिये थे । उनमें से टेक्नीकल एंटरप्राइजेज इनकारपोरेटेड आफ यू० एस० ए०, सिंगमास्टर एंड ब्रेअर आफ यू० एस० ए० और क्रिब्स एंड कं०, बर्लिन, इन तीन एजेंसियों (अथिकरणों) के साथ बातचीत हो रही है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इसका क्या मूल्य होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री रा० गि० दुबे : इस सारे प्रोजेक्ट (परियोजना) का मूल्य ७९ लाख रुपया है।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आल्वाये में कारखाने का स्थान निश्चित कर लिया गया है, क्या भू-अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और क्या निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : मेरा ख्याल है कि भू-अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। जहां तक व्यय की गई धन राशि का सम्बन्ध है, मैं यह बता नहीं सकता हूं।

†**श्री वे० प० नायर** : मैं जानना चाहता हूं कि इस डी० डी० टी० फैक्टरी का सेवायोजन की संभाव्यता, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमानित की गई है, कितनी है ?

† **श्री रा० गि० दुबे** : मुझे खेद है कि मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : सेवा योजना की संभाव्यता अधिक नहीं है। लगभग ५०० से ६०० तक व्यक्ति सेवायुक्त किये जायंगे।

कोयला उत्पादन के लिये प्रविधिक कर्मचारी

† *२०९. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री १० अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयले के अधिक उत्पादन के लिये प्रविधिक कर्मचारियों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिये बनाई गई योजना के मुख्य पहलू क्या हैं ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : योजना के मुख्य पहलुओं को बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१**]

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या मैं प्रशिक्षण अवधि को जान सकता हूं ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : जैसा कि सभा पटल पर रख दिये गये विवरण में बताया गया है चार वर्ग है। पहले वर्ग में प्रथमत: पहले प्रशिक्षण की अवधि छ: मास और बाद में दो वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण है। वर्ग २ और ३ में प्रथमत: प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष है और उसके बाद दो वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण है। चौथे वर्ग में प्रशिक्षण अवधि छ: मास की है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : इन संस्थाओं में जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा उनकी कुल संख्या कितनी होगी ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : ऐसी आशा की जाती है कि प्रत्येक केन्द्र में वर्ग १ में २० प्रशिक्षार्थियों को प्रति वर्ष दाखिल किया जायेगा और अभी हम चार केन्द्र खोल रहे हैं। वर्ग २ और ३ में प्रत्येक श्रेणी में २५ प्रशिक्षार्थियों को दाखिल किया जायेगा।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न योजनाओं में कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : २८,०३,७७१ रुपये का स्थूल अनुमान है।

†**श्री कामत** : क्या सरकार के पास उन कोयला खदानों को काम में लाने की कोई निश्चित योजना है जिन्हें पहले महायुद्ध अथवा उसके भी बाद से किसी न किसी कारण से काम में नहीं लाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : यह प्रश्न प्रशिक्षण से सम्बन्ध रखता है। माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : चंकि सिंगरैनी कोयला खदान सरकारी क्षेत्र में है इसलिये क्या सरकार ने हैदराबाद में सिंगरैनी में कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की प्रस्थापना की है ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : सिंगरैनी में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की प्रस्थापना है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उक्त प्रशिक्षण केन्द्र कब खोला जायगा ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : यह मैं अभी नहीं बता सकता हूं; वह निकट भविष्य में खोला जायगा।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रशिक्षण सम्बन्धी इस प्रयोजन के लिये कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कोई कोटा निर्धारित किया गया है ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : जहां तक वर्ग ४ का सम्बन्ध है, कर्मचारियों अथवा उनके सम्बन्धियों के लिये कुछ कोटा रक्षित किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नसंख्या, २१०। श्री अनिरुद्ध सिंह अनुपस्थित हैं।

†**श्री राधा रमण** : मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रश्न के महत्व को बयान में रखते हुए, आप इसका उत्तर दिया जाने का निदेश दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : बाद में, अभी नहीं।

रुरकेला इस्पात कारखाना

†*२१२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात परियोजना के लिए कोक-भट्टी संयन्त्र के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) इस संयन्त्र के निर्माता कौन हैं; और

(ग) उक्त संयन्त्र की कुल अनुमानित लागत क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) जी नहीं। अभी नहीं।

(ख) मैसर्ज डा० सी० ओटो एंड कम्पनी बोचम, पश्चिमी जर्मनी।

(ग) लगभग ९२१ लाख रुपये।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

†*२१३. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की पदाधिकारियों की पदाली में इंजीनियरों की बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितनी रिक्तियां हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति ने यह सिफारिश की है कि अधीनस्थ पदों पर कार्य कर रहे ग्रैजुएट इंजीनियरों की तुरन्त पदाधिकारी पदाली में पदोन्नति कर दी जाये;

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) कितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएटों को पदाधिकारी पदाली में पदोन्नति दी गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) पदाधिकारियों की पदाली में बहुत से इंजीनियर हैं।

(ख) शून्य ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या यह सच है कि उन ग्रेजुएट इंजीनियरों को जो ओवरसीअरों के रूप में काम कर रहे हैं, असिस्टेन्ट इंजीनियर बनाने के लिए पांच साल की रोक लगाई जाती है, और यदि हां, तो इस पर आग्रह क्यों किया जाता है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, असिस्टेन्ट इन्जीनियरों की श्रेणी में स्थानापन्न पदोन्नतियों के लिए, उन अस्थायी ग्रेजुएट वैभागिक पदाधिकारियों को, जिनकी उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा होती है, अधिमान दिया जाता है ? द्वितीय पांच वर्षीय योजना अवधि में उत्पन्न होने वाली बहुत सी संभावित रिक्तियों को भरने के लिये, इस सीमा को कम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री बहादुर सिंह** : उन ग्रेजुएट इंजीनियरों की संख्या कितनी है, जिन्हें पिछले पांच वर्षों में पदोन्नति दी गई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : पिछले पांच वर्षों में अधीनस्थ पदों पर काम करने वाले लगभग ७१ ग्रेजुएटों को पदोन्नति दी गई है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : अब कितने ग्रेजुएट इंजीनियर वैभागिक पदाधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : सिविल इंजीनियरिंग शाखा में लगभग १८० वैभागिक पदाधिकारी और विद्युत इंजीनियरिंग शाखा में ५२ ऐसे हैं, जिनकी सेवा पांच वर्ष से कम की है और जिनकी अभी तक पदोन्नति नहीं की गई है ।

भारी मशीनों का निर्माण

†***२१६. श्री साधन गुप्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मशीनों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिए रूस से सलाहकारों का कोई दल भारत आया है;

(ख) कौन सी मशीनरी बनाने का विचार है; और

(ग) इस संयन्त्र के किस स्थान पर स्थापित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां। भारी मशीनों के निर्माण सम्बन्धी चार रूसी विशेषज्ञों का एक दल इस विषय में हमारी आवश्यकताओं की जांच करने और प्रस्थापनायें प्रस्तुत करने के लिये इस समय भारत में है।

(ख) इसी मामले में हम उन का परामर्श प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) उस स्थान या स्थानों के बारे में जहां संयन्त्र स्थापित करने का विचार है, अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्री साधन गुप्त** : प्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि संयन्त्र का स्थापना-स्थान पश्चिम बंगाल-बिहार क्षेत्र में होगा। क्या इस समाचार में कोई सचाई है? वास्तव में, एक बोकारो को भी एक संभावित स्थान बताया गया था?

†**श्री कृष्णमाचारी** : विभिन्न स्थानों के सम्बन्ध में विचार किया गया है। कुछ भी हो, यह समाचार तो समय से कुछ पहले की चीज है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह संयंत्र एन० आइ० डी० निगम के अधीन स्थापित किया जायेगा अथवा एक पृथक निगम के रूप में स्थापित किया जायेगा?

†**श्री कृष्णमाचारी** : इस बात का निर्णय सरकार ने करना है कि परियोजना या इन परियोजनायों के चालू हो जाने पर इनका प्रशासन किस प्रकार किया जायेगा।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या रूस की सरकार के साथ कोई नियमित समझौता किये जाने की कोई संभावना है और क्या भारी मशीनरी के कुछ विशेष किस्मों के नक्शों को प्राप्त करने के लिये बातचीत हो रही है। और कितनी विभिन्न प्रकार की मशीनरी का निर्माण आरम्भ किया जायेगा?

†**श्री कृष्णमाचारी** : यह बाद की अवस्था में होगा। इस समय हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि कौन कौन सी मशीनरी का निर्माण यहां किया जाना आवश्यक है और किसका निर्माण किया जा सकता है। जब यह आंकड़े इकठ्ठे हो जायेंगे और कोई निर्णय कर लिया जायेगा, तो हम यह निश्चय करेंगे कि परियोजना के लिए सलाहकार कौन हो। माननीय सदस्य का प्रश्न उस अवस्था पर संगत होगा।

†**सेठ गोविन्द दास** : क्या इस मामले में रूसी विशेषज्ञों के अतिरिक्त किसी अन्य देश से भी सलाह ली गई है?

†**श्री कृष्णमाचारी** : हम विभिन्न देशों से सहायता प्राप्त करने की संभाव्यता की खोज कर रहे हैं, क्योंकि भारी मशीनरी बनाने के विषय में हमारे विचार बहुत विशाल और व्यापक हैं। अभी इस समय तो रूसी हमारे देश में आये हुए हैं। संभव है कि अगस्त के अन्त या सितम्बर के आरंभ में एक ब्रिटिश दल भी यहां आयेगा। हम अन्य देशों के अन्य विख्यात निर्माताओं से भी पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

†**सेठ अचल सिंह** : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मशीनरी प्लांट में कितना रुपया लगेगा और कितना परसेंटेज (प्रतिशतता) गवर्नमेंट आफ इंडिया लगायेगी और कितना परसेंटेज रूस लगायेगा?

†**श्री कृष्णमाचारी** : वास्तव में इन सब प्रश्नों का अभी समय नहीं आया है।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** : क्या यह कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जायेगा?

†**श्री कृष्णमाचारी** : यही विचार है। यदि हम अभी इसे आरम्भ कर दें, चूंकि पंचवर्षीय योजना साढ़े चार वर्ष या इससे कुछ अधिक समय तक चलेगी, इसलिये यदि संभव हुआ, तो हम इसे योजना अवधि में शुरू करने का विचार करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री साधन गुप्त** : विशेषज्ञों के प्रतिवेदन की कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : समय आवंरित कार्य के गुण प्रकार पर निर्भर है। इस समय तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिये। यदि हमारा कार्यक्रम कुछ लम्बा हुआ, तो स्वाभाविकतया कार्य समय बढ़ जायेगा। संभवतः तीन या चार मास में हम इस के बारे में कुछ अनुमान लगा सकेंगे।

आकाशवाणी का कटक केन्द्र

†*२१७. **श्री संगण्णा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कटक में बड़ा ट्रांसमीटर कब तक लगा दिया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: कटक में २० किलोवाट का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है और उसके मार्च या अप्रैल, १९५७ तक पूरा हो जाने की संभावना है।

†**श्री संगण्णा** : क्या स्टेशन की शक्ति इतनी बढ़ जायेगी जिससे कि सारे उड़ीसा की आवश्यकताएं पूरी हो सकें ?

†**डा० केसकर** : इससे उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र की आवश्यकताओं के पूर्ण होने की आशा है।

†**श्री संगण्णा** : स्टेशन की शक्ति बढ़ाये जाने के बाद, ग्रामीण श्रवण कार्यक्रमों में क्या सुधार किये गये हैं और कैसे किये गये हैं ?

†**डा० केसकर** : यह तभी किया जायेगा जब नया ट्रांसमीटर चालू हो जायेगा इस समय जब कि वर्तमान ट्रांसमीटर की शक्ति कम होने के कारण, प्रसारण सारे राज्य में नहीं पहुंच सकता है, हमारे लिये कोई विस्तृत ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित करना ठीक नहीं है।

†**श्री संगण्णा** : यह सारी योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**डा० केसकर** : जैसा कि मैंने कहा, योजना शुरू हो गई है। ठीक-ठीक तिथि बताना बहुत कठिन है, क्योंकि यह कई बातों पर निर्भर होती है। उदाहरणतया, यद्यपि हम छः मास पूर्व काम शुरू करने के लिये तैयार थे, तथापि उस भूमि का जिस पर कि ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है, कब्जा न ले सकने के कारण हमें चार पांच मास तक रुकना पड़ा था। मेरे विचार में यदि ऐसी कोई कठिनाइयां उत्पन्न न हुई, तो काम अगले सात या आठ मासों में समाप्त हो जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जब एक बड़ा ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है, तो क्या कार्यक्रम को सुधारने और कार्यक्रम का समय बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है, और यदि हां, तो सरकार का कार्यक्रम क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बर्मा शेल तेल शोधनशाला

†*२१८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **उत्पादन** मंत्री बर्मा शेल तेल शोधनशाला की अंश पूंजी में भारतीयों के भाग की वर्तमान स्थिति को बताने की कृपा करेंगे ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : इस कम्पनी की साधारण अंश पूंजी में भारतीयों का कोई भाग नहीं है। तथापि आठ करोड़ रुपये के ऋणपत्र भारत में जारी किये गये हैं, और दो करोड़ रूपये के पूर्वाधिकार अंश जारी किये जाने वाले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस बात के लिये क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं कि भारतीय पूंजी इस शोधनशाला या स्थापित की जाने वाली अन्य शोधन शालाओं में लगाई जाये ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस मामले में वे करार लागू होते हैं जो कुछ वर्ष पूर्व तेल कम्पनियों के साथ किये गये थे। इस कम्पनी की अंश पूंजी में भारतीयों को पूंजी लगाने का उपबन्ध करने के लिये तेल कम्पनियों को राजी करने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये थे, किन्तु परिणाम संतोषजनक नहीं निकले हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या किन्हीं अन्य तेल शोधनशालाओं ने अभी ऋणपत्र जारी किये हैं और या भारतीय पूंजीपतियों ने उसमें भाग लिया है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जी हां। स्टैंडर्ड वैक्युम आइल कम्पनी के ऋणपत्र जारी किये गये थे जिन्हें ले लिया गया है ?

†**श्री क० कु० बसु** : क्या पूंजी निर्गम नियन्त्रण आदेश के अधीन ऋणपत्र जारी करने की अनुमति देने से पहले,किन्हीं कम्पनियों से कहा गया था कि ऋणपत्र जारी करने की अपेक्षा वे भारतीयों को अंशपूंजी लगाने और भागीदार बनने को कहें ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ऋणपत्र पूंजी और साधारण अंशपूंजी को एक समझे हैं।

†**श्री क० कु० बसु** : देश की विधि के अनुसार, ऋणपत्र जारी करने के लिए, केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अनुमति देने से पहले अपने अधिकार से उन से प्रार्थना की है कि वे ऋणपत्र जारी करने की बजाये अंशपूंजी जारी करें ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : जब करार में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, तो हम उनसे भारतीयों के लिए साधारण पूंजी जारी करने के लिये कैसे कह सकते हैं। मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का अर्थ नहीं समझा।

†**श्री साधन गुप्त** : इस कम्पनी में पूर्वाधिकार अंशधारियों को मतदान सम्बन्धी क्या अधिकार प्राप्त हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : उन्हें कोई मतदान के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यदि उन अंशों के सम्बन्ध में आदेय ब्याज बकाया हो, तो मेरे विचार में उन्हें मतदान में भाग लेने का अधिकार है।

भावानगर तेल-शोधक कारखाना परियोजना

†***२१९. श्री त० ब०विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री ५ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई के श्री नुशेरवांजी एच० सी० दिनशा द्वारा भावानगर तेल-शोधक कारखाना परियोजना की योजना पर तब से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) तथा (ख). सरकार ने प्रस्ताव की जांच कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस पर अभी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रलेखीय चलचित्र

†*२२०. **श्री मादिया गौडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितने प्रलेखीय चलचित्र तैयार करने की योजना बनाई गई है ;

(ख) इन चित्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) इनमें से कितने चित्रों का निर्माण गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा और कितनों का मंत्रालय द्वारा किया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२**]

संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि विवरण में यह दिखाया गया है लगभग १२४–१२५ चलचित्र तैयार किये जाने वाले हैं, जिनमें से ५३ का निर्माण सीधे फिल्म्स डिवीजन द्वारा किया जायेगा और लगभग ६१ चित्रों के निर्माण का काम गैर-सरकारी निर्माताओं को सौंपा जा रहा है।

†**श्री मादिया गौडा** : ये गैर-सरकारी निर्माता कौन-कौन से हैं जो इन प्रलेखीय चित्रों का निर्माण करना चाहते हैं और उनकी योग्यता का निर्णय किस प्रकार किया जाता है ?

†**डा० केसकर** : पहले गैर-सरकारी निर्माताओं को टेण्डरों द्वारा बुलाया जाता था किन्तु पिछले दो-तीन वर्षों में, यह प्रबन्ध करने के लिये कि गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा निर्मित चित्रों का स्तर पहले से कहीं अच्छा हो हमने एक प्रविधिक विशेषज्ञ समिति बनाई थी जिसने और बहुत बड़ी संख्या में निर्माताओं के कार्य और उसके गुणावगुणों की जांच की है। इस समिति की सम्मति से स्वीकृति प्राप्त निर्माताओं की एक तालिका बनाई गई है। तालिका के सभी सदस्य, टेण्डर मांगे जाने पर आवेदन कर सकते हैं, जिनमें से सर्वोत्तम को चुन लिया जाता है।

†**श्री मादिया गौडा** : उन प्रलेखीय चल चित्रों की पटकथा कौन तैयार करता है, जिनका निर्माण गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जाने वाला है और उसकी स्वीकृति किस प्रकार दी जाती है तथा उन्हें किस प्रकार पास किया जाता है ?

†**डा० केसकर** : गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा निर्मित सभी चलचित्र ज्यों के त्यों नहीं स्वीकार कर लिये जाते हैं। वस्तुतः फिल्म्स डिवीजन के प्रविधिक विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रश्नों पर उनका निरीक्षण किया जाता है और कई बार तो उन्हें चित्रों में रूपभेद करना पड़ता है। सामान्यतः इनके प्रलेखीय चलचित्र अच्छे होते हैं फिर भी यह स्पष्ट है कि फिल्मस डिवीजन के प्रलेखीय चल-चित्र, जो विशेषतया यही काम करती है, सामान्यतः उनसे कहीं उच्च कोटि के होते हैं।

सिंचाई कार्यों के लिये पेप्सू को अनुदान

†*२२१. **श्री रामकृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १८ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का उसके द्वारा उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार से अभी तक ब्यौरा नहीं मिला। वांछित जानकारी प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सीमान्त घटनायें

†*२२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पाकिस्तान की सीमा से चार मील दूर मिथला नामक छोटे से काश्मीरी गाँव में गत् जनवरी में चार कश्मीरियों के एक परिवार की पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा हत्या करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान से प्रतिकर की कोई मांग की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : जी, नहीं। प्रतिरोध करते समय,पाकिस्तान सरकार से अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया गया था किन्तु उस प्रक्रम पर प्रतिकर की मांग नहीं की गई थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : उन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की भारत सरकार की मांग पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया हुई और उसने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री सादत अली खां** : पाकिस्तान सरकार से अभी उत्तर नहीं मिला।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या ऐसे मामलों में, जिनमें भारतीय नागरिकों को सीमान्त घटनाओं के परिणामस्वरूप जीवन से हाथ धोना पड़ा है, प्रतिकर के लिये कोई सिद्धान्त है ? यदि हां, तो प्रतिकर का यह सिद्धान्त इन नागरिकों के सम्बन्ध में क्यों लागू नहीं किया गया, जिनकी मृत्यु सीमान्त घटनाओं में हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : प्रतिकर का प्रश्न पहले कई बार भी उठाया गया था किन्तु पाकिस्तान इस पर सहमत नहीं हुआ। अर्थात् हमने प्रश्न उठाया था कि दोनों ओर से प्रतिकर दिया जाना चाहिये। निकोवाल के मामले में इस पर काफी चर्चा की गई थी और अन्ततोगत्वा पाकिस्तान सरकार ने इसे एक विशेष मामला मानकर जो लोग मारे गये हैं उनके परिवार वालों को सहायता के लिये कुछ धनराशि—राशि मैं भूल गया हूं—देना स्वीकार कर लिया था। मामला यहीं तक पहुंचा है।

†**श्री कामत** : वास्तव में धनराशि दी है या देना स्वीकार किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि राशि अभी दी नहीं गई है। पाकिस्तान न स्वीकार कर लिया है और हमने कहा कि हम उसे मंजूर कर लेंगे। पिछले कुछ सप्ताहों में क्या हुआ, इसका मुझे ठीक-ठीक पता नहीं है। छः सप्ताह पूर्व तक तो राशि दी नहीं गई थी।

†**श्री कामत** : युद्ध-विराम पर जनवरी, १९४९ में समझौता हुआ था, उस के बाद से इस प्रकार के कितने मामलों में सरकार ने प्रतिकर मांगा और कितने मामलों में पाकिस्तान सरकार ने वस्तुतः भुगतान किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि मैंने अभी कहा था कि किसी भी पक्ष द्वारा मरने वालों के लिये प्रतिकर नहीं दिया गया है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के नागरिकों की हत्या इस काल में की गई थी किसी भी मामले में प्रतिकर नहीं दिया गया था। दो-एक बार हमने यह प्रश्न उठाया भी था किन्तु पाकिस्तान सरकार सहमत नहीं हुई। निकोवाल की घटना हो जाने पर इस मामले पर पूरी तौर से बहस की गई और तत्पश्चात अन्ततोगत्वा पाकिस्तान सरकार ने, सम्भवतः क्योंकि मुझे निश्चय रूप से ज्ञात नहीं है—एक लाख रुपया देना स्वीकार किया है।

---

† मूल अंग्रजी में।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत सरकार ने कश्मीर के उन व्यक्तिओं के परिवार वालों को, जो इस सीमान्त घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु के शिकार बने थे, सहायता के रूप में कुछ धन राशि दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम हमेशा प्रतिकर देते हैं । इस विशेष मामले में कितनी राशि दी गई थी यह मैं ठीक ठीक नहीं जानता किन्तु प्रतिकर अनिवार्य रूप से दिया जाता है । मैं इसे प्रतिकर नहीं कहुंगा । यह तो सहायता दी जाती है ।

भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

†*२२३. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने हाल में 'स्वीडन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमण्डल के दौरे का मुख्य प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या इस प्रतिनिधिमण्डल ने बढ़े हुये भारत-स्वीडन व्यापार के प्रश्न पर चर्चा की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). सम्भवत: माननीय सदस्य औद्योगिक व वाणिज्यिक सद्भावना मण्डल की बात कह रहे हैं जिसने हाल ही में स्वीडन निर्यात सङ्घ और फिनलैण्ड एवं डेनमार्क की सरकारों के निमंत्रण पर स्वीडन, फिनलैण्ड और डेनमार्क का दौरा किया था । मण्डल द्वारा किये गये कार्य का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : इस मण्डल का नेता कौन था ?

†**श्री करमरकर** : श्री एच० वी० आर० ईंगर, सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या इस मण्डल ने वापस लौटकर सरकार के पास कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**श्री करमरकर** : मण्डल के नेता वापस लौट आने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे । वह अभी वापस नहीं आये हैं ।

सुविधा सर्वेक्षण समिति

†*२२४. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री १ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुविधा सर्वेक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशों क्या हैं; और

(ग) कौन-कौन सी सिफारिशों कार्यान्वित की जा चुकी हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पिछली मई में भी मुझे यही उत्तर दिया गया था। यह समिति कब बनाई गई, उसके निर्देश पद क्या हैं और समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : सुविधा सर्वेक्षण समिति १९५४ के उत्तरार्ध में अन्तराष्ट्रीय मकान प्रदर्शनी में बने मकानों की उपयुक्तता के बारे में जांच करने के लिये बनाई गई थी। अन्तिम प्रतिवेदन जल्दी ही प्रकाशित किया जायेगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस समिति को जितनी सुविधायें दी जानी चाहिये थीं वे दी गई थी ?

वैदेशिक सेवा निरीक्षणालय

†*२२५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेश सेवा निरीक्षणालय का १९५४–५५ का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) विदेश सेवा निरीक्षकों को वार्षिक प्रतिवेदन नहीं भेजना पड़ता है। वे दूतावासों की विभिन्न प्रशासकीय समस्याओं के बारे में निरीक्षण करने के तत्काल पश्चात् एक प्रतिवेदन भेजते हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इनका सारांश सभा-पटल पर रखा जाता है अथवा वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित कर दिया जाता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी नहीं। इन पर विभागीय आधार पर विचार किया जाता है।

काड मछली का तेल

†*२२६. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का काड मछली का तेल खरीदा है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : तत्सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या सरकारी विभाग मछली का तेल नहीं खरीदते ?

†**श्री कानूनगो** : विभिन्न औषधालय इसे अवश्य खरीदते होंगे। इस बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन है।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या यह देश में बनाने वालों से मोल लिया जाता है या विदेशों से ?

†**श्री कानूनगो** : 'काड मछली का तेल' हमारे देश में नहीं बनता।

†**श्री वे० प० नायर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब भारत में बनने वाले 'शार्क मछली के तेल' में 'काड मछली के तेल' की विशेषतायें विशेषकर उसके विटामिन होते हैं, क्या सरकार ने इस प्रयोजन से कोई कार्यवाही की है कि 'काड मछली के तेल' के आयात की अनुमति न दी जाय और सरकारी विभागों में 'शार्क मछली के तेल' का प्रयोग किया जाये ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कानूनगो** : 'काड मछली के तेल' की कुछ ऐसी मांगें हैं जो 'शार्क मछली के तेल' से पूरी नहीं हो सकतीं। दवाइयों में जहा कहीं 'काड मछली के तेल' के स्थान पर 'शार्क मछली के तेल,' का प्रयोग किया जा सकता है, उसके बारे में सरकार कार्यवाही कर रही है।

†**श्री वे० प० नायर** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान भेषजीय जांच समिति के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें बहुत ही निश्चित रूप से कहा गया है कि अब भारत में बनने वाले शार्क मछली के तेल को उन सारे कामों में प्रयोग किया जा सकता है जिनमें 'काड मछली के तेल' का प्रयोग होता है और यह कि उसकी किस्म में और सुधार किया जा सकता है ?

†**श्री कानूनगो** : यह बात भेषजीय प्रयोगों के बारे में थी। परन्तु काड मछली के तेल का प्रयोग उद्योगों में भी होता है।

उत्तर बिहार में बाढ़ से बचाव की कार्यवाही

†*२२७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उत्तर बिहार में विभिन्न स्थानों पर बाढ़ से बचाव के लिये की गई कार्यवाही में जितनी प्रगति हुई है;

(ख) उन क्षेत्रों में हाल में आई बाढ़ों का उन पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या उन तटबंधों को कोई क्षति पहुंची है जो पूरे हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की क्षति पहुंची है और उसे पूरा करने में कितना व्यय होगा; और

(ङ) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने में, जिसमें पहिले बाढ़ आया करती थी, यह कार्यवाही कहां तक सफल रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ङ). एक विवरण, जिसमें यह जानकारी दी गयी है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३**]

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से पता लगता है कि कोसी परियोजना में केवल ११४·५ मील लम्बे तटबंध बनाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्य योजना के अनुसार हो रहा है अथवा इस मामले में कुछ विलम्ब है ?

†**श्री हाथी** : इस ऋतु का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, परन्तु शीघ्र वर्षा आरम्भ होने के कारण कुछ विलम्ब हो गया था और पूरा काम समाप्त न हो सका। परन्तु लगभग ८७ प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शीघ्र वर्षा आरम्भ होने के कारण कुछ काम पूरा न किया जा सका। अन्यथा कार्यक्रम के अनुसार काम हो रहा है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : उत्तर बिहार में बाढ़ सुरक्षा के लिये अभी कितनी और किस प्रकार की योजना आरम्भ की जायेंगी ?

†**श्री हाथी** : समूची परियोजना में, जैसा कि उसका वर्तमान रूप है, हिमतनगर में एक बान्ध और पूर्वी व पश्चिमी ओर तटबन्ध सम्मिलित है। समूची परियोजना की यही रूप रेखा है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या चपरा, खगलिया और सिताम्बरी नगर सम्बन्धी सुरक्षा कार्य योजना के अनुसार हो रहे हैं ?

†**श्री हाथी** : जी, हां।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कामत** : यदि मुझे ठीक याद है तो, माननीय मंत्री ने कभी पिछले सत्र में कहा था कि वास्तव में सरकार भारतीय परिस्थितियों के लिए बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी अमरीकी या चीनी तरीकों की उपयुक्तता पर विचार कर रही है। क्या सरकार इस मामले पर विचार कर चुकी है और यदि हां, तो भारत के लिये कौनसा तरीका अर्थात् चीनी तरीका या अमरीकी तरीका अपनाया गया है ?

†**श्री हाथी** : जैसा कि मैंने कहा था तरीका किसी देश के लिये अनौखा नहीं है। इसमें नदियों, भूतल और किये जाने वाले कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्नता होती है। कोसी परियोजना में हमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों का संसज्जन करने, स्थानीय लोगों को एकत्रित करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उन्हें सहयोग की भावना से काम करने के लिये लाने का अनुभव हुआ था। वह कोसी क्षेत्र में सफल रहा है।

†**श्री कामत** : क्या मैं यह समझूं कि कोसी में हम अमरीकी या चीनी तरीका न अपना कर वास्तविक भारतीय तरीका अपना रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं नहीं जानता। कदाचित, माननीय सदस्य हमें यह बतायेंगे कि यह किसे अमरीकी या चीनी या अन्य कोई तरीका मानते है।

†**श्री कामत** : आपके सहयोगी ने यही कहा था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : यह ऐसा कोई तरीका नहीं है। देश की परिस्थितियों और उपलब्ध सामान के अनुकूल इंजीनियरी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कदाचित, अमरीका में कहीं अधिक मशीनों का प्रयोग होता होगा क्योंकि वह उसके पास है। चीन में कदाचित बहुत कम मशीनों का प्रयोग होगा। कदाचित भारत में मशीन और जनशक्ति दोनों से काम लिया जायेगा।

†**श्री कामत** : यह मिला-जुला तरीका है। यह मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था है। तब तो यह चीनी-अमरीकी तरीके का सम्मिश्रण है।

†**श्री सारंगधर दास** : कोसी के दोनों ओर तटबन्ध बनाने के अतिरिक्त और क्या अन्य कार्यवाही की गई है ? क्या जलागम क्षेत्र में पुनः बन लगाये जा रहे हैं; और यदि हां तो, इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्री हाथी** : तटबन्धों के अतिरिक्त, जल की दिशा बदलने के लिए एक नहर सी बनेगी जिससे नदी के ५०,००० घन फुट अतिरिक्त पानी का प्रवाह बदल जायेगा। यह अन्य कार्यवाही की गई है।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या योजना में पुनः वन लगाना सम्मिलित है।

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : आजकल नदियों में बड़ी मात्रा में बहने वाली गाद को रोकने के लिए एक बान्ध बनाने की व्यवस्था इस योजना में है। उसे कम करने के लिये योजना में रोक बान्धों का उपबन्ध है। इसके अतिरिक्त, भूमि संरक्षण, आदि सम्बन्धी अन्य कार्यवाही भी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सूची समाप्त हो गई। यदि कोई सदस्य पहिले पुकारे जाने के समय उपस्थित न थे, परन्तु बाद में आ गये हैं, वह खड़े होकर मुझे उस प्रश्न की संख्या बता सकते हैं जो वह पूछना चाहते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न संख्या २१० बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रार्थना करती हूं कि इसका उत्तर दिया जाये ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन माननीय सदस्य का यह प्रश्न है, क्या वह सभा में उपस्थित हैं ? मैं देखता हूं कि वह उपस्थित नहीं है ।

†**श्री राधा रमण**: क्या उनकी ओर से मैं वह प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**श्री बंसल** : क्या मैं अपना प्रश्न संख्या २१५ पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

अदन में भारतीय

†*२१५. **श्री बंसल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अदन पैट्रोलियम रिफायनरी लि०, अदन के भारतीय कर्मचारियों को परेशान किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां ।

(ख) हमारे अदन प्रदेष्टा के कार्यालय और बम्बई में उत्प्रवासियों के रक्षक द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है ।

†**श्री बंसल** : जिन दस व्यक्तियों को नौकरी से हटाने के नोटिस दिये गये थे, उनके खिलाफ कार्यवाही देश की विधि के अनुसार की गयी थी या यह समवाय का मनमाना कार्य था ?

†**श्री सादत अली खां** : इस मामले में बम्बई स्थित उत्प्रवासी रक्षक ने भरती करने वाले अभिकर्ताओं से पत्र व्यवहार किया था और उसे सूचित किया गया था कि तेल शोधन कारखानों की ओर से बहुत से लोगों को एक साथ नौकरी से हटाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जैसा कि अभ्यावेदन में कहा गया है, यह भी पता लगाया गया है कि बम्बई स्थित उत्प्रवासी रक्षक के कार्यालय में केवल नौ कर्मचारियों का पंजीदल हुआ हैं और उनका प्रत्यावर्तन ठेके की समाप्ति पर या ठेका पुराना हो जाने के कारण हुआ है । अतः परेशान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री बंसल** : सभा-सचिव ने किस प्रश्न का उत्तर दिया है ? मेरे प्रश्न की संख्या २१५ है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उत्तर भी प्रश्न संख्या २१५ का है ।

†**श्री सादत अली खां** : यह उत्तर प्रश्न संख्या २१५ का है ।माननीय सदस्य अपने प्रश्न को फिर देख सकते हैं ।

†**श्री बंसल** :प्रश्न का सम्बन्ध अदन पैट्रोलियम रिफायनरी लि०, अदन के कुछ कर्मचारियों को नौकरी से हटाने से हैं । मुझे आश्चर्य है कि इसका बम्बई से क्या सम्बन्ध है ।

†**श्री सादत अली खां** : मैं माननीय मंत्री को और भी कुछ बताता हूं । माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में अदन पैट्रोलियम रिफायनरी लि० के कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया है मेरा खयाल है कि उन्होंने एक अभ्यावेदन भेजा था । भारतीय कर्मचारियों से यह अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, हमने अदन में अपने प्रतिनिधि, अर्थात् अदन स्थित अपने प्रदेष्टा और बम्बई स्थित उत्प्रवासी रक्षक से पत्र व्यवहार किया, तथा उनसे अभ्यावेदन में कथित आरोपों की जांच करने और उचित जांच पड़ताल के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा था ।

मैं इसी मामले के बारे में कह रहा हूं ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सरकार को इस बात का इतमीनान है कि वहां स्टाफ के साथ सलूक अच्छा होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि उनके साथ सलूक अच्छा होगा या नहीं या हमें इस पर इत्मिनान है या नहीं । आपने सवाल किया उसका जवाब दे दिया गया । अब जो जवाब हमें मिला उसे आपको बतला दिया । हम कोई जिम्मेदारी उनके सलूक की नहीं ले सकते हैं । जवाब यह है कि नौ आदमी वहां से अलग किये गये जिसमें से कहा जाता है कि एक साहब छुट्टी पर आये थे और आठ निकाले गये । उन आठ में से दो पौर्चुगीज सबजैक्टस थे जिन्होंने हमारे यहां अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था । जो छः रह गये उन्होंने रजिस्टर किया था और उनकी निसबत अलग अलग वजुहात दी गई हैं कि क्यों उनको निकाला गया । अब इसकी जांच करना हमारे लिये नामुम्किन है । अगर आप चाहें तो मैं यह बता सकता हूं कि एक-एक की निसबत क्या जवाब दिया गया है । मतलब यह है कि यह बात गलत है कि कोई ज्यादा तादाद में लोग अलग किये गये हैं । अब जो वजूहात दी गई हैं मुम्किन है कि वे नाकाफी हों, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ।

श्री बंसल : यह जो २३० आदमियों ने एक मैमोरेंडम पर दस्तखत किये हैं और जिसे उन्होंने आपके पास भेजा है और जिसमें उन्होंने यह लिखा है और चार्ज लगाया है कि ये नौ या दस आदमी जो निकाले गये हैं वे विक्टिमाइज किये गये हैं । क्या गवर्नमेंट ने इस चार्ज को मालूम करने की कोशिश की है और अगर की है तो क्या इत्तिला उनके पास आई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अभी अर्ज किया गया है कि एक-एक की निसबत उन्होंने हमें लम्बे जवाब भेजे हैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं । अब जो वह कहते हैं वह सही है या गलत है, इसकी जिम्मेवारी नहीं ली जा सकती है ।

श्री बंसल : पूछताछ कीजिये तो मालूम पड़े ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: पूछताछ तो की गई है लेकिन और पूछताछ कर ली जायगी ।

श्री राधा रमण : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने प्रश्न २१० के विषय मे निवेदन किया था चूंकि सब प्रश्न समाप्त हो गये हैं, इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि अब इसको ले लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ।

कन्साइज आक्सफोर्ड डिक्शनरी

*२१०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आक्सफोर्ड कन्साइज डिक्शनरी के १९५१ के चतुर्थ संस्करण की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की व्याख्या करते हुये काश्मीर को उसके राज्य क्षेत्र का अंग बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस भ्रमात्मक अंश को निकलवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लंदन में स्थित भारतीय हाई कमीशन ने इस मामले पर कन्साइज आक्सफोर्ड डिक्शनरी के संपादक से बातचीत की । संपादक ने यह कैफियत दी कि 'कश्मीर' शब्द का उल्लेख 'पाकिस्तान' शब्द की निरुक्ति देते हुए किया गया है, जैसा कि उन ब्रैकिटों द्वारा जाहिर है जो शब्दों के उद्गम को

† मूल अंग्रेजी में ।

बताने के लिये लगाये जाते हैं। 'पाकिस्तान' नामक मुहावरा, उस राजनैतिक राज्य के बनने से पहले ही गढ़ लिया गया था, और कोश के संपादकों ने 'पाकिस्तान' शब्द की जो निरुक्ति दी है उससे यह मतलब कभी नहीं निकाला जा सकता कि पाकिस्तान में किसी भी समय कश्मीर का कोई भी हिस्सा शामिल था।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मैं अंग्रेजी में उत्तर चाहता हूं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : केवल अंग्रेजी अनुवाद देने की बजाय क्या मैं उनका उत्तर बता सकता हूं ? वे कहते हैं कि उन्होंने 'पाकिस्तान' शब्द का उद्भव उस रूप में बताया है जैसा कि पाकिस्तान देश के बनने से भी पहिले समझा जाता था। वे कहते हैं कि मूलत: 'पी' पंजाब के लिए, 'ए' अफगानिस्तान के लिए 'के' काश्मीर के लिए, 'आई' ईरान आदि के लिए है। उन्होंने यह इस अर्थ में दिया है। बाद में उन्होंने कहा है कि १९४७ के बाद, यह एक राज्य का नाम है। उन्होंने इसकी इस प्रकार व्याख्या की है। सभा इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

†**श्री गाडगिल** : कुछ भी हो 'पी०' पंचशील के लिये नहीं है ?

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार इस व्याख्या को सन्तोषजनक मानती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दियासलाई उद्योग

†*२०३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **उत्पादन** मंत्री १८ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने दियासलाई के निर्माण के लिये दो सौ कुटीर उद्योग-केन्द्र खोलने का जो सुझाव दिया था, क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मोटी रूप-रेखा क्या है ;

(ग) उन उद्योग-केन्द्रों को किन किन स्थानों पर खोला जायेगा; और

(घ) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो कब तक निर्णय हो जाने की आशा है और अब तक उसमें क्या प्रगति हो चुकी है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४**]

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हरी मटर और टमाटर की बनी वस्तुओं का आयात

†*२०७. **श्री झूलन सिंह**: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोच्च दर्जे की हरी मटर और टमाटर की वस्तुओं का देश में बहुतायत से उत्पादन किया जा रहा है और तो भी इनका काफी बड़ी मात्रा में आयात करने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय की क्या स्थिति है ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)**:(क) और (ख). चूंकि मटर और टमाटर वस्तुओं का पृथक ब्यौरा नहीं रखा जाता, इन वस्तुओं के आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मटर और टमाटर के रस का आयात उपभोक्ताओं की पसंद का विषय है।

इस्पात शिल्पिकों का प्रशिक्षण

†*२११. **डा० सत्यवादी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री ९ मई, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विदेश में प्रशिक्षण के लिये कितने इंजीनियरी स्नातक चुने गये हैं ;

(ख) क्या प्रशिक्षणार्थियों का कोई दल पहले ही विदेश भेजा जा चुका है ;

(ग) यदि हां, तो उन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है और वे किन-किन देशों में भेजे गये हैं; और

(घ) देश के विभिन्न केन्द्रों में कितने प्रशिक्षणार्थी पहले से प्रशिक्षण ले रहे हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) अब तक इंजीनीयरी के १५९ स्नातक चुने गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) रूरकेला परियोजना के ७९ प्रशिक्षणार्थी पश्चिम जर्मनी भेजे जा चुके हैं; और

(घ) टाटा लोहा और इस्पात कारखाना जमशेदपुर में ११ प्रशिक्षणार्थी।

क्लोरोमाइस्टिन

†*२१४. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १९५५–५६ में कितनी क्लोरोमाइस्टिन तैयार कि गई थी;

(ख) १९५४–५५ और १९५५–५६ में कुल कितनी क्लोरोमाइस्टिन बाहर से मंगायी गयी थी, और उसका मूल्य कितना था; और

(ग) क्या क्लोरीमाइस्टिन, टैरेमाईसिन और यूरोमाइसिन बनाने की क्या सरकार की कोई योजना है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) तथा (ख). जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५**]

(ग) इस समय कोई विशेष योजना नहीं है, किन्तु इन औषधों के निर्माण का प्रश्न साधारणतया विचाराधीन है।

पैप्सू में औद्योगिक विकास

†१३१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैप्सू सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य के औद्योगिक विकास के लिये कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ख) किन-किन उद्योगों को सहायता दी जायेगी; और

(ग) ऋण और अनुदान के रूप में पृथक्-पृथक्, सरकार ने कितना धन देने का विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)**: (क) राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारम्भ योजना में कोई बड़े पैमाने की औद्योगिक परियोजना सम्मिलित नहीं थी, किन्तु इसमें ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों तथा खनिजों के विकास के लिये २१६.७६ लाख रुपये खर्च करने की योजना है। उद्योगों के लिये योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्यकारी वर्ग ने, राज्य सरकार की प्रस्थापनाओं पर विचार करने के पश्चात्, ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये २०० लाख रुपये की अस्थायी व्यवस्था की सिफारिश की, किन्तु इस शर्त पर कि कर्वे समिति की शिफारिशों की दृष्टी से इस में संशोधन किया जा सकता है।

(ख) प्रारूप योजना में कुछ योजनाओं को, जो पहली योजना में थीं, जारी रखने और कुछ इन नवीन योजनाओं को सम्मिलित करने की व्यवस्था है :—

१. औद्योगिक बस्तियों की स्थापना।

२. औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना।

३. बढ़िया चमड़े के उद्योग का विकास।

४. सहकारी औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना।

५. खनिज और संबद्ध उद्योगों का विकास।

६. विशेषीकृत व्यवसायों की संस्था।

७. सूती वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्था।

८. चमड़ा रंगने की संस्था।

९. तले के चमड़ा और उसकी रंगाई की संस्था।

(ग) अनुदानों और ऋण के द्वारा सरकार कितनी राशि देगी, यह इस समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह योजनाओं के स्वरूप पर निर्भर होगा, जिन्हें राज्य सरकार ऐसी योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार के संशोधित आवेदन और ढांचे में सम्मिलित करेगी।

समाचार चलचित्र और प्रलेखीय चलचित्र

†१३२. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल से ३० जून, १९५६ के अन्दर सिनेमाओं को कुल कितने समाचार चल-चित्र और प्रलेख चित्र बांटे गये थे, और उनके नाम क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: चलचित्र विभाग ने सिनेमाओं को १३ समाचार चलचित्र और १३ प्रलेख चित्र दिये हैं। उनके नाम नीचे दिये जाते हैं:—

समाचार चलचित्र

भारतीय समाचार दर्शन संख्या ३९० से ४०२।

प्रलेखीय चलचित्र

शीर्षक	विषय
१. रेलवे आपकी है	रेलवे का उचित उपयोग सुविधाएं और रेलवे संपत्ति।
२. जनता के जीवन में पंचवर्षीय योजना (दक्षिण प्रदेश)।	दक्षिण प्रदेश में विकास परियोजनाएं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

३.	भगवान के बच्चे . .	अस्पृष्यता का निवारण
४.	नमक की कहानी . . .	नमक का निर्माण
५.	भारत नाट्यम . . .	
६.	गोदावरी	
७.	शहद की मक्खी पालना .	
८.	औद्योगिक सुरक्षा . .	
९.	तंजोर	
१०.	पर्वतों का चमत्कार . . .	काश्मीर में ग्रीष्म और शिशर
११.	ग्रोइंग विंगज . . .	उड़ान क्लब और गलाइडर चलाना
१२.	काकरापार . .	
१३.	हर्टलैंडज से रिपोर्ट . .	आदिम जाति क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजनाएं ।

छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योग

†१३३. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ में पंजाब और पैप्सू सरकारों को छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के किन-किन उद्योगों के लिये ऋण या अनुदान मंजूर किये गये हैं; और

(ख) पंजाब तथा पैप्सू सरकारों ने कितने धन का उपयोग किया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या** २६]

विदेशों में दूकानें अथवा एम्पोरिया

१३४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विदेशों में कितने एम्पोरिया अथवा दूकानें खोली गई हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : अखिल-भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विदेशों में कोई दुकान अथवा एम्पोरिया नहीं खोले गये हैं ।

आयात की गई पैंसिलीन

†**१३५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में कितने मूल्य की पैंसिलिन बाहर से मंगवाई गई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)**: १,७९,७१,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जापान में भारतीय

†१३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जापान में कितने भारतीय राष्ट्रज़न रहते हैं ;

(ख) उनमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है, जिन्होंने जापान की नागरिकता प्राप्त कर ली है; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति अभी भी भारत के राष्ट्रजन हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). १९५४ में जापान में ५०१ भारतीय राष्ट्रजन रहते थे, जिनमें से केवल एक व्यक्ति ने जापान की नागरिकता प्राप्त की है ।

संभरण तथा उत्सर्जन

१३७. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंण्डिया भाण्डार विभाग, लन्दन और इण्डिया संभरण मिशन, वाशिंगटन पर प्रति वर्ष कितना खर्च होता है ;

(ख) इन विभागों में क्रमश: कितने विदेशी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) पिछले तीन सालों में इण्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन का सालाना खर्च इस प्रकार है:—

	इण्डिया स्टोर डिपार्टमेन्ट, लन्दन	इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन
	रुपये	रुपये
१९५३–५४	५१,७९,०९३	२१,२१,५४६
१९५४–५५ . .	५५,३०,८४०	१९,७२,२९०
१९५५–५६ . .	५६,४२,५२०	२०,२५,८००

(ख) पिछले तीन सालों में इण्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इण्डिया सप्लाई मिशन वाशिंगटन में काम करने वाले विदेशी व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:—

	इण्डिया स्टोर डिपार्टमेन्ट, लन्दन	इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन
१–१–१९५४ को	२१५	५६
१–१–१९५५ को . . .	१९२	५२
१–१–१९५६ को	१८५	४७

†मूल अंग्रेजी में ।

वाणिज्यिक सूचना और सांख्यकी महानिदेशालय

†१३८. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक सूचना और सांख्यकी महाविदेशालय से संबद्ध मंत्रणा समिति के आरंभ से लेकर अब तक इसकी कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ख) किन विषयों पर चर्चा हुई थी और क्या निर्णय किये गये थे ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) अभी तक केवल एक बैठक हुई है ।

(ख) समिति ने इन मामलों से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा की :—

(१) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये विभिन्न प्रकार के करों के बारे में सूचना देने वाली पुस्तिका का संकलन;

(२) विदेश व्यापार लेखा में माल के वर्तमान वर्गीकरण से स्टैंडर्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण पर आधारित विस्तृत सूची में बदलना; और

(३) वाणिज्यिक सूचना कार्य का विस्तार और सुधार ।

कच्चा रेशम

†१३९. **श्री धूसिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस में बाहर से मंगवाये गये कच्चे रेशम के साधारणतः कितने प्रतिशत की खपत होती है ;

(ख) १९५३, १९५४ और १९५५ में यह रेशम किस मूल्य पर बाहर से मंगवाया गया था; और

(ग) इन वर्षों में बनारस में यह रेशम किस मूल्य पर बुनकरों को दिया गया था ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) लगभग ५८ प्रतिशत ।

(ख) इन मूल्य पर यह रेशम यहां पहुंचा :

		रु.	आ.	पाई	
	१९५३	३४	११	२	प्रति पौंड
	१९५४	३१	२	३	,,
	१९५५	३०	३	४	,,

(ग)

१९५३	३७ रुपये ८ आने से ५० रुपये	,,
१९५४	३५ रुपये ८ आने से ५५ रुपये	,,
१९५५	३७ रुपये ८ आने से ४२ रुपये	,,

१९५४ के अन्त तक कच्चा रेशम सुसंस्थापित व्यापार अभिकरणों के द्वारा बाहर से मंगवाया गया था और देश के अन्दर मल्य में इस प्रकार हेरफेर हो रहा था, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है । जनवरी १९५५ से रेशम बोर्ड के द्वारा रेशम का आयात किया गया और सरकार ने विक्रय मूल्य निश्चित किया ।

---

†मूल अंग्रजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	२१३—३६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९७	भारतीय वैदेशिक सेवा . . .	२१३—१४
१९८	अम्बर चर्खा	२१४—१५
१९९	छोटी कोयला खानों का एकीकरण . .	२१६
२००	अस्पृश्यता सम्बन्धी प्रसारण . .	२१६
२०१	विद्युत उत्पादन . . .	२१६—१७
२०२	भारत बर्मा व्यापार समझौता . . .	२१७—१८
२०४	देशीय चिकित्सा प्रणाली . . .	२१८—१९
२०५	ग्राम पुस्तकालय	२१९—२०
२०६	छोटे उद्योगों सम्बन्धी सेवा संस्थायें .	२२१
२०८	त्रावनकोर-कोचीन में डी० डी० टी० का कारखाना .	२२१—२२
२०९	कोयला उत्पादन के लिये प्रविधिक कर्मचारी .	२२२—२३
२१२	रूरकेला इस्पात कारखाना . .	२२३
२१३	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग . . .	२२३—२४
२१६	भारी मशीनों का निर्माण . . .	२२४—२६
२१७	आकाशवाणी का कटक केन्द्र . . .	२२६
२१८	बर्मा शेल तेल शोधन कारखाना	२२६—२७
२१९	भावनगर तेल शोधक कारखाना परियोजना . .	२२७
२२०	प्रलेखीय चलचित्र	२२८
२२१	सिंचाई कार्यों के लिये पेप्सू को अनुदान . .	२२८—२९
२२२	सीमान्त घटनायें	२२९—३०
२२३	भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल . .	२३०
२२४	सुविधा सर्वेक्षण समिति . . .	२३०—३१
२२५	वैदेशिक सेवा निरीक्षणालय . . .	२३१
२२६	कांड मछली का तेल	२३१—३२
२२७	उत्तर बिहार में बाढ़ से बचाव की कार्यवाही .	२३२—३४
२१५	अदन में भारतीय	२३४
२१०	कन्साइज आक्सफोर्ड डिक्शनरी . . .	२३५—३९

दैनिक संक्षेपिका

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२३६–४३
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०३	दियासलाई उद्योग	२३६
२०७	हरी मटर और टमाटर की बनी वस्तुओं का आयात .	२३६–३७
२११	इस्पात शिल्पिकों का प्रशिक्षण . . .	२३७
२१४	क्लोरोमाइस्टिन	२३७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३१	पैप्सू में औद्योगिक विकास . . .	२३७–३८
१३२	समाचार चलचित्र और प्रलेखीय चित्र .	२३८–३९
१३३	छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योग . .	२३९
१३४	विदेशों में दुकानें अथवा एम्पोरिया . .	२३९
१३५	आयात की गई पैंसिलिन . . .	२३९
१३६	जापान में भारतीय	२४०
१३७	संभरण तथा उत्सर्जन	२४०
१३८	वाणिज्य सूचना और सांख्यकी महानिदेशालय .	२४१
१३९	कच्चा रेशम	२४१

भा० स० मु० ना०–वि० ३–१७४—लोक-सभा–१३-७-५७

मंगलवार, 24 जुलाई 1956

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५६

(१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

भाग २—वाद-विवाद, खण्ड ६—१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

देश में बाढ़ें १

संसद् भवन के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध . . . २

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २–४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४–५

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ५

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक . ५–६

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ७, ८–१९

सभा का कार्य ७–८

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १९–३५

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . ३५–४०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४०

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४०–४४

दैनिक संक्षेपिका ४५–४७

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४९

राज्य पुनर्गठन के बारे में याचिका . . ४९

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४९–६७

खंडों पर विचार—

खंड २ से १३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र . . ६७–८१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८१–८५

दैनिक संक्षेपिका . . ८६

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८७

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ८८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन ८८

कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . . ८८

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक —
विचार करने का प्रस्ताव ८८–१२०

दैनिक संक्षेपिका १२१

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
सरकार की वस्त्र सम्बन्धी नीति तथा हथकरघा उद्योग का भविष्य . १२३–२५

सभा का कार्य १२५

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—
खंड २ से १४ और १ . . . . . १२५–३५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५–३८

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३८–४३

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन १४३

आय-कर विभाग के कार्य-संचालन की जांच के बारे में प्रस्ताव . . १४३–६४

संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में संकल्प १६४

दैनिक संक्षेपिका १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
विशाखापटनम् बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना १६७–६८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८

कार्य-मंत्रणा समिति—
अड़तीसवां प्रतिवेदन १६८–६९

सभा का कार्य १६९

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १६९–२०५

दैनिक संक्षेपिका २०६–०७

अंक ६, मंगलवार, २४ जूलाई, १९५६ पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

विशाखापटनम बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना . . . २०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१०–११

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन २११–१३

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१३–२३

खण्ड २ से ३३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र २२३–७६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . २७६

दैनिक संक्षेपिका . २७७

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९–८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन २८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कच्छ में भूकम्प २८०–८१

श्री चिं० द्वा० देशमुख द्वारा मंत्री पद से त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य . २८१–८५

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८५–३३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३३३

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५, अंग १ . . . ३३५

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) के विधेयक के बारे में याचिका ३३५

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३३५–७८

दैनिक संक्षेपिका ३७९

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
संसद् भवन के पास प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध	३८१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३८१–८२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	३८२
राज्य पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन)	
विधेयक के बारे में याचिकायें	३८२–८३
सभा का कार्य	३८३
राज्य पुनर्गठन विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३८३, ३८३–४००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छप्पनवां प्रतिवेदन	४००–०३
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक . . .	४०४
भारतीय बालक दत्तक ग्रहण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०४–०८
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकदमेबाजी विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	४०८–१०, ४११–१२
संसद् भवन के पास प्रदर्शन	४१०–११
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१२–१३
खण्ड २, ३ और १	४१३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	४१४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१५
दैनिक संक्षेपिका	४१८-२०
अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६	
लोक लेखा समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	४२१
सभा का कार्य	४२१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	४२२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	४२२–५७
दैनिक संक्षेपिका	४५८

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६ — पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५९

अनुपस्थिति की अनुमति ४५९–६०

समिति के लिये निर्वाचन—

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ४६०

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक ४६०

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४६०–५०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५०३

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५०५

राज्य-सभा से सन्देश ५०५

राष्ट्र-मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन तथा अपनी विदेश यात्रा के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . . ५०६–०९

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . ५०९–१०

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५११–४८

खंड २ से १५ . . . ५४८–५२

दैनिक संक्षेपिका ५५३

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५५–५६

राज्य-सभा से सन्देश ५५६–५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ५५७

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५ अंक २ और ३ . . ५५७

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५५७–६००

खंड २ से १५ . . . . . ५५७–६००

दैनिक संक्षेपिका ६०१–०२

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६—क्रमशः	पृष्ठ
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	६०३–४५
खंड २ से १५	६०३–३५
खंड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३	६३५–४५
दैनिक संक्षेपिका	६४६
अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६४७
सभा का कार्य	६४८
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	६४८–७४
खंड १६ से ४९	६४८–७४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	६७५
संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रो को प्रतिनिधित्व देन में संबंधी संकल्प	६७५–९२
चल चित्रों के निर्माण तथा प्रदर्शन पर नियंत्रण एवं विनियमन के बारे में संकल्प	६९२
दैनिक संक्षेपिका	६९३
अनुक्रमणिका	(१–४३)

भा०स०मु०ना–वि० ३–२०५ लोक-सभा—१२-२-५८–१८०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोतर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोतर

(देखिए भाग १)

१२ मध्याह्न

स्थगन प्रस्ताव

विशाखपटनम् बन्दरगाह और पत्तन कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : उस दिन मैंने सभा को बताया था कि विशाखपटनम् बन्दरगाह में हड़ताल की जो धमकी दी गई है उस के बारे में मैं आज वक्तव्य दूंगा। १७ तारीख को संघ से हड़ताल की सूचना मिलने के पिश्चात् जो समय बीता है, उसमें श्रम मंत्रालय के समझौता अधिकारी और संघ के प्रतिनिधियों, तथा संघ के प्रतिनिधियों और दक्षिण-पूर्व रेलवे उप महाप्रबंधक और दूसरे पदाधिकारियों के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत का फल यह हुआ है कि हड़ताल स्थगित हो गई है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने सूचना दी है कि संघ द्वारा उठाई गई विभिन्न बातों पर चर्चा जारी करने के लिये कुछ दिनों के पश्चात महाप्रबंधक और संघ के प्रतिनिधियों के बीच और बातचीत होगी। इन में से दो बातें इस बारे में हैं कि यदि बन्दरगाह को परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में बदल दिया गया तो कुछ आश्वासन दिये जाएं। यह स्थानान्तरण विचाराधीन है और निर्णय करने से पूर्व इन बातों पर यथोचित विचार किया जायेगा।

सामान्य हड़ताल तो स्थगित हो चुकी है, बन्दरगाह में काम करने वाले १३ सिगनल कर्मचारियों की हड़ताल, जो १६ जुलाई को आरम्भ हुई थी, और जिसके कारण संघ ने सामान्य हड़ताल के समर्थन में संकल्प पारित किया अभी जारी है। हड़तालियों द्वारा की गई तीन मांगों पर पूर्णतः विचार किया गया है और मज़दूरों को उन के बारे में ठीक स्थिति बता दी गई है। समझौता करने और हड़ताल को समाप्त करने की दृष्टि से उनके साथ अग्रेतर बातचीत की जा रही है।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : जब बातचीत पूरी हो जाये तो क्या माननीय मंत्री इस हड़ताल विशेष के बारे में दूसरा वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में।

—196 L. S./56.

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्नानूर) : उस दिन मैंने बताया था कि दूसरी बन्दरगाहों के कर्मचारियों ने भी हड़ताल का नोटिस दिया है या देनेवाले हैं। इसलिये माननीय मंत्री को चाहिये कि उनकी जांच करके और उनकी कठिनाइयों को समझ कर कोई समझौता करने का प्रयत्न करें। कोचीन बन्दरगाह में भी ऐसे झगड़े हैं। वहां भी शीघ्र समझौता किया जाना चाहिये।

†**श्री अशोक मेहता** (भाण्डारा): बम्बई बन्दरगाह में क्रेन चलाने वाले लोग रविवार से हड़ताल पर हैं। क्या माननीय मंत्री इस संबंध में वक्तव्य देने की कृपा करेंगे?

†**श्री फ्रेंक एंथनी** (नाम निर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : माननीय मंत्री इस दृष्टिकोण से मामले की जांच करें कि पत्तनों के कर्मचारियों को परिवहन मंत्रालय के नियंत्रण में न दिया जाय। उनके क्लेशों का मुख्य कारण यही है और कैम्ब्रिज समिति ने भी इनको रेलवे मंत्रालय से स्थानान्तरित न करने की सिफारिश की थी। अतः इस मामले पर इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री अलगेशन** : मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव विशाखपटनम की हड़ताल की धमकी तक ही सीमित है। अतः आप माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई दूसरी बातों का उत्तर न देने का आदेश देंगे।

जहां तक सिगनलमैनों की हड़ताल का सम्बन्ध है, यदि आप ऐसा अनुदेश दें, तो बातचीत पूरी हो जाने और संतोषजनक समझौता हो जाने के पश्चात, मुझे इस विषय में यहाँ वक्तव्य देने में कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक श्री फ्रेंक एंथनी की बात का संबंध है, अर्थात् पत्तन कर्मचारियों को रेलवे मंत्रालय के नियंत्रण से परिवहन मंत्रालय के नियंत्रण में स्थानान्तरित करने के बारे में, जो वक्तव्य दिया है उस में इसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। परिवहन मंत्रालय में पत्तन कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने की अवस्था में, कर्मचारियों ने कुछ मांगें की थीं, उन्हें यथोचित आश्वासन दिये गये हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं, उनको ध्यान में रखा जायगा।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या माननीय मंत्री का यह अभिप्राय है कि जब पत्तन कर्मचारियों को परिवहन मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा तो वर्तमान कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और अधिकार आदि कम नहीं किये जायेंगे?

†**श्री अलगेशन** : इन सब बातों पर यथोचित विचार किया जायेगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैंने कोचीन पत्तन की हड़ताल का प्रश्न उठाया था, किन्तु उसका उत्तर नहीं दिया गया है। हमारे कहने पर उन्होंने हड़ताल स्थगित की थी। क्या उनके साथ भी ऐसा ही समझौता किया जायेगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य से स्थगन प्रस्ताव की स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाता है। इस कारण प्रस्ताव को अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे मामलों के बारे में रेलवे और परिवहन के प्रभारी मंत्रियों ने सभासदों के विचार सुन लिये है। मुझे विश्वास है समुचित कार्यवाही की जाएगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन और इंडियन एयरलाइंज कारपोरेशन क वार्षिक प्रतिवेदन

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्न प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हू :

(१) एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन—१९५४-५५।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०—२५६/५६]

---

†मूल अंग्रेजी म।

(२) इंडियन एयर लाइंज़कारपोरेशन का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०—२५७/५६]**

समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) नियम

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैं प्रैस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ की धारा २०–क की उपधारा (२) के अन्तर्गत समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५१९, दिनांक २८ जन, १९५६, में प्रकाशित किये गये थे। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एस०—२५८/५६]**

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन नामावलियों की तैयारी) नियम

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन नामावलियों की तैयारी) नियमों १९५६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो विधि मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३४९, दिनांक ११ जन, १९५६ में प्रकाशित किये गये थे। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एस०—२५९/५६]**

†**श्री शं० शा० मोरे** (शोलापुर) : ये महत्वपूर्ण नियम सभासदों में भी परिचालित किये जाने चाहियें।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : क्या बड़े अधिनियम, लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम १९५१ के अधीन नियम इसी सत्र में सभा के सामने लाये जाएंगे ?

†**श्री पाटस्कर** : जब वे तैयार हो जायेंगे तो उनको सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पंचवर्षीय योजना की 'ग' समिति की कठिनाइयां और उनका सार

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं पंचवर्षीय योजना की 'ग' समिति की कार्यवाही और उनका काम सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एस०—२६५/५६ और एस०—२६६/५६]**

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम २१ जुलाई, १९५६ को श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेंगे : अर्थात्

"कि यह सभा १८ जुलाई, १९५६ को सभा को प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं जो पांच अन्य सदस्यों के नाम में भी है, जिसका आशय इस प्रतिवेदन में दिये गये तीनों विधेयकों के नियत किये गये समय को बढ़ाना है। ये बड़े महत्वपूर्ण विधान हैं, और इन से देश के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में बड़ा भारी परिवर्तन होगा, अतः इन के लिये समय बढ़ा दिया जाना चाहिये। सरकारी सदस्यों की चर्चाओं को समाप्त करने की मनोवृत्ति को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिये और साथ ही चर्चा की समाप्ति का

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री कामत]

प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । इन विधयकों के लिये कम समय नियत किया गया है । अतः इनके महत्व को देखते हुए अधिक समय नियत किया जाना चाहिये और मेरा संशोधन स्वीकार भी कर लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कामत का संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

†**श्री म० श० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : यदि समय कम है तो हम देर तक बैठ सकते हैं ।

†**श्री शं० शा० मोरे** (शोलापुर) : राज्य पुनर्गठन विधेयक इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और इसके द्वारा बड़े भारी परिवर्तन होने वाले हैं और इसके बारे में लोगों में बड़ा जोश फैला हुआ है और यह इस चर्चा का अन्तिम अवसर है, इस लिये पर्याप्त समय नियत किया जाना चाहिये । जो समय आपकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है वह भी इसके लिये नियत किया जाना चाहिये, ताकि अधिक लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें और इस विधेयक के पारित होने में अधिक सुभीता हो ।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्) : सारा राज्य पुनर्गठन विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है, परन्तु इस विषय पर पहले भी कई बार चर्चा की जा चुकी है और पर्याप्त समय दिया जा चुका है । यद्यपि कार्य मंत्रणा समिति के कांग्रेसी सदस्यों में भी इसके लिये नियत किये गये समय के बारे में मतभेद था तथापि मंत्रणा समिति ने एक मत से इस विधेयक के लिय ३० घंटे और संविधान संशोधन विधेयक के लिये १५ घंटे नियत किये हैं । आवश्यकतानुसार अध्यक्ष को समय बढ़ाने की भी शक्ति दी गई है । अब उस निर्णय को बदलना उचित प्रतीत नहीं होता । जब समिति ने सब बातों का विचार करके समय नियत किया है, तब हमें उसका पालन करना चाहिये ।

†**श्री गाडगील** (पूना–मध्य) : राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर पर्याप्त चर्चा हुई थी और फिर इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई थी । चूंकि हम सब मानते हैं कि चर्चा प्रजातंत्र की आत्मा है, इस लिये हमें पर्याप्त चर्चा का अवसर देना चाहिये ।

साधारणतया कार्य मंत्रणा समितिके एक मत से दिये गये निर्णय का विरोध नहीं होना चाहिये परन्तु यह असाधारण मामला है, अतः इसके लिये पर्याप्त चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिये । प्रजातंत्र का सिद्धांत है कि लोगों को अपने ख्याल व्यक्त करने के लिये समुचित और पर्याप्त अवसर मिलना चाहिये, किन्तु मैं १०० घंटे का समय इनके लिये नहीं चाहता, जिसका कि माननीय मित्र श्री कामत ने सुझाव दिया है ।

मेरा सुझाव है कि आप राज्य पुनर्गठन विधेयक के लिये ६० घंटे का समय नियत करें । आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि वास्तव में सदस्यों को बोलने के लिये और अधिक समय देने की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि आप उस स्वविवेक का उपयोग करें ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों जब इस मामले पर विचार हो रहा था, तो मैं यहां नहीं था ।

†**श्री कामत** : इस पर तो यहां बिलकुल ही विचार नहीं हुआ ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा तात्पर्य कार्य मंत्रणा समिति से है । मेरे साथी गृह-कार्य मंत्री, जो इस से प्रमुख रूप से सम्बन्ध रखते हैं, दुर्भाग्यवश आज बुखार से पीड़ित हैं और वह सभा में नहीं आ सके । किन्तु मैं समझता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया गया था और विरोधी दल के सदस्यों तथा इस सभा के अन्य दलों की भावना को सन्तुष्ट करने के लिये सरकार की ओर से मूल रूप से जितने समय का सुझाव दिया गया था उसमें पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है । जैसा कि विरोधी दल के एक सदस्य ने कहा है, इसे चर्चा का गला घोंटना नहीं कहा जा सकता फिर भी आखिर-कार इसके लिये समय ४५ घंटे कर दिया गया था । सरकार यह नहीं चाहती कि इस प्रकार के विधेयक पर चर्चा करने के समय में इतनी कमी कर दे कि जिस से उस पर विचार करना लाभदायक न

†मूल अंग्रेजी में ।

सिद्ध हो अपितु प्रत्येक चर्चा की एक सीमा तो होती ही है। कभी-कभी बड़ी लम्बी-चौड़ी और अनिश्चित चर्चा करने पर भी विधेयक पर उचित ढंग से पूरी तौर पर चर्चा नहीं हो पाती। मेरा निवेदन यह है कि कार्य मंत्रणा समिति के सर्वसम्मति से किये गये निर्णय के प्रति हमें कुछ सम्मान प्रदर्शित करना चाहिये। यदि आप विद्यमान परिस्थितियों में आवश्यक समझें तो आपको अधिकार प्राप्त है कि आप कुछ समय बढ़ा दें। यह आपके स्वविवेक की बात है। मेरे मित्र श्री गाडगील ने आपके स्वविवेक के बारे में कुछ कहा है। जहां तक आपके स्वविवेक का सम्बन्ध है, किसी को भी, विशेषकर सरकारी पक्ष का कोई भी सदस्य उसको चुनौती नहीं दे सकता। यदि आप समझते हैं कि इस विषय का कोई पहलू विशेष भली प्रकार नहीं रखा जा सका है, इसलिये कुछ और समय दिया जाना चाहिये, तो मुझे इसमें सन्देह नहीं कि आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करेंगे और हम सब उससे सहमत होंगे। किन्तु मैं निवेदन करूंगा कि यह कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सुझाये समय नियतन को ही मान लें।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस विशेष मामले में कार्य मंत्रणा समिति ने यह कहा है कि यदि चर्चा पर और अधिक व्यक्तियों के विचारों के व्यक्त किये जाने की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह समिति द्वारा नियत समय को बढ़ा दें। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ऐसा न हो कि कहीं चर्चा में किसी दल को बोलने का अवसर न मिले। अतः मैं इस पर प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखूंगा कि अध्यक्ष के स्वविवेक के अनुसार समय में वृद्धि की जाये।

†**श्री एस० एस० मोरे :** इसके लिये तो पहले से ही सहमति प्राप्त है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अतः मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के १८ जुलाई, १९५६ को सभा में प्रस्तुत किये गये अड़तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा २० जुलाई, १९५६ को श्री खंडूभाई देसाई द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर और आगे चर्चा करेगी :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम १९४६ में और आगे संशोधन करने तथा औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इसके लिये १० घंटे का समय नियत किया गया है और ५ घंटे ५ मिनट का समय बीत चुका है। सभा इस बात पर सहमत है कि छः घंटे सामान्य और चार घंटे खण्डवार विचार के लिये नियत कर दिये जायें। माननीय मंत्री उत्तर देने में कितना समय लेंगे ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) :** लगभग आध घंटा।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर पन्द्रह मिनट और बचें हैं .....

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखपटनम्) : मेरा एक सुझाव यह है कि वर्तमान समय नियतन के हिसाब से विधेयक को ५.३० म० प० तक जारी रखा जाये और बिहार पश्चिमी बंगाल (क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक को कल लिया जाये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: हम इस सुझाव को मानने के लिये तैयार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस विधेयक के लिये एक घंटे का समय और मिल जायेगा। अब मैं श्री शि० ला० सक्सेना को बोलने के लिये कहूंगा।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** (एलुरु) : उनके भाषण आरम्भ करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि कल भी मैंने अपना नाम भेजा था किन्तु मुझे न तो कल ही और न आज ही बोलने का अवसर दिया गया जब कि जिन लोगों ने नाम नहीं भेजे थे, उनके नाम पुकारे गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : चाहे किसी ने नाम भेजा हो अथवा नहीं, बोलने का अवसर सभी को मिलेगा। माननीय सदस्यों को नाम भेजने के साथ ही खड़ा भी हो जाना चाहिये।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : मैं तो अपने माननीय मित्र से पहले ही खड़ा हुआ था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ सकी। दोनों माननीय सदस्यों को अवसर मिलेगा।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** : (ज़िला गोरखपुर–उत्तर) : इस प्रकार के विधान का एक ऐसा पहलू है, जिस की ओर अभी तक किसी ने ध्यान आकर्षित नहीं किया। मैं माननीय मंत्री का ध्यान उसी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

विद्यमान औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक विवाद को पहले समझौता पदाधिकारी के पास भेजा जाता है। उस पर समझौता न होने की दशा में सरकार के पास रिपोर्ट आने पर यदि सरकार उचित समझती है तो उसे न्याय-निर्णयन के लिये भेजा जाता है। कई बार सरकार ने इस विकल्प का विरोधी पक्ष के विरुद्ध दुरुपयोग किया है। कई महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार के हो चुके हैं जिनमें केवल मज़दूर संघ के सरकार के पक्ष में न होने के कारण उनका निदश न्याय-निर्णयन के लिये नहीं किया गया। माननीय मंत्री ने इस विधेयक के बारे में आश्वासन दिया है कि सरकार स्वविवेक का दुरुपयोग न कर सके, इसे दूर करने के लिये वह एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे। किन्तु वह संशोधन मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अतः मेरा सुझाव यह है कि धारा १२, में संशोधन करें जिससे प्रत्येक मज़दूर को यह अधिकार मिल सके कि वह न्याय-निर्णय का सहारा ले सके।

उद्योग में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कि मज़दूर यह समझे कि उसके अभियोग की सुनवाई होगी और न्याय-निर्णय की व्यवस्था हो सकेगी। हड़तालों और औद्योगिक विवादों के ये ही तो मुख्य कारण हैं किन्हीं विशेष मज़दूर संघों को प्रधानता देने के बजाय प्रत्येक मज़दूर को यह अधिकार होना चाहिये कि वह न्याय-निर्णय का सहारा ले सके। इससे श्रम पदाधिकारियों को पर्याप्त शक्ति मिल जाती है। कई बार तो श्रम पदाधिकारी उद्योगपतियों के पक्ष में झुक जाते हैं, जिसका कारण है––घूसखोरी। इस प्रकार उद्योगपति ही इस असन्तोष के लिये उत्तरदायी है। अनेक पत्रों में इस बात के लिये जोर दिया गया है कि इस संबंध में संशोधन करने की आवश्यकता है। अभी कल ही और इससे पूर्व भी मैं इसके बारे में अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि वर्तमान अधिनियम के खंड १० और ११ में संशोधन किया जाये।

कम से कम सरकार को इतना तो करना ही चाहिये कि कुछ ही मामलों में वह मज़दूरों को यह अधिकार दे दे। मान लीजिये कि न्यायालय के द्वारा मज़दूरों और मालिकों में समझौता नहीं होता तो मज़दूर को न्याय-निर्णयन के पास तक जाने का अधिकार मिलना चाहिये। इससे स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा। क्योंकि मज़दूर यह समझेंगे कि उनकी शिकायतों पर न्याय किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यदि सरकार को यह भी स्वीकार न हो तो मज़दूर को, जिसे काम से हटा दिया गया है, यह अधिकार स्वतः ही मिलना चाहिये कि वह न्याय-निर्णयन के लिये जा सके। उदाहरण के लिये सतना पटसन मिल में एक हज़ार मज़दूरों को निकाल दिया गया है और गैर-कानूनी ताला बन्दी की गई।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : कब ?

†**श्री शि० ला० सक्सेना** : अभी पिछले ही वर्ष। मैंने सभा में इस पर प्रश्न उठाया था। श्रम पदाधिकारी मज़दूरों के प्रतिनिधि के रूप में मैंने और मिल मालिक संघ के मंत्री, तीनों ने मिलकर इस मामले को न्याय-निर्णयन के लिये भेजा था क्योंकि कुछ तय नहीं हो सका था किन्तु तीन मास के पश्चात सरकार ने यह निश्चय किया कि यह मामला न्याय-निर्णयन के उपयुक्त नहीं है। इससे काफी अशान्ति फैली। इसी प्रकार श्रम पदाधिकारियों की जेब भी गरम कर दी जाती है जिससे सारी मशीनरी में भ्रष्टाचार फैलता है।

१५ बीस वर्ष सेवा करने के पश्चात मज़दूर को न्याय-निर्णयन के लिये जाने का स्वतः अधिकार होना चाहिये।

मैंने तीन संशोधन प्रस्तुत किये हैं। पहला इस संबंध में है कि यदि किसी मज़दूर के मामले का निवारण समझौता बोर्ड द्वारा नहीं होता तो उसे औद्योगिक न्यायाधिकरण में जाने का स्वतः अधिकार होना चाहिये। यदि यह बात स्वीकार न हो तो कम से कम लोगों को यह अधिकार तो मिलना ही चाहिये ज़िनके मामलों की अपील अपीलीय न्यायाधिकरण में की जा सकती है। यह अधिकार सभी निकाले गये लोगों को मिलना चाहिये जिससे वे न्यायाधिकरण की शरण ले सकें।

ये बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर माननीय मंत्री अपने वचन का पालन करेंगे। मुझे यह भी आशा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय समय-सीमा में छूट देकर मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। श्रमजीवी बहुत दिनों से इस विधेयक की प्रतीक्षा में थे। भारत में मज़दूर इसलिये असन्तुष्ट है कि पूंजीपति और उद्योगपति किसी न किसी बहाने से छंटनी का तरीका बरतते जा रहे हैं। केन्द्र का विधि मंत्रालय छंटनी के शिकार बने मज़दूरों की सहायता करने में असमर्थ है।

जब आज हम समाज के समाजवादी ढांचे की बात करते हैं तो इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि मज़दूर संतुष्ट रहें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आरम्भ हो गया है, जो एक औद्योगिक योजना है। इस कारण मज़दूरों का सहयोग प्राप्त करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस विधेयक से उन्हें पूर्ण सन्तोष नहीं होता। यद्यपि मैं समझता हूं कि यह विधेयक अव्यवस्थित है, फिर भी वह तत्काल लागू हो जायेगा। पूंजीपतियों ने जिस कमी से लाभ उठाया है उसे अब दूर करना चाहिये।

मज़दूर संघों को मान्यता देने के बारे में भी मज़दूरों को शिकायत है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक में विलम्ब क्यों हो रहा है। मज़दूर संघ इतने सुदृढ़ होने चाहियें कि वे मालिकों को मान्यता देने के लिये विवश कर सकें। इस देश में सारे वर्ग के लोग, यहां तक कि मज़दूर तक अभी मज़दूर संघ को ठीक से समझ नहीं सके हैं। इसके आलावा मज़दूर संघ आन्दोलन में भाग लेने वाले मज़दूर को यह भी भय बना रहता है कि वह कहीं अपनी नौकरी से हाथ न धो बैठे। अतः सरकार को चाहिये कि सभी मज़दूर संघों को मान्यता दे। कई उदाहरण ऐसे देखने में आये हैं जिनमें मज़दूरों को मज़दूर संघ बनाने के कारण निकाल दिया गया। मज़दूर संघों को मान्यता देने का प्रश्न

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ब० स० मूर्ति]

यथाशीघ्र तय करना चाहिये। यह प्रश्न १९३७ से चल रहा है किन्तु आज तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अब वह समय आ गया है जब कि श्रम मंत्रालय को चाहिये कि वह मज़दूर संघ के कार्यकर्ताओं का उचित संरक्षण कर उन्हें वस्तुतः मान्यता देने का कार्य करे।

इस संबंध में मैं धारा ३३ का उल्लेख करता हूं। पहले जब तक विवाद पर निर्णय नहीं हो जाता था तब तक उन्हें काम से अलग नहीं किया जाता था किन्तु आज तो उद्योगपति या पूंजीपति किसी न किसी बहाने उसे निकाल कर ही दम लेते हैं। अतः मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा अभी तक जो अधिकार मज़दूरों को मिला हुआ था, वह पुनः वापस दे दिया जाये।

मेरी समझ में यह बात भी नहीं आई कि न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये पंचाट में सरकार क्यों हस्तक्षेप करने लगती है? इतना ही नहीं यदि सरकार पंचाट में कोई परिवर्तन करना चाहेगी तो उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। अच्छा तो यह हो कि दोनों पक्ष मिल कर पंचाट पर सहमत हों और उसे कार्यान्वित करें। सरकार को इस बारे में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिये भले ही उसके कारण मालिक अथवा मज़दूरों को कुछ हानि पहुंचे। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से औद्योगिक जगत में पुनः शांति स्थापित हो सकेगी। अतः एक बार पुनः मैं माननीय श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बात की भरसक कोशिश करें कि इस विधेयक के द्वारा मज़दूर वर्ग का वास्तव में लाभ हो सके।

†**श्री त० ब० विट्ठलरावः** (खम्मम्): मुझे विवश होकर कहना पड़ रहा है कि वर्तमान विधेयक समाज के समाजवादी ढांचे के उपयुक्त नहीं है। जब हम औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के लिये संशोधनकारी विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो हमें स्मरण रखना चाहिये कि इससे करोड़ों की संख्या में मज़दूरों पर असर पड़ेगा। इस कारण मुझे आशंका है कि माननीय मंत्री ने इस विधेयक को जितना, महत्वपूर्ण समझना चाहिये था, नहीं समझा है।

इस विधेयक की कुछ विशेषतायें हैं जैसे श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को समाप्त करना। इस बारे में हमें प्रसन्नता है। इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बिहार-बंगाल सीमा पर स्थित कोयले की खानों के मज़दूरों को दो दिन का सवेतन राष्ट्रीय अवकाश मिलना चाहिये जिसमें मालिकों को लगभग ७ लाख रुपये देने पड़ते थे। इस मामले पर अभी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय दिया है कि ऐसा होना चाहिये।

रेलवे की स्थायी समझौता व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। मुख्य श्रम आयुक्त पदाधिकारियों तक को यह अधिकार नहीं कि रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों की जांच कर सकें। समझौता पदाधिकारी द्वारा ऐसे झगड़ों का निर्देश करने पर रेलवे के अधिकारी उत्तर तक नहीं देते। हमें रेलवे उपमंत्री ने बताया कि जहां तक समझौता पदाधिकारियों की शक्तियों का सम्बन्ध है औद्योगिक विवाद अधिनियम रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता।

†**श्री आबिद अली :** मैंने यह कब कहा? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** खड़गपुर हड़ताल के सिलसिले में आपने यह बात कही थी। अब रेलवे विवादों के प्रश्न को लीजिये। समझौता व्यवस्था और प्रादेशिक श्रम आयुक्त आदि का कार्य क्या है? आप देखेंगे कि रेलवे कर्मचारियों की बहुत कम शिकायतें दूर की गई हैं।

जब कभी मज़दूर हड़ताल करने के बारे में न्याय-निर्णयन के लिए अपनी कुछ शिकायतें भेजना चाहते हैं तो सरकार उनमें से दो-चार शिकायतें चुन लेती है और शेष को यों ही छोड़ देती है। वस्तुतः ऐसा करना बुरा है। यदि मज़दूर उनमें से किसी शिकायत के बारे में हड़ताल करते हैं, जिसका निर्देश सरकार ने न्याय-निर्णयन को नहीं किया था तो हड़ताल 'गैर कानूनी' घोषित कर पुलिस का उपयोग किया जाता है। अतः सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये। न्याय-निर्णयन के निर्णय पर ही सरकार को कार्य करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अब मैं मज़दूर संघों की मान्यता का प्रश्न लेता हूं। सरकार का कहना है कि राजनीतिक विरोध के कारण ही विभिन्न उद्योगों में इतने अधिक संघ हैं। किन्तु माननीय न्यायाधीश के० सी० सेन का कहना है कि अनिवार्य न्याय-निर्णयन का सहारा लेने के कारण ही इतने संघ बने हैं। मेरा तो मत यह है कि सरकार को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिये, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो। अतः जब हम यहां इस बात पर ज़ोर देते हैं कि संघों को मान्यता देने के लिये स्थायी उपबन्ध होना चाहिये तो फिर सरकार संघों को मान्यता देने वाले स्थायी उपबन्ध बनाने के लिये डरती क्यों है? हमने संघों को मान्यता देने के बारे में एक बड़ी स्वस्थ प्रक्रिया का सुझाव दिया था वह यह कि किस संघ को प्रतिनिधि संघ समझा जाना चाहिये इसका निर्णय करने के लिये एक गुप्त शलाका होनी चाहिये। नैनीताल सम्मेलन में यह सुझाव स्वीकार भी कर लिया गया था। मैं नहीं जानता कि अभी तक यह लागू क्यों नहीं किया गया है। संघों को मान्यता देने के संबंध में कोई संविहित उपबन्ध न होने के कारण बहुत सी हड़तालें होती हैं और औद्योगिक शान्ति भंग होती है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि कुछ संघों द्वारा दुःसोहसपूर्ण कार्यवाही करने के कारण किसी संघ को दण्ड दिया जाये। फिर, एक और मामला है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कभी कभी, मालिक लोग कहते हैं कि "जब तक आप अमुक व्यक्ति को कार्यकारिणी से नहीं हटाते तब तक मैं आपके संघ को मान्यता नहीं दूंगा।" यदि मालिक लोग ऐसा करते हैं तो यह बहुत ही अनुचित होगा। अतः मैं सुझाव देता हूं कि संघों को मान्यता देने के बारे में संविहित उपबन्ध होना चाहिये।

कोयला खान संबंधी अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने हाल में ही एक विनिर्णय दिया था कि कर्मचारियों के मामलों में केवल वेतन पर ही विचार किया जाय। फिर, कहा गया है कि कुछ धाराओं के अन्तर्गत सरकार ने नियम बनाने की शक्ति ले ली है। इन शक्तियों का मुझे कटु अनुभव है। उदाहरणार्थ, खान अधिनियम, १९५२ में पारित हुआ था, परन्तु इसके अन्तर्गत अभी तक नियम नहीं बनाये गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि हम अभी तक किसी अधिकारी या प्रबन्धक पर अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोग नहीं चला सके हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से ज़ोरदार शब्दों में कहता हूं कि वह यथाशीघ्र नियम बनायें। इन में एक मास से अधिक समय नहीं लगना चाहिये।

मूल अधिनियम की धारा ३३ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हाल में हमारी एक शाखा में हड़ताल हुई थी। प्रबन्ध कार्यवाही कर चुका है और संबंधित मज़दूरों को मुअत्तिल कर दिया है और इसके साथ उन्होंने उन्हें नौकरी से हटाने के लिये न्यायाधिकरण की अनुमति मांगी है। जहां मालिक लोग देखते हैं कि उनका पक्ष सबल है, वे तुरन्त कार्यवाही करते हैं और मज़दूरों को नौकरी से हटा देते हैं या मुअत्तिल कर देते हैं। जहां देखते हैं कि उनका पक्ष कमज़ोर है वहां वे विलम्ब करते हैं। अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जब हम उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं; हमारे देश में औद्योगिक शांति होनी चाहिये। मज़दूरों के लिए कुछ सुरक्षा होनी चाहिये। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि धारा ३३, जिस रूप में मूलतः पारित की गई थी, उसी रूप में रहने दी जाये। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि धारा ३३ का संशोधन न रखा जाये।

†**श्री खंडूभाई देसाई**: श्रीमान, मैं इस विधेयक पर हुई चर्चा को बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं। मैं यह अवश्य स्वीकार करूंगा कि इस चर्चा से मुझे बहुत सी बातों का पता लगा है। परन्तु इतने पर भी, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह अवश्य कहूंगा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सभा में इस विधेयक का जो संशोधन रखा गया है उसका इस चर्चा से सम्बन्ध है। जहां तक मेरे संशोधनों का संबंध है, मैं आरम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वे संशोधन परामर्श दात्री मंत्रणा समिति

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री खंडूभाई देसाई]

में विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप रखे गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मत था कि यह विधेयक यथा-शीघ्र पारित होना चाहिये ; और इस पर एकदम विचार करने से सहमत होने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति का आभारी हूं। यह ठीक है कि मैंने जिन संशोधनों की पूर्व सूचना दी है उनमें वे सारी बातें नहीं रखी गई हैं, क्योंकि सरकार उनसे सहमत नहीं है।

जहां तक चर्चा का सम्बन्ध है, सारे लोगों ने चाहे वे किसी भी दल के हों, इस विधान का स्वागत किया है। यह ठीक है कि कुछ बातों में उन्होंने हम से और आगे कार्यवाही करने को कहा है। "कर्मकार" की परिभाषा के बारे में मालिकों का विश्वास है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इससे औद्योगिक उत्पादन कम हो जायेगा। दूसरी ओर, यह विचार है कि हम काफी आगे नहीं बढ़े हैं। हमने परिभाषा में इस प्रकार संशोधन किया है कि मालिकों के प्रतिनिधि उसमें न आयें। मैं मज़दूरों का प्रतिनिधि होते हुए भी यह नहीं चाहता कि जिन लोगों को मालिकों ने अनुशासनात्मक कार्यवाही, आदि करने की शक्ति दे रखी है, वे 'कर्मकार' की परिभाषा में आयें। अन्यथा, वे सारी बात बिगाड़ देंगे। हम देखेंगे कि वर्तमान परिभाषा का क्या परिणाम होता है। यदि विधि को लागू करने से मालिक लाभ उठाना चाहता है या उससे बचने की चेष्टा करता है तो मैं सभा को आकर कहूंगा कि यह प्रयोग असफल रहा और मालिकों ने विधेयक को उचित रूप में नहीं लिया। हम "कर्मकार" में उन पर्यवेक्षकों को भी सम्मिलित करते हैं जिनका वेतन ५०० रुपये प्रति मास से कम है। हमारा विश्वास है कि जिन्हें ५०० रुपये से अधिक मिलते हैं, वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। फिर, जिन्हें ५०० रुपये से कम मिलते हैं परन्तु उनका काम सर्वथा प्रबन्धात्मक या प्रशासनात्मक है, उन्हें भी हमारी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वे स्वयं प्रबन्ध के एक अंग हैं और यदि उनके प्रति कोई अन्याय होता है, तो वह देश की साधारण विधि के अधीन प्रबन्ध के साथ कार्यवाही कर सकते हैं।

मेरे सम्मानित पूर्वाधिकारी, श्री गिरी इस बात के लिए बहुत इच्छुक हैं कि हम इस सारे विधान को समाप्त कर "सामूहिक सौदेबाज़ी" का प्रयोग करें। मैंने अभी उस प्रक्रिया का प्रशिक्षण किया है। मेरा ९९ प्रतिशत जीवन सामूहिक समझौतों तथा आन्दोलनों में व्यतीत हुआ है। मेरा सदैव यह मत रहा है कि स्वेच्छा से किया गया समझौता या मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रश्न को स्वेच्छा से रखना सर्वोत्तम हल है। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। अतः हमने इस विधेयक में उपबन्ध किया है कि स्वेच्छापूर्वक मध्यस्थ निर्णय या समझौते को वैध मान्यता दी जानी चाहिये। वर्तमान काल में हमें महसूस करना चाहिये कि पूर्ण स्वेच्छा-कारिता की धारणा पुरानी हो गयी है। समाज या समुदाय मज़दूरों या प्रबन्ध को अव्यवस्था से काम करने की अनुमति नहीं दे सकता। समाज को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि साधारणतया उससे समाज का हित सम्बद्ध होता है जो आरम्भ में एक वर्ग को प्रभावित करे। अतः अन्तिम कार्यवाही के रूप में सरकार इन विवादों को न्याय-निर्णयन के लिये भेजने की शक्ति लेती है। यह सच है कि पुरानी आदतें बहुत ही मुश्किल से छुटती हैं। परम्परागत विचार प्रणाली तो दोनों ओर है परन्तु यह साधारणतया वर्ग संघर्ष पर आधारित है। मैं महसूस करता हूं कि साम्प्रदायिक और वर्ग संबंधी घृणा के स्थान पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की भावना और समस्या को सुलझाने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिये। इसके साथ ही यह विचार भी होना चाहिये कि मज़दूर और प्रबन्ध दोनों ही स्वयं समुदाय के हित में कार्य कर रहे हैं। समुदाय का हित सर्वोच्च है और उन्हें अपने आपको संसद् के निश्चयों के अनुकूल बनाना चाहिये। आज पता नहीं कितनी बार हम पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है, और मैं भी उत्तर देता हूं कि यह सर्वथा निराधार है। मै कहता हूं कि भेद-भाव का कोई प्रश्न नहीं है। हम सारे मामलों पर उनके गुणों के आधार पर निर्णय करते हैं। आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

१९४४ और १९४५ में भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ कांग्रेस ने, जिसे स्वार्थी लोगों ने बदनाम कर दिया है, न्याय-निणयन के लिये सरकार के सामने २,२४३ मामले रखे थे। सरकार ने न्याय-

†मूल अंग्रेजी में।

निर्णयन के लिये १,०६३ मामले भेजे। इनका प्रतिशत ४७.४ है। अखिल भारतीय मज़दूर संघ कांग्रेस ने, १,७६९ मामले रखे और ८७४ मामले न्याय-निर्णयन के लिये भेजे गये, जिनका प्रतिशत ४९.४ होता है। हिन्द मज़दूर सभा ने हमारे सामने १,०७७ मामले न्याय-निर्णयन के लिये रखे। हमने ५९३ मामले न्याय निर्णयन के लिये भेजे, जिनका प्रतिशत ५५ होता है। मेरा ख्याल है कि यह अन्तिम आरोप है और अब वे आरोप न लगाएं।

एक वक्ता ने---मेरा ख्याल है कि वह श्री गिरि थे---कहा था कि यदि अनिवार्य न्याय-निर्णयन का उपबन्ध हो तो समझौता कार्यवाही एक प्रहसन बन जाती है। मैं आंकड़ों का उल्लेख करते हुए उत्तर दूंगा। सरकार उपक्रमों में, १९५४ में ५९९९ मामले समझौता व्यवस्था के पास भेजे गये थे। इसमें से ३७७५ मामले समझौता व्यवस्था द्वारा निबटाये गये। १९५५ में सौंपे गये मामलों की संख्या ९०५९ थी और निपटाये गये मामलों की संख्या ४३५५ थी। इससे समझौता व्यवस्था की कार्य कुशलता प्रकट होती है। जो मामले निपटाये नहीं जा सके उनमें से अधिकतर न्याय-निर्णयन के लिये राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार के पास आ गये हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में, १९५०-५१ से १९५४-५५ तक ८५१२ मामले न्याय-निर्णयन के लिये भेजे गये थे और उनमें से ६२८७ निपटाये गये।

†**श्री व० वें० गिरि :** (पातपटनम) : मेरा तो इरादा यह है कि अनिवार्य न्याय-निर्णयन के होते हुए, दोनों पक्ष अपनी सारी बातें व्यक्त नहीं करेंगे। अतः न्याय-निर्णयन अनावश्यक है।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** मैंने जो आंकड़े सभा के समक्ष रखे हैं उनसे प्रमाणित होता है कि केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग ७३ प्रतिशत मामले शांतिपूर्ण तरीके से निपटाये गये। राज्य क्षेत्र में, न्याय-निर्णयन व्यवस्था के होते हुए भी ५० प्रतिशत मामले निपटाये गये।

†**ठाकुर युगल किशोर सिंह** (मुज़फ्फरपुर---उत्तर पश्चिम) : क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है जिससे मालूम हो कि जितने प्वाइंट्स डिस्प्युट्स के थे वे कांसिलिएशन मशिनरी के द्वारा तय हो गये हैं।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** मैं इसका पता लगाने और किसी समय सभा के सामने रखने का प्रयत्न करूंगा।

न्याय-निर्णयन व्यवस्था के बारे में यह कहना कि यह समाप्त की जाय या नहीं, श्री व० वें० गिरी या श्री खंडूभाई या किसी संसत्सदस्य का काम नहीं है। यह महसूस करना तो मज़दूरों का काम है कि यह लाभदायक है या नहीं। जहां तक मज़दूरों का सम्बन्ध है मैं मानता हूं कि समझौता-व्यवस्था और न्याय-निर्णयन व्यवस्था लोक प्रिय हो गई है। १९४७ में अधिनियम पारित होने से लेकर १९५५ तक ८८५७ मामलों का न्याय-निर्णयन हुआ है। मैं सभा को यह भी बता दूं कि इनमें से अधिकतर मामलों के न्याय-निर्णयन मज़दूरों के कहने पर किये गये थे।

अब हमें यह देखना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ पिछले नौ वर्षों में सफलता-पूर्वक लागू रहा है या नहीं। मैं समझता हूं कि यह हर प्रकार सफल रहा है। सभा में प्रत्येक ने यह बात स्वीकार की है कि हमने जो संशोधन किये हैं उनसे पर्याप्त सुधार हुआ है। औद्योगिक संबंध व्यवस्था की सफलता या असफलता की क्या कसौटी है? कसौटी यह है कि कम हड़तालें हुई हैं, मैत्री-पूर्ण समझौते अधिक हुए हैं तथा मज़दूरों व मालिकों ने अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर परस्पर मेल कर लिया है।

इस संबंध में मैं सभा को कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मैं इस संबंध में अच्छी बात या बुरी कुछ नहीं कहूंगा। १९४७ में हड़ताल के कारण १ करोड़ पसठ लाख दिन के काम की हानि हुई और आजकल यह हानि कुल ३३ लाख रह गयी है अर्थात् पहले का पांचवां भाग। हमें यह देखना है कि समझौतों की इस व्यवस्था से मालिक और मज़दूर एक दूसरे के निकट आ गये हैं या नहीं। मेरा यह दावा है कि इसके कारण मालिक और मज़दूर एक दूसरे के निकट आ गये हैं। इसका प्रमाण यह है कि पिछले वर्ष में चार ऐसे मुख्य मामले थे जिन पर समझौता हुआ और जो इस समय तक तय नहीं हो पाये थे।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री खंडूभाई देसाई]

बम्बई मिल मालिक संस्था और मज़दूरों की संस्थाओं के बीच न केवल बोनस बल्कि इस संबंध में भी समझौता हो गया है कि भविष्य में सभी विवादों पर न्याय-निर्णय करवाया जाय। मेरे माननीय मित्र श्री गिरि की यह इच्छा है और मैं उनसे सहमत हूं। अहमदाबाद कपड़ा मज़दूर संस्था ने भी ऐसा ही काम किया है।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : आजकल समझौता भंग हो गया है ।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** यदि ऐसा है तो मध्यस्थता की जा सकती है। जमशेदपुर में कई बड़े समझौते हो गये हैं जो लगभग स्थायी महत्व के हैं। उदाहरण के लिये बोनस के बारे में दस लाख बागान मज़दूरों और उनके मालिकों में बड़ा महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जिसे हम अर्द्ध स्थायी समझौता कह सकते हैं। ऐसे तीन चार समझौतों से देश के लगभग १५ लाख मज़दूरों का सम्बन्ध है। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी होगी यदि यह विधि जिसमें हम संशोधन चाहते हैं, निष्क्रिय हो जाये। सरकार मज़दूरों के विषय में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती और ऐसा समय बहुत जल्दी आ जायेगा।

कुछ बातों का उत्तर मेरे साथी श्री आबिद अली ने दे दिया है, अतः मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। किन्तु एक बात म अवश्य बताना चाहता हूं और वह धारा ३३ और ३३-क के बारे में है। मैं तो एक व्यवहारिक श्रम संघ का व्यक्ति हूं और मैंने जिन्दगी भर मज़दूर समस्याओं पर विचार किया है। यहां मज़दूरों के एक सैद्धांतिक विशेषाधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है किन्तु मुझे विश्वास है कि इस संशोधन के द्वारा उन्हें धारा ३३ और ३३-क की अपेक्षा वास्तविक अधिकार प्राप्त होंगे। स्थिति यह है कि यदि किसी झगड़े का फैसला होने से पहिले मज़दूरों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला है तो उनके पांच पदाधिकारियों की रक्षा हो जाती है अर्थात् उनके विपरीत कोई कदम उठने से पहले नियोजक को अदालत में दावा करना पड़ता है, किन्तु यदि अन्य व्यक्तियों से वह असन्तुष्ट है तो उन्हें एक महीने की मजूरी देकर अलग कर सकता है और बाद में अनुमोदन के लिये न्यायाधिकरण के पास जा सकता है। यह एक सुधार है क्योंकि धारा ३३-क के अधीन मजदूर को जाना पड़ता था और अब यह काम नियोजक को करना पड़ेगा।

†**श्री नम्बियार :** मज़दूर तो पुराना ही कायदा चाहते हैं।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** जी नहीं, मज़दूरों और मालिकों के सम्बन्धों के बारे में मैं भी बहुत कुछ जानता हूं।

फिर भी मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक का भली भांति अध्ययन करें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध होगा। किसी भी नियोजक द्वारा किसी मज़दूर पर कोई आकस्मिक आपदायें नहीं लादी जा सकतीं। उसे २१ दिन का नोटिस देना पड़ेगा और इस बीच में दोनों दलों को समझौते का अवसर दिया जायगा। इस नोटिस की सूचना सरकार को भी दी जायेगी। अतः सरकार भी समझौते का आदेश दे सकती है।

स्थायी आदेशों में भी जो परिवर्तन किये जा रहे हैं वे विचारणीय हैं। पहले नियोजक के निर्णय पर वे आदेश स्थायी बनाये जा सकते थे किन्तु अब यह उपबन्ध किया गया है यदि मज़दूर चाहें तो वे कहा सुनी करके उसमें परिवर्तन करा सकते हैं और प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी यह निश्चय कर सकते हैं कि कोई स्थायी आदेश उचित है या अनुचित। केवल इतना ही नहीं, हमने श्रमिक अदालत में भी अपील का उपबन्ध किया है। यह अदालत औद्योगिक सम्बन्धों के लिये स्थायी रूप से रहेगी। हम इसके क्षेत्राधिकार को यथानुभव विस्तृत करेंगे। यह एक ऐसा स्थान होगा जहां पर मज़दूर, किसी वकील की सहायता के बिना भी फौरन जा सकेंगे और सभा को इस दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत विधेयक पर विचार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अब मैं केवल दो बातें और स्पष्टीकरण के लिये कहना चाहता हूं। हम अपीलीय अदालतों को हटा रहे हैं। मेरे मित्र श्री श्रीकान्तन नायर किसी न किसी रूप में अपील को रखना चाहते हैं। शायद वे श्री सोमानी से सहमत हैं। मैं इस विषय पर बहस करना नहीं चाहता कि अपील अच्छी चीज़ है या बुरी, किन्तु श्रमिक वर्ग अपीलीय न्यायालयों के पक्ष में नहीं है। स्थिति यह नहीं है कि श्रमिकों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है बल्कि यह है कि न्याय में बहुत विलम्ब हो जाता है। अब अपीलीय न्यायालयों के स्थान पर हमें जो भी अदालत नियुक्त करनी है वह अच्छी और आदरणीय होनी चाहिये। न्यायाधीशों की योग्यता सम्बन्धी कुछ संशोधन प्रस्तुत अवश्य किये गये हैं किन्तु उन में और सुधार की जरूरत है अतः मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।

डाक्टर लंका सुन्दरम् और श्री गोपालन का यह कहना है कि ऐसी त्रिसूत्री प्रणाली की क्या आवश्यकता है जब कि केवल एक अदालत से काम चल सकता है। किन्तु हमारा संविधान फैडरल किस्म का है। कुछ विषय राज्यों के अधीन रहते हैं और कुछ केन्द्र के। अतः दो अदालतें रखनी पड़ती हैं, एक तो राज्य सरकार के लिये और एक केन्द्रीय सरकार के मामलों के लिये। ये दोनों अदालतें पृथक् पृथक् होती हैं और एक अदालत से दूसरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। इसके पश्चात् विधेयक पर गौर करने से पता चलता है कि केन्द्र सरकार पहली बार ऐसे प्रश्नों की शक्ति अपने हाथ में ले रही है जो राष्ट्रीय महत्व के हों जिनका सम्बन्ध एक से अधिक राज्य से हो अथवा जो व्यापक आर्थिक विषयों के कारण राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिये महत्वपूर्ण हों। पहले तो हम किसी न्यायाधीन मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे किन्तु अब यदि कोई मामला राज्य अदालत में चल रहा हो तो उसे हम वहां से हटाकर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में ला सकते हैं और कार्यवाही फिर से प्रारम्भ कर सकते हैं। उस मामले की जो भी कार्यवाही राज्य अदालत में हुई हो वह अवैध हो जायेगी। हमने राज्य सरकारों को इसके लिये राज़ी कर लिया है।

श्रमिक अदालत तृतीय श्रेणी में आती है। इसका काम मामूली औपचारिक विषयों को निपटाना है जैसे स्थायी आदेशों को लागू करना या न करना और इस के पास श्रमिक सीधा जा सकता है। हम छोटी-छोटी बातों के लिये राज्य अदालत अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों को तंग नहीं करना चाहते। अतः यह उपबन्ध किया गया है कि जिस फैक्टरी अथवा संस्था में १०० से कम व्यक्ति हों वहां राज्य और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण उसके मामले स्थायी रूप से श्रमिक अदालतों को सौंप दें।

ये ही इस विधेयक की मुख्य बातें हैं। ये सब बातें पारस्परिक समझौतों की हैं जो औद्योगिक विषयों में आवश्यक हैं किन्तु उनमें कोई भी बात अन्तिम रूप से निश्चित नहीं की जाती। समयानुसार हमें अनुभव होता रहता है। १९४७ में औद्योगिक विवाद अधिनियम जिस रूप में तैयार किया गया, वह काफी संतोषजनक सिद्ध हुआ और उससे हमारी आकांक्षायें बहुत कुछ पूरी हुईं और इस विधेयक के बारे में भी यह बात सभा में स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुकी है कि इससे और अधिक सुधार हुआ है और इससे पिछले ९ वर्षों के लाभ में और वृद्धि होगी।

एक बात संपरिवर्तन के बारे में कही गयी थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं संपरिवर्तन वाले खंड से सहमत हूं। हम पुरानी और परम्परागत रीतियों का ही पालन नहीं किए चल सकते अतः हमें संपरिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इस चीज को हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिये। इस समय औद्योगिक न्यायाधिकरण में केवल एक न्यायाधीश है। कोई अपील भी नहीं की जाती किन्तु कभी कभी ऐसा हो सकता है कि संपरिवर्तन की जरूरत पड़े, इसलिये इसका उपबन्ध किया गया है। इसकी रक्षा के लिये हमने यह प्रबन्ध किया है कि जनता के हित में, यदि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर कोई आघात पहुंचता हो तो सरकार संपरिवर्तन कर सकती है।

इस विषय में मेरे मित्रों ने यह आपत्ति की कि राष्ट्रीय हित के नाम पर जब कभी कोई संपरिवर्तन होगा, वह प्रबन्धकों के पक्ष में ही होगा। किन्तु हमने एक संशोधन में यह उपबन्धित

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री खंडूभाई देसाई]

किया है कि केवल राष्ट्रीय आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए अथवा सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए संपरिवर्तन किया जाये। पहले यह उपबन्ध विधेयक में नही था किंतु अब इसे शामिल करने की अपेक्षा की है।

हमने यह भी उपबन्ध किया है कि पन्द्रह दिन पहले संसदीय पटल पर रखे बिना ऐसा कोई भी सुधार लागू नहीं किया जायेगा। यदि इस अवधि में संसद कुछ न कहे तो उसे लागू किया जायेगा अन्यथा इस अवधि में संसद् को अधिकार है कि वह उसकी स्वीकृति, अस्वीकृति अथवा संपरिवर्तन का संकल्प प्रस्तुत करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि सामाजिक न्याय अथवा आर्थिक दृष्टिकोण के कारण कोई संपरिवर्तन किया गया तो वह भारतीय गणतंत्र की संसद् ही कर सकेगी। मैं समझता हूं कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी।

अब मुझे केवल एक बात और कहनी है। हमने विभिन्न अनुसूचियों में परिवर्तन अथवा सुधार के कुछ अधिकार अपने हाथ में लिये हैं क्योंकि अधिनियम लागू होने पर यदि हमें यह पता चला कि कहीं कोई बात रह गई है तो हमें स्वतः उसमें सुधार करना पड़ेगा। ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है। जब संशोधनों पर विचार किया जायेगा उस समय मैं इस विषय पर कुछ और प्रकाश डालूंगा। लगभग सभी संशोधन मिलते-जुलते हैं, फिर भी कहीं न कहीं अंतर तो रहता ही है और माननीय सदस्य भी इधर या उधर कुछ संशोधन करना चाहेंगे। मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि चाहे हम कितना ही प्रयत्न करें सब बातों में समन्वय स्थापित नहीं हो सकता क्योंकि संसार में बड़ी जल्दी परिवर्तन हो रहें हैं और वास्तविक समस्या के प्रति तदनुसार हमारा दृष्टिकोण भी बदल रहा है।

पहले श्री गिरि, श्री जगजीवन राम और बाद में मुझे इस विषय में जनता का मत जानने का उत्तरदायित्व आया। हमने इस बात का यथाशक्ति प्रयत्न किया कि लोगों को समझा बुझाकर एक समन्वित विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जाये। किन्तु ऐसा संभव न हो सका। समन्वय लाने की चेष्टा में ही हमें इतना विलम्ब हो गया। चाहे जनता पसंद करे या नहीं, सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस विषय में अपना निश्चय प्रकट करे। इस प्रकार पिछले सितम्बर में हमने यह विधेयक प्रस्तुत करने का निश्चय किया क्योंकि हम समझते हैं कि मज़दूरों और मालिकों के विवादों को निबटाने में यह विधेयक सब से अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।

श्रीमान्, यह विधेयक बड़ी विनम्रता के भाव से सभा में रखा गया है। क्योंकि यह विधेयक कुछ घंटों के पश्चात् ही अधिनियमित होने जा रहा है, अतः मुझे पूर्ण आशा है कि यह सभा इसके साथ पूरा पूरा न्याय करेगी। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि यदि इसको कार्यान्वित करते समय किसी प्रकार की कठिनाई आयेगी और यह सभा मुझे कुछ समय देने को सहमत होगी तो मैं इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा संशोधन करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाऊंगा जिससे कि दोनों पक्ष एक दूसरे के समीप आ सकें।

किन्तु इस समय मैं देश में वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुसार यह अन्दाजा लगा रहा हू कि लोग इस औद्योगिक विवाद विधि की अधिक चिन्ता नहीं करेंगे। और भगवान करे लोग आपसी समझौतो पर ही अधिक बल दें और इस प्रकार मेरे मित्र श्री गिरि की इच्छा सफल हो। वास्तव में जिस दिन ऐसा होने लगेगा वह दिन हमारे लिये स्वर्ण दिवस होगा।

अब सभा को विभिन्न दलों द्वारा रखे गये संशोधनों पर विचार करना शुरू कर देना चाहिये। विशेष रूप से मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि वह उन संशोधनों को स्वीकार करने की कृपा करे जो कि मैंने रखे हैं। और उसे वे संशोधन उसी भावना में स्वीकार करने चाहियें जिसमें कि वे प्रस्तुत किये गये हैं। वे विधेयक में और संशोधन करने की भावना से प्रस्तुत किये गये हैं।

†**श्री नम्बियार :** माननीय मंत्री एक बहुत ही आवश्यक बात को भूल गये हैं कि किसे मान्यता दी जाये ? यदि वह इसकी व्याख्या कर सकते तो .....

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मान्यता इस विधेयक का अंग नहीं है। जहां तक इस विधि विशेष का संबंध है—अर्थात् किसी औद्योगिक विवाद पर पंचाट द्वारा विचार किये जाने का संबंध है—इस के लिये सभी यूनियनें मान्यता प्राप्त हैं। सभी यूनियनें पंचाट के सामने आ सकती हैं और अपने मामले की पैरवी कर सकती हैं।

मान्यता के बारे में, शायद मेरे मित्र श्री नम्बियार के मस्तिष्क में वह संकल्प है जो कि पहले किसी समय इस सभा में रखा जा चुका है। उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूं अर्थात् मैं यह विश्वास नहीं करता हूं कि सभी यूनियनों को अनिवार्यतः मान्यता दे दी जानी चाहिये। वास्तव में यह अनिवार्य मान्यता क्या है? इसका यह अर्थ है कि किसी को यह कहा जाये कि आप अमुक को, अर्थात् यूनियन को स्वीकार कर लें। तब मालिक यह कह दे कि "हां, मैं औपचारिक रूप से इसे स्वीकार करता हूं।" तब वह यूनियन के प्रतिनिधियों को चाय के लिये आमंत्रित करे और उनके साथ दो चार चिकनी चुपड़ी बातें करके कह दे कि "मैंने आपको मान्यता दे दी है।"

†**श्री क० क० बसु** (डायमंड हार्बर) : मान्यता का यह अर्थ नहीं है।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : वास्तविकता में यही होता है।

ऊपर कहे गये संकल्प के संबंध में, मैंने कोई ४००० यूनियनों का जो कि हमारे रजिस्टर में थीं सर्वेक्षण किया था। १९४७ में उनकी संख्या लगभग २००० थी। अतः यह कहना कि ट्रेड यूनियनों आन्दोलन का गला घुट रहा है, सर्वथा गलत है। मैं अभी और जांच भी कर रहा हूं। इन ४००० में से लगभग ९० प्रतिशत यूनियनें जो कि दृढ़ आधार पर आधृत हैं आज मान्यता प्राप्त हैं। और उनको यह मान्यता बिना किसी ऐसे विचार के दी गई है कि वे किस मुख्य संघ से सम्बन्धित हैं। जब मैं इस सभा के सामने सब तथ्य रखूंगा तब मैं सब को यह बताऊंगा कि इन सब यूनियनों को कैसे मान्यता दी गई है। जिन यूनियनों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है उनके सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्नावली भेजी है कि क्या कुछ ऐसी यूनियनें भी हैं जिनको कि अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, क्या वे पंजीबद्ध हैं अथवा नहीं, तथा क्या उनमें किसी प्रकार की त्रुटि आदि है। यदि उनमें कुछ त्रुटि अथवा गड़बड़ी होगी तो मैं उनमें तथा मालिकों में सद्भावना पैदा करने की कोशिश करूंगा। और उनको एक दूसरे के समीप लाने का प्रयत्न करूंगा ताकि वे स्वेच्छा से ही उन्हें स्वीकार कर लें। यदि उस तरीके से ही वे यूनियनें मान्य कर ली गईं तब फिर हमें इसके लिये कोई विधि बनाने की आवश्यकता नही पड़ेगी। यह सबसे अच्छे प्रकार की मान्यता है और साथ ही यह अनिवार्य मान्यता भी नहीं होगी जो कि किसी पर जबरदस्ती लादी जाये।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम १९४६ में और आगे संशोधन करने तथा औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : अब हम विधेयक पर खंडशः विचार करेंगे। सबसे पहले हम खंड २ पर विचार करेंगे।

†**श्री नम्बियार**: सरकार ने लगभग सभी खंडों पर संशोधन की एक बड़ी संख्या की सूचना दी है। जब तक उन्हें औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता, हम कैसे विधेयक पर चर्चा कर सकते है?

†**सभापति महोदय** : खंड २ पर कोई संशोधन नहीं है। सामान्यतया सरकार को भी अपने संशोधन प्रस्तुत करने पड़ते हैं। समय आने पर वह अपने आप प्रस्तुत कर देगी। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[सभापति महोदय]

दूसरे खंडों के संबंध में जो सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हों वे १० मिनट में सचिव के पास पहुंचा दें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या हम ये संशोधन खंडशः रखें अथवा एक साथ ही ?

†**सभापति महोदय** : खंडशः संशोधन रखने पर बहुत समय लगेगा। अतः जब तक हम खंड २ पर चर्चा समाप्त करें उस समय तक सदस्य अपने सभी संशोधन लिख कर भेज दें।

†**श्री० अ० म० थामस** (एरणाकुलम): क्या हम सब खंडों को कुछ वर्गों में नहीं बांट सकते हैं ?

†**सभापति महोदय** : इतने अधिक संशोधन नहीं हैं। अतः इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खंड २ पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३—(धारा २ का संशोधन)

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १ में पंक्ति २४ के बाद ये शब्द रखे जाएं :

"(aa) in clause (bb) for the words Imperial Bank of India, the words State Bank of India and the Reserve Bank of India shall be substituted"

["(कक) खंड (खख) में इंपीरियल बैंक आफ इंडिया के स्थान पर "स्टेट बैंक आफ इंडिया और रिजर्व बैंक आफ इंडिया शब्द रखे जायंगे"]

(२) पृष्ठ २, पंक्ति २९ में—

"person" ["व्यक्ति"] के स्थान पर "such person" ["ऐसा व्यक्ति"] शब्द रखे जाएं।

[पृष्ठ २, पंक्ति २९—

"व्यक्ति" के स्थान पर "ऐसा व्यक्ति" रखा जाये।]

इसके पश्चात् निम्नलिखित संशोधन और प्रस्तुत किये गये :

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री तुषार चटर्जी	४५
श्री वेंकटरामन्	४६, ४७, ४८
श्री राजाराम शास्त्री	६०, ६१
श्री सु० चं० देव	११२
श्री नी० श्रीकान्तन नायर	११३, ११४, ११५
ठाकुर युगल किशोर सिंह	६४, ६५

†मूल अंग्रेजी में।

सभापति महोदय : ये सभी संशोधन अब सभा के सामने हैं।

श्री तुलसीदास : (मेहसाना पश्चिम) : क्या मैं श्री सोमानी के नाम का संशोधन संख्या ७३ प्रस्तुत कर सकता हूं ?

सभापति महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा कि क्या किसी सदस्य को किसी दूसरे सदस्य के नाम का संशोधन प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जा सकती है। इस समय उपरोक्त संशोधन तथा खंड ३ सभा के सामने हैं।

†**श्री वेंकटरामन्** (तंजोर) : मुझे आशा है कि मेरे संशोधन संख्या ४६, ४७ और ४८ में से कोई एक अवश्य स्वीकार कर लिया जाएगा। हमारे सम्मुख जो संशोधक विधेयक है उसमें दी गयी शब्द 'कामगर' की परिभाषा उस विधान से संगत नहीं है जो इस संबंध में हम पारित कर चुके हैं। इससे विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ गयी है।

आस्ट्रेलिया के विधान में शब्द 'कर्मचारी' की जो कि शब्द 'कामगर' के सदृश है, परिभाषा की गयी है "किसी भी उद्योग का कोई भी कर्मचारी"। यदि आप भी इसी प्रकार की परिभाषा रखें और फिर एक प्रतिबंधक खंड द्वारा प्रबन्धक के रूप में कार्य करने वालों को इस परिभाषा से विमुक्त कर दें तो आपका प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा। तब औद्योगिक न्यायालयों के सम्मुख यह प्रश्न नहीं उठेगा कि कोई व्यक्ति कोमगर है या नहीं।

किन्तु यह कर देने पर भी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं होती। कृपया खंड (४) को देखिये। इसका परिणाम यह होगा कि किसी प्रधान कार्यालय में ४०० रु० या ५०० रुपया पाने वाला अधीक्षक का काम करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत आएगा जब कि किसी बाहर के कार्यालय में प्रबन्धक के रूप में काम करने वाला १०० रु० या १२० रु० मासिक पाने वाला व्यक्ति इस विधेयक के लाभ से वंचित हो जाएगा।

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में श्रम संबंध विधेयक में मालिकों तथा कर्मचारियों दोनों न जो परिभाषा स्वीकार की थी उसके अनुसार दो बातें आवश्यक थीं : (१) उसका आधार वेतन न्यूनतम ३५० रु० हो (जो अब इस विधेयक में ५०० रु० है) और (२) वह प्रबन्धक का कार्य कर रहा हो। किन्तु अब जो विधेयक हमारे सामने है उसमें ५०० रु० से कम पाने वाला व्यक्ति भी, यदि वह प्रबन्धक का कार्य कर रहा है, विधेयक में संरक्षण से विमुक्त होगा। दूसरी ओर ५०० रु० से अधिक पाने वाले टेकनीकल व्यक्ति इसके अन्तर्गत आयेंगे। यह स्थिति किंचित असंगत है।

मैंने अपने संशोधन संख्या ४६ में यह अपेक्षा की है कि प्रबन्धक कार्य की परिभाषा से संबंधित दोनों उपखंडों को हटाकर उनके स्थान पर श्रम संबंध विधेयक का यह खंड रख दिया जाए :

"जो मुख्यत: प्रबन्धक या प्रशासनात्मक रूप में काम कर रहा है और जिसका आधार वेतन (भत्तों को निकाल कर) पांच सौ रुपये प्रति मास से कम नहीं है।"

यदि यह स्वीकार्य नहीं हो तो कम से कम हम इसे श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के समतल पर लायें। मेरा संशोधन संख्या ४७ इससे सम्बन्धित है। और यदि यह भी स्वीकार्य नहीं हो कम से कम यह तो किया जा सकता है कि शब्द अथवा के स्थान पर 'और' रखा जाए।

†**श्री नम्बियार** : मैं श्री वेंकटरामन् के संशोधन संख्या ४६ का समर्थन करता हूं। ५०० रु० कुल वेतन न होकर आधार वेतन होना चाहिये। कभी कभी लोगों को ३५० रु० या उससे भी कम आधार वेतन मिल सकता है और भत्ता आदि मिला कर यह ५०० रु० हो जाता है, जो बहुत अच्छा वेतन प्रतीत होता है। मेरी प्रार्थना है कि इस भत्ते को हमें सम्मिलित नहीं करना चाहिये। मुझे आशा है श्री वेंकटरामन् का संशोधन संख्या ४६ स्वीकार कर लिया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री तुषार चटर्जी** (श्रीरामपुर) : मेरा संशोधन संख्या ४५ ह। मुझे यह कहना है कि 'कामगर' की परिभाषा में ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों का कोई जिक्र नहीं ह। हम सब जानते हैं कि जो श्रमिक ठेके पर काम करते हैं उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बहुत कम लाभदायक होती है। व वैधिक लाभ से वंचित होते हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करके "कामगर" की परिभाषा में ठेके के श्रमिकों को भी सम्मिलित कर लेंगे।

†**सु० चं० देव** (कचार-लुशाई पहाड़ियां) : मेरा संशोधन संख्या ११२ है। शनिवार को अपने भाषण के दौरान में माननीय उपमंत्री ने कहा था कि शब्द "टेकनीकल कार्य" में चिकित्सक, कलाकार आदि व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। किन्तु महज़ सदन में उनका वक्तव्य देना काफी नहीं होगा। न्यायालय द्वारा उनके वक्तव्य का ख्याल नहीं किया जाएगा। चिकित्सक, नर्सें, कम्पाउन्डर, शिक्षक इत्यादि टेकनीकल व्यक्ति नहीं हैं और "टेकनीकल कार्य" की परिभाषा में वे नहीं आयेंगे क्योंकि ये लोग 'पेशेवर' हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि शब्द 'पेशेवर' जैसा कि अमेरिका के विधान की परिभाषा में है यहां भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। इस वर्ग के लोग शब्द 'टेकनीकल' के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

मालिक लोग बड़े चतुर होते हैं। कानून में कहीं भी कोई कमी रह जाने पर वे उसका लाभ उठाते हैं और कामगरों का शोषण करते हैं। इसलिये अधिक अच्छा यह है कि सरकार अभी से इस कानून में कोई कमी न छोड़े जिससे बाद में अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े।

†**श्री राजा राम शास्त्री** (जिला कानपुर मध्य) : सभापति महोदय, मैं, अपने अमेंडमेंट (संशोधन) नम्बर (संख्या) ६० और ६१ को हाउस के सामने पेश करता हूं।

जब से यह कानून बना है तब से मैं देखता हूं कि "वर्कमैन" की डेफीनेशन (परिभाषा) के सम्बन्ध में कभी कोई शब्द बदला जाता है तो कभी कोई शब्द जोड़ा जाता है। किसी भी इंडस्ट्रीज (उद्योग) में कोई भी एम्प्लायर (नियोक्ता) अगर तनख्वाह देकर किसी व्यक्ति को नौकर रखता है तो उस को वर्कमैन की डेफीनेशन (परिभाषा) में आ जाना चाहिये ताकि रोजमर्रा की यह झगड़ेबाजी कि कभी उसमें क्लर्क शामिल होता है, कभी टैकनीशियंस शामिल किये जाते हैं तो कभी सुपरवाइजर को उसकी डेफीनेशन (परिभाषा) के अन्दर शामिल किया जाता है, यह सब झगड़ा मिट जाना चाहिये। साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि जो बदली मज़दूर हैं उनको भी वर्कमैन की डेफीनेशन में आना चाहिये। हर एक कारखाने के अन्दर बदली मज़दूरों की बहुत बड़ी तादाद होती ह। यह लोग लगातार सालों तक काम किया करते हैं, लेकिन मालिकान की कोशिश यही रहा करती है कि किसी तरह से उनको कानून से बाहर ही रखें। इस तरह से वह मज़दूरों को परेशान किया करते हैं और नहीं चाहते हैं कि उनको कायदे और कानून की कोई सहूलियत मिल सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि हजारों मज़दूर जो कि बदली के नाम से मशहूर हैं, उनको भी इस कानून में शामिल किया जाय।

यहां पर कंट्रैक्ट लेबर (ठेके के श्रमिक) की बात कही गई। अभी उस दिन जब मैं उपमंत्री जी का भाषण सुन रहा था तो उससे मैं यही समझा कि इस विधेयक में जो वर्कमेन (श्रमिक) की डेफिनेशन (परिभाषा) दी गई है उसमें कंट्रैक्ट लेबर भी आ जाती है ऐसा उनका विचार ह। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इस डेफिनेशन में कंट्रैक्ट लेबर नहीं आती। यदि मंत्री जी यह समझते हैं कि कंट्रैक्ट लेबर इसमें आ जाती है तब मेरे ख्याल से हम लोगों का संशोधन है कि कंट्रैक्ट लेबर की बात को जोड़ दिया जाय, उससे विधेयक में ज्यादा सफाई हो जायगी क्योंकि मैं समझता हूं जब कभी किसी अदालत में कोई मुकदमा जाता है तो वकील लोग यह नहीं देखते कि जब इस सदन में बहस हुई तो किस मेम्बर ने किस शब्द का क्या इंटरप्रटेशन लगाया। वह तो यही कहते ह कि कानून में यह शब्द लिखे हुए हैं और उसी को लेकर बहस करते हैं। अगर एक्सप्रेस (स्पष्ट) या इम्प्लाइड (निहित) माने में कोई वकील कंट्रैक्ट लेबर को लाना चाहेगा तो उसको मुश्किल पड़ेगी। इसीलिये मेरा एक संशोधन यह भी है कि इसमें कंट्रैक्ट लेबर को आना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

साथ ही साथ मैं यह नहीं समझ पाया कि डिफेन्स इस्टैब्लिशमेंट (रक्षा कर्मचारी वर्ग) में जो सिविलियंस (असैनिक) काम करते हैं उनको गवर्नमेंट कानून के बाहर रखने की कोशिश क्यों करती है। मेरा एक संशोधन यह भी है कि डिफेन्स इस्टैब्लिशमेंट (रक्षा कर्मचारी वर्ग) के अन्दर जो सिविलियंस (असैनिक) हैं उन कर्मचारियों को भी इस वर्कमैन की डेफिनिशन में आना चाहिये। अगर वे लोग इस डेफिनिशन में आते हैं तो वास्तव में हजारों कर्मचारियों को इस कानून का लाभ पहुंचेगा। डेफिनिशन में सुपरवाइजरी और टेकनीकल वर्क के सम्बन्ध में जो कुछ वेंकटरामनजी ने कहा, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि जो भाषा रखी गई है उससे वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है जो कि हम चाहते हैं। इसलिये मैं भी समझता हूं कि इसका साफ करना बहुत जरूरी है। वर्ना यह होगा कि जो आदमी ५०० रुपये से ज्यादा पाता होगा उस को भी मैनेजीरियल स्टाफ में नहीं गिना जायेगा, और दूसरी तरफ अगर एक आदमी ५० रू० भी पा रहा होगा तो उसको मैनेजीरियल स्टाफ में गिना जायेगा और इस तरह से मालिक लोग उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर इन सब बातों को देखकर यह विधेयक ठीक कर लिया जायेगा तो उससे ज्यादा मजदूर इसके दायरे में आ सकेंगे और काम सहूलियत से हो सकेगा। इतना कहते हुए मैं अपने संशोधन उपस्थित करता हूं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं अपने ६४ और ६५ नं० के संशोधन पेश करता हूं। उनमें वही चीज है जो कि वेंकटरामन् जी ने कहा है। जब सरकार की ओर से मंजूर कर लिया गया है कि कंट्रैक्ट लेबर इस में आ सकती है, और उस दिन आबिद अली साहिब ने भी कहा था कि वाचमैन (चौकीदार) को भी इस में शामिल करने का इरादा रखते हैं तो फिर इस विधेयक को झगड़े का घर क्यों बनाया जाता है ? कोर्ट के सामने इसके लिये अलग से फरियाद क्यों हो और इस को साफ करने में क्या हिचकिचाहट होती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अभी हमारे खंडूभाई साहब ने भी कहा कि जिस तरह दुनिया बदलती है उसी तरह वह भी बदलते हैं। एक दिन नेता थे तब वह कुछ और सोचते थे और जब आज मंत्री हो गये हैं तो उनका आउटलुक (दृष्टिकोण) बदल गया है। आज मंत्री हो जाने की वजह से वह उन दिक्कतों को भूल गये हैं जो कि वह नेता होने के समय महसूस किया करते थे। मैं समझता हूं कि उनमें इतना चेंज नहीं होना चाहिये। जो दिक्कतें आज वर्कर्स को उठानी पड़ रही हैं उनको जरूर उनको दूर करना चाहिये।

दूसरे इस विधेयक में यह रक्खा गया है : "स्किल्ड (प्रवीण), अनस्किल्ड (अप्रवीण) या मैनुअल (हस्तश्रम)"। मालूम होता है कि आप ने डेफिनिशन (परिभाषा) में सिर्फ उस नाम के लिये कुछ नाम रख दिये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप की मंशा सचमुच काम करने वाले मजदूरों को सुविधा देने की है, तो वह आप की मंशा बिना विधेयक को सुधारे पूरी नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत से लोग किसी न किसी रूप से बाहर निकल जायेंगे। जैसे नर्सेज के बारे में, डाक्टर के बारे में और स्कूल टीचर्स (अध्यापक) के बारे में मैं देखता हूं कि उनको ट्राइब्यूनल (न्यायाधिकरण) के ऐवार्ड (पंचाट) से निकाल दिया गया है। इसके अन्दर कौन आ सकता है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जब आप यह मानते हैं कि इस विधेयक में आप काम करने वाले सभी लोगों को रखें तो मेरा ख्याल है कि जो मेरे एमेंडमेंट का उद्देश्य है कि इसमें डाइरेक्टली (प्रत्यक्षतः) और इंडाइरेक्टली (अप्रत्यक्षतः) या कंट्रैक्टर (संविदाकर्ता) की जो लेबर (श्रमिक) है उस को शामिल कर लिया जाय।

दूसरे जो आपने इस में मैनेजीरियल (प्रबंध संबंधी) और एडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनिक) की बात रखी है, तो आपको डिफाइन करना होगा कि मैनेजीरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव किसे कहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ट्राइब्यूनल के सामने झगड़ा होगा। इसलिये इन सब चीजों को आप ठीक कीजिये और "आर" (अथवा) को हटा कर यहां पर "ऐंड" (और) कर दीजिये। दूसरे जिस आदमी को ५०० रु० तनख्वाह मिलती हो और वह मैनेजीरियल काम करता हो, उस को इस में से हटाइये, औरों को इस विधेयक में वर्कर की डेफीनेशन में रखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं श्री तुषार चटर्जी तथा श्री राजा राम शास्त्री के संशोधन के समर्थन में कुछ कहना चाहती हूं। मेरा विचार है कि श्री राजा राम शास्त्री का संशोधन अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें वह कर्मचारी भी आ जाते हैं जिनके साथ भूतकाल में न्याय नहीं हुआ है तथा जिन्हें सेवा की सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई है जो कि 'बदली' कामगरों तथा ठेके के कामगरों को मिलनी चाहिये थी। बहुत सा कार्य बड़ी संस्थाओं में अब भी ठेके से किया जाता है तथा ठेकेदारों के मज़दूर इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि उनको भी इसके अधीन लाया जाये जिससे किसी भी प्रकार की असमानता न रह जाये। कुछ दिन पूर्व ही बर्ड एण्ड कम्पनी के आदिवासी कर्मचारियों ने हड़ताल के पश्चात् ठेके के कर्मचारी होने पर भी 'रोग मजदूरी' आदि, के अधिकार प्राप्त किये हैं। इसलिये हमें असमानता को दूर कर देना चाहिये। बदली मज़दूरों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि जूट मिलों में कितने ही बदली कर्मचारी हैं तथा जब भी छंटनी होती है तब हम केवल उन कर्मचारियों के जिनके नाम रजिस्टर में होते हैं, को रखने पर विचार करते हैं किन्तु बदली कर्मचारियों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। परन्तु आप देखें कि यह बदली कर्मचारी लगभग १५ वर्ष से काम करते आ रहे हैं। अतः मेरा विचार है कि श्री राजा राम शास्त्री का संशोधन हितकर है तथा माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

†**श्री नी० श्रीकान्तन् नायर** (क्विलोन व मावेलिक्करा): मैं माननीय मंत्री को केवल यह बात बताना चाहता हूं कि श्री वेंकटरामन के सुझाव को मान लेना चाहिये तथा मेरा विचार है कि इससे कुछ कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

†**श्री तुलसीदास** : मैंने अधीक्षक कर्मचारियों के संबंध में सभी तर्कों को सुना। किसी का भी यह विचार नहीं है की अधीक्षक कर्मचारियों को संघ बनाने से रोका जाये। यदि कर्मचारियों को कुछ शिकायतें हैं तो उन शिकायतों को पूरा करने के उपाय निर्धारित हैं परन्तु यदि अधीक्षक कर्मचारी भी इन संघों में होंगे तो कठिनाइयां बहुत बढ़ जायेंगी।

श्रम मंत्री ने एक संशोधन द्वारा बैंकों को इस में शामिल कर लिया है। इस संशोधन के द्वारा बैंकिंग उद्योग को एक लोकोपयोगी सेवा घोषित कर दिया जायेगा। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस उद्योग को कुछ संरक्षण देने का निश्चय किया है। यदि आप अधीक्षक कर्मचारियों को इन संघों में रखेंगे तो स्थिति बड़ी खराब हो जायेगी। आप उन्हें संघ बनाने का अधिकार दीजिये परन्तु उन व्यक्तियों को, जिनका वह अधिकरण करते है, एकीकरण का अधिकार नहीं देना चाहिये।

उदाहरणतः बैंक की हड़ताल को ले लीजिये। हड़ताल के समय बैंकों के पदाधिकारियों ने काम किया। बिना इसके सैकड़ों रुपया जमा करने वालों को बड़ी कठिनाई होती।

इसके अतिरिक्त अर्हता निश्चित की गई है कि ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं होना चाहिये। मेरे विचार से इस अर्हता की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे पैमाने के उद्योगों में ऐसे अधीक्षक कर्मचारी भी होंगे जिनको २५० रुपये से भी कम वेतन मिलता है। इसलिये अन्य अर्हताओं को पर्याप्त समझना चाहिये।

इसके पश्चात मैं ठेके का काम करने वाले मज़दूरों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों का स्वामी कौन होता है? कारखाना अथवा ठेकेदार? उदाहरणार्थ, बम्बई की नॉवहन समवायों मे माल लादने तथा उतारने वाले मज़दूरों के विभिन्न ठेके होते हैं। ये मज़दूर कई समवायों के ठेके ले लेते हैं तथा इन में झगड़े होने पर, यह झगड़े समवाय तथा मज़दूरों में नहीं होते अपितु मज़दूर तथा ठेकेदारों में होते हैं, यह अपने संघ बना सकते हैं। इनको कारखाने के मज़दूरों में नहीं मिलाना चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो रही है। ऐसी दशा में हमें अधीनस्थ कर्मचारियों को इन संघों में नहीं मिलाना चाहिये। यदि आप चाहते हैं कि उनका संघ बने तो अलग संघ बनने

---

†मूल अंग्रेजी में।

दीजिये। अर्हता के सम्बन्ध में मैं ५०० रुपये की अर्हता से भी सहमत नहीं हूं। 'अथवा' शब्द हटाना नहीं चाहिये। सरकार को यह निश्चय करना चाहिये कि अधीक्षक कर्मचारी कौन होना चाहिये।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मैं सर्वप्रथम अपने मित्र श्री तुलसी दास के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उन्होंने पूछा है कि क्या समाजवादी ढंग की आयोजित अर्थ व्यवस्था में अधीक्षण कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाना चाहिये। वास्तव में इसका ठीक यही कारण है कि हमने इस श्रेणी को यहां रखा है। हम चाहते है कि अधीक्षकों तथा प्रबन्धकों और परामर्शदाता के आपसी संबंध बढ़ाये जाएं। यह आयोजित अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है अपितु आयोजित अर्थ-व्यवस्था के पक्ष में है।

दूसरे, इस विधि में यह नहीं दिया गया है कि वह अलग संघ नहीं बना सकते हैं। यदि वह चाहें तो अपना अलग संघ बना सकते हैं। तथा अपने मालिकों से अलग संघ के द्वारा बातचीत कर सकते हैं।

इसके पश्चात यह प्रश्न आता है कि क्या मुझे श्री वेंकटरामन, ठाकुर युगल किशोर तथा अपने अन्य मित्रों के संशोधन स्वीकार कर लेने चाहियें। मुझे खेद है कि अपने पहले भाषण में बताये गये कारणों से मैं ये संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं। 'कामगर' शब्द की जो परिभाषा निश्चित की जा चुकी है उसको मैं और नहीं बढ़ा सकता।

इस संबंध में एक गलतफहमी मालूम होती है कि क्या अस्पताल के कर्मचारी 'कामगर' हैं अथवा नहीं। कुछ दिन पूर्व बम्बई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया था कि कम्पाउण्डर, नर्स आदि इस विधि के अन्तर्गत आते हैं। संशोधित विधि में उन्हें कामगर समझा जाएगा। इस विधि के अन्तर्गत स्थापित की गई व्यवस्था के सामने वे विवादों को ले जा सकते हैं।

ठेके के मज़दूरों का प्रश्न इतना सरल नहीं है जितना सरल वह दिखाई देता है। ठेके के मज़दूर इस विधि में आ जाते हैं। संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य का ऐसा विचार मालूम होता है कि यद्यपि वे ठेकेदार के अधीन होते हैं फिर भी मुख्य नियोजक की जिम्मेदारी होनी चाहिये। हमने ठेके वाले मज़दूरों के बहुत से मामले न्यायाधिकरण में भेजे हैं तथा जो निर्णय हुए हैं वह सभी ठेकेदारों पर लागू होते हैं। परन्तु मुख्य नियोजक को जिम्मेदार बनाने के प्रश्न पर अग्रेतर जांच होने की आवश्यकता है। यह सीधा प्रश्न नहीं है। ठेके के मज़दूर विशेषत: भवन निर्माण समवायों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा मुझे यह जानकारी है कि कभी कभी ये ठेकेदार मुख्य नियोजकों से अधिक शक्तिशाली होते हैं तथा उनके संसाधन भी अधिक होते हैं जैसे, एक सरकारी समिति में। कितने ही मध्यम श्रेणी के व्यक्ति मिल कर एक सहकारी भवन निर्माण समिति बनाते हैं तथा इसमें नियुक्त ठेकेदार करोड़पति हो सकता है। यदि वह ठेकेदार सहकारी समिति पर जिम्मेदारी रखने में असमर्थ होता है तो भरे विचार से यह ऐसी बात होगी जिसकी यह सभा सराहना नहीं करेगी।

यदि इन संशोधनों को प्रस्तुत करने वाले सदस्यों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की श्रम नीति, जहां इस पर ब्योरेवार चर्चा है, को पढ़ा होता तो वह सही स्थिति समझ जाते। श्रम मंत्रालय इस प्रश्न की जांच कर रहा है और यह जिम्मेदारी किस पर हो इस बात पर हम विचार कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जहां केवल विधि अपवंचन के लिये ही ठेके दिये जाते हैं उस ओर हमारा ध्यान जा रहा है तथा जांच पूर्ण होने पर हम इस मामले में कोई निर्णय कर सकेंगे। परन्तु इस समय मुख्य नियोजक को पूर्णतया जिम्मेदार ठहराने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। हमें ठेके के मज़दूरों का विभाजन करना होगा। कुछ समय पूर्व भवन निर्माण कर्मचारियों की हमने एक बैठक बुलाई थी तथा जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम इस बात पर सहमत हो गए हैं कि भवन निर्माण करने वाले, बड़े बांध अथवा अन्य परियोजनाएं बनाने वाले, ठेकेदारों से समझौता किया जाए जिसकी एक शर्त ठेके में उचित मज़दूरी तथा काम की अच्छी दशा हो। जब तक वह यह सब नहीं करेंगे, उनको दण्ड दिया जायगा। बहुत से मामलों की जानकारी हमें है तथा हमने कार्यवाही की है। हमारा ध्यान

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री खंडूभाई देसाई]

इस मामले की ओर जा रहा है तथा जांच के पश्चात हम सभा के समक्ष रचनात्मक प्रस्ताव रखेंगे। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने संशोधनों को वापस ले लें।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने कहा था कि वह वाचमैन को लेने को तैयार हैं।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** सौभाग्यवश वह उसमें हैं। बदली वाले भी उसमें हैं। तथा यह है कि बहुत अधिक निर्णय हमारे पक्ष में हुए है तथा यदि विवाद उत्पन्न होगा तो हम उसकी जांच करेंगे।

†**श्री वेंकटरामन :** मैं अपने संशोधन संख्या ४६, ४७ तथा ४८ वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ १ के पंक्ति २४ के बाद ये शब्द रखे जायें :

'(aa) in clause (bb), for the words "Imperial Bank of India" the words "State Bank of India and the Reserve Bank of India" shall be substitued'

[(कक) खंड (खख) में "इंपीरियल बैंक आफ इंडिया के स्थान पर "स्टेट बैंक आफ इंडिया और रिजर्व बैंक आफ इंडिया" शब्द रखे जायं]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति २९ में :

' "Person" ['व्यक्ति"] के स्थान पर "Such person" ["ऐसा व्यक्ति"] शब्द रखे जाएं।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६०, ६१, ६४, ६५, ११२, ११३, ११४ और ११५ सभा के अध्यक्ष मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ संशोधित रूप मे विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४८, धारा ७ के स्थान पर नई धाराओं का रखा जाना

†**सभापति महोदय :** इस खंड के चुन हुए संशोधन यह ह जिनको सदस्यों ने प्रस्तुत करने की सूचना दी है; संशोधन संख्या ५, ६, ७ (तीनों सरकारी संशोधन), ५२, ५३, ६६, ११७, ११८, ४९, ५०, ८५, ८६, ८७, ८८, १३६, १३७, ५१ तथा ६७।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि पृष्ठ ३ में—

पंक्ति १८ और १९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

---

†मूल अंग्रेजी में।

"presiding officer of a Labour Court, unless—

(a) he has held any judicial office in India for not less than seven years; or

(b) he has been the presiding officer of a Labour Court constituted under any Provincial Act or State Act for not less than five years".

[श्रम न्यायालय का न्यायाधिकारी जब तक कि—

(क) वह कम से कम सात वर्षों तक भारत में किसी न्यायिक पद पर न रह चुका हो, या

(ख) वह कम से कम पांच वर्ष तक किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित, श्रम न्यायलय का न्यायाधिकारी न रहा हो।]

(२) कि पृष्ठ ३ में—

पंक्ति ३० से ३४ के स्थानपर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(b) he has held the office of the Chairman or any other member of the Labour Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950, or of any Tribunal, for a period of not less than two years".

["(ख) वह कम से कम दो वर्ष तक औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत गठित श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण का सभापति अथवा सदस्य न रह चुका हो"।]

(३) कि पृष्ठ ४ में—

पंक्ति ७ और ८ के स्थान पर रखा जाये—

"presiding officer of a National Tribunal unless—

(a) he is, or has been, a judge of a High Court; or

(b) he has held the office of the Chairman or any other member of the Labour Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950, for a period of not less than two years".

["राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का न्यायाधिकारी जब तक कि—

(क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो, अथवा न रह चुका हो अथवा

(ख) वह औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत गठित श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का कम से कम दो वर्ष सभापति अथवा सदस्य न रह चुका हो"।]

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये :

प्रस्तावक का नाम	संशोधन संख्या
श्री अ० म० थामस	५२, ५३
श्री अच्युतन	६६
श्री नी० श्रीकान्तन् नायर	११७
ठाकुर युगल किशोर सिंह	११८
श्री चं० भट्ट	४९, ५०
पंडित ठाकुर दास भार्गव	८५, ८६, ८७, ८८, १३६, १३७
श्री अय्युण्णि	५१, ६७

†मूल अंग्रजी में।

†**सभापति महोदय :** ये सब संशोधन सदन के समुख हैं।

†**श्री अ० म० थामस :** (एरणाकुलम्) : इस संशोधक विधेयक का मुख्य उद्देश्य न्यायाधिकरणों की वर्तमान पद्धति को उपयुक्त अर्हता वाले व्यक्तियों को त्रिसूत्रीय पद्धति में परिवर्तित करना है। मैं इस विचार का पूर्ण समर्थक हूं तथा मेरे संशोधन निर्धारित अर्हता के संबंध में हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जैसा कि सभा को मालूम है अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने वाले विधान के बनने के समय से ही इन न्यायाधिकरणों के विरुद्ध श्रमिकों में आंदोलन चल रहा ह। इसीलिये सरकार के इस कार्य का सभा को पूर्ण समर्थन प्राप्त है। लगभग सभी दलों ने अपीलीय न्यायाधिकरण को हटाने के विरुद्ध आवाज़ उठायी थी।

मेरा यह विचार नहीं कि यह आन्दोलन इसलिये प्रारम्भ किया गया क्योंकि यह व्यवस्था बड़ी खरचीली थी। मुख्य कारण यह था कि अपीलीय न्यायाधिकरणों का सुझाव पूर्व अवस्था को कायम रखने की ओर होता था और यदि वे कोई भूल करते भी थे तो वह मालिकों के लाभ के लिये ही होती थी। यही कारण है कि कार्मिक संघ वर्गों ने इन न्यायाधिकरणों के रखे जाने का विरोध किया। न्यायाधिकरणों द्वारा श्रम विधियों के प्रशासित किये जाने के ढंग पर भी प्रतिद्वंदी पक्षों का विश्वास आधारित होता है। यदि न्यायाधिकरण सख्ती से विभिन्न उपबन्धों का परिभाषिक अर्थों में ही पालन करते रहें तो वे श्रमिकों के प्रति पूर्ण न्याय नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टि से मेरी संशोधन के पक्ष में दी गयी युक्तियां, जिस पर मैंने जोर दिया है, सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जानी चाहियें।

अधिनियम के अनुसार सरकारी योजना यह है कि औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा विभिन्न निकायों का न्यायिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति ही नियुक्त किये जायें। मैं मंत्री महोदय की कठिनाई को जानता हूं, क्योंकि वह न्यायाधिकरणों को समाप्त कर रहे हैं इसलिये वह चाहते हैं कि समुचित ढंग से ठीक न्याय प्राप्त हो सके। और उसके लिये, मूल अदालतें ही प्रथम कसौटी हैं; क्या मंत्री महोदय नहीं जानते कि संविधान की रचना करने वाले भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे, जब कि उन्होंने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के लिये नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की योग्यतायें निर्धारित की थीं।

†**श्री नम्बियार :** वकील की सभी युक्तियां वकील के लिये ही हैं।

†**श्री अ० म० थामस :** अनुच्छेद १२४(३) के अनुसार एक अवधि विशेष का अनुभव प्राप्त अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिये अर्ह माना गया है। अनुच्छेद २१७(२) में उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के बारे में कहा गया है कि कोई भी ऐसा भारतीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता ह जो भारत में राज्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में के उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। आशय यह कि संविधान में जो यह व्यवस्था की गयी है कि किसी अवधि विशेष तक का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी इन पदों पर नियुक्त किये जा सकते हैं। वकीलों पर अविश्वास तथा विधिजीवी वर्ग से इन पदों पर नियुक्तियां न करने की बात समझ में नहीं आती है। मैं यह मानता हूं कि यद्यपि इस प्रकार की व्यवस्था है कि विधिजीवी वर्ग से सर्वोच्च न्यायालय में सीधी नियुक्तियां की जा सकती हैं परन्तु राष्ट्रपति ने विधिजीवी वर्ग से अभी तक किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया है। यदि सरकार न्यायिक अथवा न्यायाधिकरणों का अनुभव प्राप्त व्यक्ति लेना चाहती है तो उसे इन अनुभवी व्यक्तियों में से न्यायाधीश नियुक्त करने चाहियें। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि विधिजीवी वर्ग से सीधी नियुक्तियां की जा सकें। वर्तमान अधिनियम के अनुसार विधिजीवी वर्ग से किसी राज्य के औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिये नियुक्ति की उच्च न्यायालय से स्वीकृति लेना आवश्यक है ताकि अयोग्य व्यक्ति भर्ती न कर लिये जायें। इसलियें मैं जोर दूंगा कि सरकार वर्तमान अधिनियम में दी गई योग्यताओं के सम्बन्ध में परिवर्तन न किये जाने के मेरे संशोधन को स्वीकार कर ले।

---

†मूल अंग्रेजी में।

निर्धारित योग्यताओं के लिये कोई अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अथवा दो वर्ष का अनुभवी व्यक्ति मिलना चाहिये। मेरे मन में जो उदाहरण था वही शायद मेरे मित्र श्रीकान्तन के मन में भी था जब कि उन्होंने अपना संशोधन संख्या ११७ प्रस्तुत किया। शायद उनका यह विचार हो कि जो लोग आजकल न्यायाधिकरणों के न्यायाधीशों अथवा श्रम न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारियों के पदों पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस से छुट दे दी जाये। मेरे राज्य में यह बहुत जरूरी है। वहां इस संबंध में मतैक्य भी है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि राज्य सरकार को इस प्रकार के अधिकार हों कि वे ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं को चालू रख सकें। औद्योगिक न्यायाधिकरणों में उन्हें नये सिरे से नियुक्त कर दें।

मेरे राज्य के सम्बन्ध में एक और कठिनाई भी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह क्या है, हमें काफी काम करना है और माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है।

†**श्री नम्बियार :** अभी श्रमिकों से संबंधित कई महत्वपूर्ण खंड पड़े हैं, और यहां यह वकीलों के संबंध में ही बोल रहे हैं।

†**श्री अ० म० थामस :** मैं एक मिनिट में समाप्त करता हूं। मेरा विचार है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से विधिजीवी वर्ग से ही नियुक्तियां की जानी चाहियें। उनको नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये जो कि न्यायिक पदों पर आसीन रहे हैं, क्योंकि वे अनुदार प्रकृति के होते हैं।

औद्योगिक न्यायाधिकरणों के न्यायाधीशों का वेतन क्रम ५०० रुपये से ८०० रुपये तक होता है। यदि किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाये तो वह एक हजार रुपये तो निवृत्ति-वेतन ही लेता होगा। इसलिये वह १५०० रुपये अथवा २००० रुपये की मांग करेगा। इस प्रकार आप मेरे राज्य की स्थिति पर विचार कर सकते हैं।

†**श्री नम्बियार :** अच्छे वकील न मिले तो।

श्री अ० म० थामस: एक ही ऐसा व्यक्ति है जो काफी समय से औद्योगिक न्यायाधिकरण में पदासीन रहा और दो वर्ष हुए वह निवृत्त हुआ। मेरा यह विचार नहीं कि कोई व्यक्ति इस योग्य नहीं होगा कि जिसे उस पद पर नियुक्त किया जाये। इन व्यावहारिक बातों के कारण मैं जरूरी समझता हूं कि सरकार मेरे प्रथम संशोधन को स्वीकार कर ले। यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो मेरा दूसरा संशोधन अथवा मेरे मित्र श्री श्रीकान्तन नायर का संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये ताकि मेरे राज्य की स्थिति ठीक हो सके।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव): मैंने संशोधन संख्या ८५, ८६, ८७, ८८, १३६ और १३७ प्रस्तुत किये हैं न्यायाधीशों की अर्हताओं के सम्बन्ध में मेरे दो विचार है, एक यह कि न्यायाधीश ऐसे होने चाहियें जो केवल न्यायिक न्यायाधीश न हों और दूसरे यह कि वह कानून की जटिलता में न जाकर पंचों और चौधरियों की भांति फैसला करें।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (मेरठ जिला–दक्षिण) : प्राकृतिक न्याय।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मेरे मित्र ने ठीक कहा कि निर्णय सम-सामान्य न्याय की भावना से किया जाना चाहियें। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बहुत अधिक कानून दान न होकर ऐसे हों जिनकी सामान्य बुद्धि पूर्णरूप से विकसित हो। यही कारण है कि अपीलीय न्यायालय समाप्त किये जारहे हैं और उनके स्थान पर एक व्यक्ति वाले न्यायालय होंगे, जिनके निर्णयों की कोई अपील नहीं होगी। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि इन व्यक्तियों का चुनाव बड़े विस्तृत क्षेत्र से किया जाय। प्रत्येक राज्य में तीन अथवा चार न्यायालयों की आवश्यकता होगी और काफी बड़ी संख्या में से उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। कहना सरल है परन्तु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करना बहुत कठिन है। यदि मेरे मित्रों के संशोधन स्वीकार कर लिये गये और हमने केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को श्रम न्यायालयों में नियुक्त करना निश्चय किया तो यह अति कठिन

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

बात होगी। न तो वह इस पद के लिये आग ही आयेंगे और यदि आये भी तो बहुत महंगे होंगे इसलिये यही बात ठीक है कि जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो, उसे नियुक्त किया जाना चाहिये। मैंने तो इस संशोधन का भी नोटिस दिया है कि एक वर्ष के अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी इसमें ले लिया जाना चाहिये। यदि हमने क्षेत्र को संकुचित कर दिया तो योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकेंगे। मैं अनुभव करता हूं इस मामले में चुनाव क्षेत्र काफी विस्तृत रहना चाहिये।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में भी ऐसा ही होना चाहिये, इनके लिये भी यह जरूरी नहीं होना चाहिये कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही लिये जायें। मेरा विचार है कि जिला न्यायाधीश अथवा सत्र-न्यायाधीश, जिनका दस वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे ही अर्ह हैं।

परामर्शकों के सम्बन्ध में मैं वही बात कहता हूं जो मैं ने २१ को कही थी। यदि आप परामर्शकों को रखना ही चाहते हैं तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, परन्तु उन्हें कुछ विशेष ज्ञान होना चाहिये। इस खंड को इसी प्रकार ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये। यदि परामर्शक है तो व्यवस्था यह होनी चाहिये कि उनकी राय ली जाये। चाहे उस राय को मानना न्यायाधीश के लिये अनिवार्य न हो। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जब तक परामर्शक का मत न लिया जाय निर्णय ठीक नहीं माना जाता था। यद्यपि सत्र-न्यायाधीश उसके मत को मानने के लिये बाध्य नहीं था परन्तु मत लिया अवश्य जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। यदि कानून बनाना ही है तो वह पर्ण होना चाहिये। मेरी राय तो यह है कि जिस किसी का मत कोई महत्व रखता हो उसका मत अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिये। पक्षों के प्रति परीक्षण का अवसर भी दिया जाना चाहिये ताकि किसी को कोई शिकायत का अवसर न रहे। मैं इस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिस से कि कानून पूर्ण रूप से कार्य कर सके।

†**श्री नी० श्रीकान्तन् नायर :** संशोधन संख्या ११७ के संबंध में जिसका उल्लेख श्री अ० म० थामस ने किया है, मेरा निवेदन है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव अपने संशोधन का उल्लेख करना भूल गये जिसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी को भी चुना जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति न्यायाधिकरणों में हैं वे श्रम न्यायालयों में भी लिये जा सकते हैं। मेरे राज्य में यह एक से अधिक कार्मिक संघों द्वारा मान्य सिद्धांत है कि जो कोई जहां भी है उसे तब तक न हटाया जाय जब तक कि उसके विरुद्ध कोई आरोप न सिद्ध हो जाये।

आयु सीमा के संबंध में मुझे शिकायत है, जिसको मैंने अगले संशोधन में लिया है। अब तक आयु की सीमा ६० वर्ष है, जिसे बढ़ाकर ६५ किया जा रहा है। इस प्रकार सभी अतिवयस्क व्यक्ति श्रमिक वर्ग पर ठोंस दिये जायेंगे।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** कोई आयु सीमा नहीं है।

†**श्री अ० म० थामस :** यह ६५ वर्ष है।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** अब कोई नहीं है।

†**श्री नी० श्रीकान्तन् नायर :** संविधान के अनुसार अस्थायी न्यायाधीशों के लिए .....

†**श्री आबिद अली :** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये ६० वर्ष है।

†**श्री नी० श्रीकान्तन् नायर :** यदि अधिक आयु वाले व्यक्ति हम पर लादे गये तो यह भी क बीमारी हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री आबिद अली :** सर्वोच्चय न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति ।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** सर्वोच्चय न्यायालय के न्यायाधीशों को तो कानून का निर्वचन ही करना होता है, परन्तु यहां तो समाज की बदलती अवस्था के अनुसार अपने को ढालने की बात है । इस संबंध में किसी कानून विशेष की बात नहीं चल सकती है । राष्ट्र के प्रत्येक अंग को देखकर ही हमें एक ऐसी प्रगतिशील प्रणाली बनानी है जो परिवर्तनशील अवस्था में ठीक बैठ सके । औद्योगिक संबंधों में यह न्यायिक प्रश्न नहीं है अपितु यह समानता, मानवीय विचारों की बात है । अधिक आयु वाले व्यक्तियों को अपीलीय न्यायाधिकरण में लाना बड़ा हानिकारक रहा है, क्योंकि यह व्यक्ति बदलते हुए वातावरण को उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहने के ही अभ्यस्त होते हैं । अभी हाल में मुझे दो मामलों का मद्रास में अनुभव हुआ । इन मामलों का बड़े असम्भव और गैर जिम्मेदार ढंग से निर्णय किया गया है । इसके बावजूद कि मेरे विरुद्ध निर्णय ठीक नहीं हुआ है, कार्मिक संघ वालों में से, मैं ही एक हूं जिसने श्रम न्यायाधिकरणों का समर्थन किया है । वह मामला लाखों रुपयों का था और औद्योगिक संबंधों के सिद्धांतों के ही विरुद्ध है । आगामी मास में इसके विरुद्ध मेरे राज्य में काफी हंगामा होगा । मैं मामले को सर्वोच्चय न्यायालय में ले जाना चाहता हूं परन्तु श्रमिक इसे वहां ले जाने में असमर्थ है । मैं ने राज्य सरकार तक भी पहुंचने का प्रयत्न किया ताकि कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय किया जा सके परन्तु राज्य सरकार इस मामले में केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं । दूसरे मामले में एक वकील ने एक मलयालय शब्द का गलत अर्थ कर दिया और न्यायाधीश ने उन कामगारों को नैभित्तिक घोषित कर दिया । तो इस प्रकार अधिक आयु वाले व्यक्ति वकीलों की बात को ठीक मान कर गलती कर देते हैं । इसलिये आयु सीमा को घटा कर ६५ से ५५ कर देना चाहिये ।

श्री बंसल (झज्झर-रिवाड़ी) : मैं इन संशोधनों पर बोलना तो नहीं चाहता था परन्तु श्री अ० म० थामस और पंडित ठाकुर दास भार्गव के भाषणों को सुनने के पश्चात मुझे भी कुछ कहना पड़ रहा है ।

हम विधेयक के उन खंडों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर मालिकों और श्रमिकों की कई सम्मिलित बैठकों में विचार हो चुका है । मुझे याद है कि संयुक्त परामर्शक बोर्ड की एक बैठक में मालिकों से जब यह पूछा गया कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण समाप्त कर दिये गये तो उनके स्थान पर वे क्या वैकल्पिक प्रबन्ध चाहेंगे । मालिकों के प्रतिनिधि इस बात के विरुद्ध थे कि अपीलीय न्यायाधिकरणों को भंग किया जाय अतः उन्होंने कहा कि कम से कम राज्य औद्योगिक अधिकरणों अथवा राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रबन्ध किया जाये । यद्यपि कोई बात निश्चित नहीं की गई थी परन्तु सरकार द्वारा आश्वासन दिया गयाथा कि न्यायाधिकरणों के ीठासन अधिकारी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश ही होंगे ।

†**श्री अ० म० थामस :** यह व्यवस्था नहीं है ।

†**श्री बंसल :** जब हम ऐसा बिधेयक ला रहे हैं जिसका उद्देश्य मालिकों और कामगारों के प्रतिनिधियों के ीच हुई किस भी सहमति को न्यायिक स्वीकृति प्रदान करना है तो अब यह कहना कि हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं ीक नहीं है । और यह सहमति तो उन केन्द्रीय संस्थाओं की थी जिनको कि सरकार ने कामगारों और मालिकों के हितों के सम्बन्ध में परामर्श के लिये ही स्थापित किया था । इस लिये मैं श्री अ० म० थामस और पंडित ठाकुरदास भार्गव से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधनों पर जोर न दें और मैं माननीय मंत्री से भी प्रार्थना करूंगा कि वे विधेयक के उपबन्धों की कटोरता को कम न करें।

†**श्री नम्बियार :** वकीलों के साथ ही साथ कामगारों का भी उल्लेख होना चाहिये ।

मैं इस खंड के सिद्धांत से तो सहमत हूं, लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण दोनों ही का गठन केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है, और उसके विरुद्ध अपील भी नहीं होती है। वह व्यक्ति गलती भी तो कर सकता है, और फिर न्यायाधीशों को खरीदा भी तो जा सकता है । श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरण में जितने ही कम व्यक्ति होंगे, मामले

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नम्बियार]

उतनी ही शीघ्रता से निबटाये जा सकते हैं। इसलिये न्यायाधिकरण में एक ही व्यक्ति हो तो अच्छा है। लेकिन इसके लिये आवश्यक है कि वह व्यक्ति बहुत ही सुयोग्य हो। श्री अ० म० थामस का कहना है कि वकीलों को उसमें रखे जाने के लिये उपबन्ध होना चाहिये, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। लेकिन, उसमें खतरा है। उनको भय है कि अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश उस पद पर नहीं आयेंगे, क्योंकि उन्हें इससे अधिक निवृत्ति वेतन मिलता है। लेकिन, वकील भी तो उससे अधिक कमा सकते हैं। कामगारों का कहना है कि इस पद पर किसी अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश को रखा जाना चाहिये, या उन व्यक्तियों को रखा जाना चाहिये जिन्हें दो वर्षों का अनुभव हो। मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

†**श्री अय्युण्णि** (त्रिचूर) : मैंने संशोधन संख्या ५१ और ५७ प्रस्तुत किये हैं।

पिछले वक्ता ने वकीलों के खरीदे जाने का उल्लेख किया था, लेकिन इस विधेयक के पारित होने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी ही नहीं। यह इसलिये कि इसमें व्यवस्था की गयी है कि न्यायाधिकरण में इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के लिये यह आवश्यक होगा कि वह औद्योगिक विवाद (संशोधन और विवधि उपबन्ध) अधिनियम १९५५ के लागू किये जाने से पहले दो वर्षों तक न्यायाधिकरण का सदस्य रह चुका हो। इसमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि यदि उसे नियुक्त भी कर दिया गया है और उसे दो वर्षों का अनुभव नहीं है तो उसे उस पद से हटा दिया जाये। यह कुछ सख्त है। उसकी नियुक्ति के लिये पहले तो सरकार को सिफारिश करनी चाहिये और फिर उच्च न्यायालय को उस बात का अनुमोदन करना चाहिये कि वह व्यक्ति इस पद पर आसीन होने योग्य है। इसके अतिरिक्त और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री अ० म० थामस ने कहा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को इस पद के लिये पाना मुश्किल होगा क्योंकि उसे तो उसके अधिक निवृत्ति वेतन पहले से ही मिलता होगा। इस तरह तो यह भी पूछा जा सकता है कि क्या सरकार इन न्यायाधिकरणों के लिये उपयुक्त व्यक्ति पा भी सकती है या नहीं। यह तो दूसरी ही बात है। हमें इस सुझाव पर विचार करना चाहिये।

दो वर्ष का अनुभव प्राप्त और उससे कुछ कम समय का अनुभव प्राप्त व्यक्तियों में अधिक अन्तर नहीं होता। इसलिये जो व्यक्ति इन पदों पर नियुक्त किये जा चुके हैं, उन्हें इस आधार पर हटाना ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि पहले न्यायाधीश रह चुकने वाले व्यक्ति के लिये स्वयं को नयी परिस्थिति के अनुकूल बना लेना कठिन होगा। वह सदा ही न्यायिक ढंग से चीजों को देखेगा ; उसके लिये समझदारी का दृष्टिकोण अपनाना कठिन होगा। लेकिन एक अधिवक्ता (एडवोकेट) यह कार्य कर सकता है और इसीलिये मैं वकीलों के भी इसमें सम्मिलित किये जाने का सुझाव देता हूं।

भविष्य में ऐसी आकस्मिकता पैदा नहीं होगी। उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नियुक्त इन व्यक्तियों को हटा देना अनुचित होगा।

†**श्री अच्युतन** (केंगनूर) : मैं इन संशोधनों का स्वागत करता हूं। मैंने भी इस खंड के लिये दो संशोधन रखे हैं।

हम नयी पद्धति में तीन स्तर बना रहे हैं। पहला तो श्रम न्यायालय है, जिसके लिये न्यायिक पद का कुछ वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति अपेक्षित होंगे। दूसरा है——राज्य स्तर पर न्यायाधिकरण जिसमें बड़ी बड़ी फैक्टरियों के ही मामले जा सकेंगे। और तीसरा है——राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जो समूचे राष्ट्र के महत्व के मामलों को ही लेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में नियुक्ति के लिये किसी भी व्यक्ति का उच्चतम न्यायालय का वर्तमान या अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश होना आवश्यक नहीं है। विधेयक में तो केवल यही कहा गया है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिये। लेकिन मेरा सुझाव है कि सरकार को यह शक्ति देनी चाहिये कि वह इस पद के लिये जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से किसी को भी चुन सके। इसमें इतना परिवर्तन किया जाना चाहिये।

आजकल की हालत को देखते हुए यही लगता है कि आगमी वर्ष में जिलों में अधिक विवाद होंगे। मेरे राज्य में कुल तीन या चार जिले हैं और तीन या चार स्थायी न्यायाधिकरण हैं लेकिन फिर भी वे समय पर सभी मामलों का निपटारा नहीं कर पाते हैं। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को हटाने का उद्देश्य यही था कि उससे न्याय होने में विलम्ब होता था। उसमें वर्षों तक मामले विचाराधीन ही पड़े रहते थे।

साथ ही, हम यह भी चाहते हैं कि राज्य कोष पर अधिक भार न डाला जाये। विधेयक के उपबन्धों के अनुसार न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही लिये जायेंगे। संविधान के नये संशोधन के अनुसार उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का वेतन औसत रूप में ३,५०० रुपये होगा। इससे तो मेरे अपने राज्य में तीन-चार न्यायाधिकरण रखने का व्यय बहुत ही अधिक बैठेगा।

आखिर, इन न्यायाधिकरणों में काम करने वाले न्यायधीशों को कोई बड़ी पेचीदा विधियों की व्याख्या तो नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिये तो इतना ही काफी है कि उन्हें देश की वर्तमान दशा, कर्मचारियों की स्थिति, उनके लिये आवश्यक सुविधाओं और उनके हितों तथा स्वाभाविक न्याय की जानकारी हो। उनके लिये सहज बुद्धि, समानता, स्वाभाविक न्याय, सामाजिक न्याय आदि की जानकारी ही सबसे बड़ा मानदण्ड होना चाहिये। इस कार्य को कोई जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की अर्हता-प्राप्त कोई अधिवक्ता (एडवोकेट) भी कर सकता है। फिर राज्य स्वयं भी उपर्युक्त मान दण्डों के अनुसार ही उनका चुनाव करेगा।

हमारा अनुभव भी हमें यही बताता है कि ८५ प्रतिशत जिला न्यायाधीश इन समस्याओं को सुलझाने योग्य न्यायिक दृष्टिकोण रखते हैं।

इसी प्रकार, श्रम न्यायालयों में भी अवकाश-प्राप्त मुन्सिफ नियुक्त किये जा सकते हैं। वे अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में सतर्क भी रहेंगे।

मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी। इस प्रकार हम इन न्यायाधिरकणों के लिये उपयुक्त व्यक्ति ढूंढ़ने की कठिनाई को भी कम कर सकेंगे।

मेरे राज्य के न्यायाधिकरणों के वर्तमान अधिकारी, बिना अपने किसी दोष, के भी हटा दिये जाने की आशंका से चिंतित हैं। सरकार को उनके मामले पर विचार करना चाहिये।

मैं श्री अ० म० थामस और श्री अय्युण्णि के संशोधनों का समर्थन करता हूं, और अपने संशोधन भी लोक-सभा के सामने रखता हूं।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : लोक-सभा को इस बात की सराहना करनी चाहिये कि हम अपीलीय न्यायालयों को हटा रहे हैं। श्रमिकों और मालिकों दोनों के अधिकांश प्रतिनिधियों का मत यह था कि औद्योगिक न्यायालयों या राष्ट्रीय न्यायालयों की प्रतिष्ठा और योग्यता को वर्तमान स्तर पर ही नहीं बनाये रखा जाना चाहिये बल्कि यथासंभव उनकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि ही की जानी चाहिये।

उसमें एक बात यह भी है कि, अधिकांश प्रतिनिधियों के इस मत के होते हुए भी, हमने इस व्यवस्था को कुछ ढीला कर दिया है और किसी भी अवधि तक, अर्थात लगभग दो वर्ष तक सेवा कर चुकने वाले इन व्यक्तियों को भी इन न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिये योग्य मान लिया है। इसलिये, अब सरकार इस व्यवस्था को और भी अधिक नम्र करने के लिये तैयार नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री खंडूभाई देसाई]

इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझे अपने वकील मित्रों से कोई शिकायत है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहां के दलों को भी उन पर उतना विश्वास नहीं है जितना कि हम चाहते हैं। जो भी हो, स्थिति यही है। वास्तविकता को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिये, मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

†**श्री नी० श्रीकान्तन् नायर** : और उन लोगों का क्या होगा जो अभी इस समय न्यायाधिकरणों में कार्य कर रहे हैं?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : यदि वे लगभग दो वर्ष तक सेवा कर चुके हैं तो वे औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिये योग्य माने जायेंगे।

पंडित ठाकुरदास भार्गव ने दो सुझाव दिये थे। उनमें से एक असेसरों (परामर्शकों) की नियुक्ति के संबंध में है। विधि में यह उपबन्ध है कि न्यायाधिकरणों को सलाह देने के लिये सरकार द्वारा परामर्शक नियुक्त किये जा सकते हैं। मेरा विचार है कि उनकी सलाह ली जायेगी। वास्तव में, अन्तिम निर्णय तो न्यायाधिकरण ही करेंगे। लेकिन, यदि कोई न्यायाधीश उनकी सलाह न ले या कोई एक परामर्शक उपस्थित न हो तो सारी प्रक्रिया को अमान्य माना जायेगा। मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा। संभव है कि नियमों के प्रक्रिया वाले भाग को बनाते समय हम इस पर विचार करके यह देखें कि इसे कहां तक उचित रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३,—

पंक्ति १८ और १९ के स्थान पर यह रखा जाये :

"Presiding officer of a Labour Court, unless—

(a) he has held any judicial office in India for not less than seven years, or

(b) he has been the presiding officer of a Labour Court constituted under any Provincial Act or State Act for not less than five years."

["श्रम न्यायालय का न्यायाधिकारी जब तक कि—

(क) वह कम से कम सात वर्षों तक भारत में किसी न्यायिक पद पर न रह चुका हो,

(ख) वह कम से कम पांच वर्ष तक किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत गठित श्रम न्यायालय का न्यायाधिकारी न रहा हो।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३,—

पंक्ति ३० से ३४ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(b) he has held the office of the Chairman or any other member of the Labour Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950, or of any Tribunal, for a period of not less than two years."

["(ख) वह कम से कम दो वर्षों तक औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत गठित श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण का सभापति अथवा सदस्य रह चुका हो।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४,—

पंक्ति ७ और ८ के स्थान पर यह रखा जाये :

"presiding officer of a National Tribunal unless—

(a) he is or has been, a judge of a High Court; or

(b) he has held the office of the Chairman or any other member of the Labour Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950, for a period not less than two years."

["राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का न्यायाधिकारी जब तक कि—

(क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो, अथवा न रह चुका हो, अथवा

(ख) वह औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत गठित श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का कम से कम दो वर्ष तक सभापति अथवा सदस्य न रह चुका हो ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ६६, ६७, ८५, ८६, ८७ ११७, ११८, १३६, और १३७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५, धाराओं ८ और ९ के स्थान पर नयी धाराओं का रखा जाना

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : म अपना संशोधन संख्या ८९ प्रस्तुत करता हूं, संशोधन संख्या ९० को मैं प्रस्तुत नहीं करूंगा । संशोधन संख्या ८९ भी खंड ५ में अब "सकता है" शब्दों को देखते हुए अत्यावश्यक नहीं रह गया है । इन शब्दों की यह भी व्याख्या की जा सकती है कि पीठासीन पदाधिकारी को यह भी स्वयं विवेक दिया जायेगा कि वह यदि चाहे तो किसी भी अवस्था में मामले को अपने हाथ में ले सकता है । इसका सिद्धांत स्पष्ट है । मेरे विचार से तो यदि पीठासीन पदाधिकारी उसी अवस्था से मामले को अपने हाथ में लेता है जिसमें कि वह उसे सौंपा गया है, तो यह बुद्धिमानी की बात नहीं होगी ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ३५० में भी न्यायाधीश को मामले की कार्यवाही को फिर से शुरू करने की शक्ति दी गई है । म चाहता हूं कि इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया जाये ।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : स्वाभाविक ही है कि स्थान रिक्त होने पर बाद में आने वाला न्यायाधीश या पीठासीन पदाधिकारी उसी अवस्था से मामले की कार्यवाही को अपने हाथ में लेगा जिस पर कि उसकी नियुक्ति हुई ह । मैं माननीय सदस्य की बात को ठीक से समझ नहीं पाया हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जहां तक इस खंड में प्रयुक्त शब्दों का संबंध है, उनका अर्थ यही है कि यदि पीठासीन पदाधिकारी चाहे तो किसी भी मामले की कार्यवाही के फिर से शुरू किये जाने का आदेश दे सकता है, केवल उसी अवस्था से नहीं जिस पर कि उसने मामले को अपने हाथ में लिया है । लेकिन, बहुधा होता यही है कि वह मामले की अपनी नियुक्ति की अवस्था से ही प्रारम्भ करता है । मेरा विचार है कि न्यायालय को, यदि वह ठीक समझे तो सारी कार्यवाही फिर से आरम्भ करने की शक्ति स्पष्ट तौर पर दी जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

†**श्री खंडूभाई देसाई** : इस धारा के अन्तर्गत न्यायालय को सारी कार्यवाही फिर से आरम्भ करने का स्वयं विवेक प्राप्त है। यह उसमें है। मेरे विचार से अब उसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : ठीक है। मैं केवल आश्वासन चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६ (नवीन अध्याय २ का रखा जाना)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड ६ के लिये संशोधन संख्या ८, ९, ११९, ११, १२, १३, १३८, ५४, ५५, ५६, ६२, ९३ और ९४ की सूचना दी गई है।

श्री खंडूभाई देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ५ में, पंक्तियां १५ से १८ के स्थान पर यह रखा जाये :—

"9 A. No employer, who proposes to effect any change in the conditions of service applicable to any workman in respect of any matter specified in the Fourth Schedule, shall effect such change,—"

["९ क. कोई भी नियोजक जो चतुर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी विषय के संबंध में किसी श्रमिक पर लागू होने वाली सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने का विचार रखता है ऐसा नहीं करेगा,—"]

(२) पृष्ठ ५, पंक्ति १९ में—

शब्द "concerned in" ["संसम्बन्धित"] के स्थान पर "likely to be affected by" ["द्वारा प्रभावित होने की संभावना"] रखा जाये।

(३) पृष्ठ ५, पंक्तियां २३ और २४ के स्थान पर यह रखा जाये :—

"Provided that no notice shall be required for effecting any such change—

(a) Where the change is effected in pursuance of any settlement, award or decision of the Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950; or

(b) Where the workman likely to be effected by the"

["परन्तु शर्त यह हो कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी—

(क) जब औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की किसी व्यवस्था, पंचाट अथवा निर्णय के अनुसरण में परिवर्तन किया जाये, अथवा

(ख) जहां श्रमिकों पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो।"]

(४) पृष्ठ ५, पंक्ति ४२—

शब्द "shall not" ["नहीं होगा"] के पश्चात शब्द "apply or shall apply" ["लागू होता है या होगा"] रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(५) पृष्ठ ६, पंक्ति १ में से

"apply" ["लागू"] शब्द निकाल दिया जाये।

श्री नम्बियार ने संशोधन संख्या १३८ और श्री तुषार चटर्जी ने संशोधन संख्या ५४, ५५, ५६, श्री राजा राम शास्त्री ने संशोधन संख्या ६२ और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संशोधन संख्या ९३ प्रस्तुत किये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**ठाकुर युगल किशोर सिंह :** मेरा संशोधन संख्या ११९ श्री तुषार चटर्जी के संशोधन से मिलता जलता है।

†**श्री तुषार चटर्जी :** मैं संशोधन संख्या ५४, ५५ और ५६ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। परिवर्तन के नोटिस का उपबन्ध स्वागत योग्य है। परन्तु ऐसा करने पर भी इस मामले में तीन त्रुटियां रह जायेंगी जिसका उपाय मैंने अपने संशोधनों में बताया है। एक तो यह कि (क) के पश्चात शब्द 'अथवा' के स्थान पर शब्द 'तथा' रखने का सुझाव मैंने दिया है।

दूसरे यह कि नोटिस केवल कर्मचारियों को ही न दिया जाये बल्कि पंजीबद्ध संघ अथवा संघों को भी दिया जाये क्योंकि प्रस्तावित परिवर्तनों पर केवल उसी व्यक्ति द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य संघों द्वारा भी विचार किया जाना आवश्यक है।

इसके एक परन्तुक में कहा गया है कि कुछ मामलों में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस परन्तुक को बदलना चाहता हूं।

मेरा सुझाव है कि यह तीनों संशोधन स्वीकार कर लिये जाये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** जब तक संशोधन संख्या ९३ और ९४ को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक खंड ९ का कोई अर्थ नहीं होगा। इसका नियोजक पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है ? शायद छापे में कोई गलती हो गई होगी। यदि सेवा की शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाता है जिसका नियोजक पर प्रभाव पड़े तो सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मेरे विचार से यह न्यायिक मामला है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यदि केवल नियोजक के हितों की ओर ही ध्यान देना है तो हम इसे सदन नहीं कह सकते। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि शब्द 'नियोजक' के स्थान पर शब्द 'कर्मचारी' रखा जाये अथवा शब्द 'कर्मचारी' बढ़ा दिया जाये क्योंकि इन दोनों के हितों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री नम्बियार :** माननीय मंत्री ने कहा कि वह एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील खंड को सम्मिलित कर रहे हैं जिसमें कर्मचारियों को प्रत्येक प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना दिये जाने की व्यवस्था की गई है। चतुर्थ अनुसूची में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मदें भी रखी गई बताई हैं परंतु जो लाभ हो सकता था उसकी संभावना परंतुकों के कारण समाप्त हो गई है। धारा ९ ख में सरकार ने संशोधन, द्वारा जो व्यवस्था की है उसके अनुसार सरकार किसी भी उद्योग को सूचना पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस सूची में से निकाल सकती है। पहले भाग में श्रमिक को यह अधिकार देने से, कि उसे मजूरी, भविष्य निधि, अवकाश आदि मामलों की सूचना भेजी जायेगी क्या लाभ होगा यदि सरकार की एक अधिसूचना द्वारा यह सब कुछ छीना जा सकता है। यह तो श्रमिक के साथ धोखा करना है। यदि आप उसको कोई सुविधा नहीं देना चाहते तो आप स्पष्ट कह दें कि आप में साहस नहीं है।

प्रथम परन्तुक दूसरे परन्तुक से भी खराब है। इसमें यह कहा गया है कि उन कर्मचारियों को परिवर्तन का नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी जिन पर सरकारी सूचना पत्र में प्रकाशित हो चुके कोई भी नियम और विनियम लागू होंगे। इसका यह अर्थ होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति और १० लाख रेलवे कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे इन्हें सूचना दिये बिना भारतीय रेलवे संस्थापन संहिता में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। सरकार आये

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नम्बियार]

दिन अधिसूचना द्वारा सेवा की शर्तों को बदलती रहती है और रलवे कर्मचारियों को कुछ पता नहीं चलता है। और अब यह उपबन्ध किया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों पर और डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। यह बुरी बात है। और इससे भी बुरी बात यह है कि सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी उद्योग को सूची से निकाल सकती है।

अत: मेरा सुझाव है कि इन दोनों परन्तुकों को निकाल दिया जाये और हमारा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं इस क्लाज़ (खंड) में अपना संशोधन नम्बर ११९ पेश करता हूं।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि सब-क्लाज़ (ए) उपखंड (क) के अन्त में शब्द "और" [अथवा] से ठीक अर्थ नहीं निकलता है। अगर उस शब्द के स्थान पर शब्द "एंड" [और] रख दिया जाय, तो इस क्लाज़ का अर्थ सही और स्पष्ट हो जायगा। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मानने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

जहां तक नोटिस(सूचना)देने का सवाल है, मैं समझता हूं कि यूनियन(संघ)को भी इस बारे में नोटिस (सूचना) दिया जाना चाहिए, नहीं तो उन वर्कर्ज़ (श्रमिकों) की सहायता से, जिन को लायल वर्कर्ज़ (निष्ठावान श्रमिक) कहा जाता है—जो कि यूनियन को तोड़ने वाले वर्कर होते हैं—मालिक लोग चेंज आफ सर्विस (सेवा परिवर्तन) कर सकते हैं और इस क्लाज़ में दिये हुए तरीके से बच सकत हैं। कई स्थानों पर तीस पैंतीस आदमियों को बन्द लिफाफों में रुपया मिल जाता है और वे मालिकान का साथ देते हैं। इसलिये यह निहायत जरूरी है कि जब कभी किसी पर वर्कर की चेंज आफ सर्विस (सेवा परिवर्तन) का सवाल आए, तो यूनियन को नोटिस दिया जाय।

माननीय सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह संशोधन पेश किया है कि शब्द "एम्प्लायर" [नियोजक] के स्थान पर शब्द "एम्पलाई" [कर्मचारी] रख दिया जाय। मालूम होता है कि उन्होंने इस क्लाज़ को गौर से नहीं पढ़ा है। चेंज आफ सर्विस तो एम्पलायर की तरफ से ही होगी न कि एम्पलाई की तरफ से।

मेरा मत है कि प्रोवाइज़ो (परन्तुक) जो कि क्लाज़ ९ ए में है, की जरूरत नहीं है। इसलिये उसको हटा देना चाहिये। यहां पर सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी (समाज की समाजवादी व्यवस्था) की बात बार बार कही जाती ह, लेकिन स्थिति यह ह कि प्राइवेट सैक्टर (गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र) में काम करने वालों के लिये एक कानून लागू किया जाये और पब्लिक सैक्टर में काम करने वालों के लिये दूसरा कानून लागू किया जाये, तो यह कहां का न्याय होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य ने एक टांग ऊपर रखी हुई है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब वह यहां हाउस को एड्रेस कर रहे हों, तो दोनों टांगों पर खड़ा होना ज़रूरी है।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : ९ बी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो किसी भी इंडस्ट्री (उद्योग) को इस क्लाज के प्रभाव से हटाने का अख्तियार लिया है, वह नहीं रहना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को यह अधिकार अपने हाथ में लेने का क्या फ़ायदा होगा।

श्री राजा राम शास्त्री उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस ने फैसला किया है कि चार बजे तक इस बहस को खत्म करना है। अगर माननीय सदस्य एक दो मिनट में कुछ कहना चाहें, तो वह बोल सकते हैं।

श्री राजा राम शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ,अपना संशोधन नम्बर ६२ पेश करता हूं। यहां पर एक विचारणीय प्रश्न यह है कि जब मालिक मज़दूर को नोटिस देगा, तो उसके बाद पोज़ीशन क्या होगी ? क्या किसी ट्रिब्यूनल के सामने वह मामला जायगा या नहीं ? कौन उस पर विचार करेगा ?

श्री खंडूभाई देसाई : फिर वह साधारण विधि के अधीन होगा।

श्री राजा राम शास्त्री : यह ज़रूरी है कि अगर मालिक ने नोटिस दे दिया है और मज़दूर समझता है कि नोटिस गलत ह और चेंज आफ सर्विस (सेवा परिवर्तन) करने में गलती है, तो वह ट्रिब्यनल (न्यायाधिकरण) के सामने जाये और जब तक ट्रिब्यूनल का फैसला न हो जाये, तब तक उस चेंज आफ सर्विस को रोक दिया जाय। मैंने यह संशोधन रखा है कि दो महीने में उसका फैसला हो जाना चाहिये।

मै अपने संशोधन के इन शब्दों को ओर खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं :

एक ही उद्योग के एक विभाग से दूसरे विभाग में और एक कर्मचारी वर्ग से दूसरे कर्मचारी वर्ग में किसी भी कर्मचारी के स्थानान्तरण पर भी परिवर्तन की सूचना देनी चाहिये। यह अक्सर देखा गया है कि जिस वक्त कोई मालिक कारखाने में कोई चेंज करना चाहता है और ट्रेड यूनियन वर्कर (कार्मिक संघ कार्यकर्ता) उसका विरोध करते हैं, तो मालिक दूसरा ही तरीका अख्तियार करता है। वह मज़दूरों को एक तरीके की सजा देता है। एक ट्रांसफर (स्थानान्तरण) होती है काम को ठीक करने के लिये और दूसरी होती है किसी को पनिशमेंट (दण्ड) देने के लिये। मैं यह चाहता हूं कि अगर कोई मालिक किसी मज़दूर को एक डिपार्टमेंट (विभाग) से दूसरे डिपार्टमेंट (विभाग) में या एक कारखाने से दूसरे कारखाने में ट्रांसफर करता है, तो उसका भी नोटिस दिया जाना चाहिये। यह बात मैं ने स्पष्ट कर दी है।

यूनियन (संघ) को नोटिस देने के बारे में जो संशोधन रखा गया है मेरे विचार में उसकों मानना निहायत ज़रूरी है। इस बारे में यूनियन को ज़रूर सूचना होनी चाहिये और इसलिये उसको भी नोटिस दिया जाना चाहिये।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मैं इन संशोधनों में से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता। परिवर्तन का नोटिस देने के बारे में हमें देखना चाहिये कि क्या होता है। इस समय तो कोई भी नियोजक अकस्मात ही कोई परिवर्तन कर देता है परन्तु इसमें प्रधिकारी परिवर्तन की सूचना देकर सरकार को यह बताते हैं कि वे वर्तमान शर्तों में अमुक परिवर्तन करना चाहते हैं। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है वह तो रेलवे विनियमनों और आधारभून नियमों आदि द्वारा शासित होते हैं। कोई भी सरकार बिना विचारे अकस्मात कोई परिवर्तन नहीं करती है। प्रत्येक परिवर्तन पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात ही किया जाता है। गैर सरकारी नियोजकों का इस विधि अथवा विनियम अथवा नियम से कोई संबंध नहीं है। अतः यह आवश्यक नहीं था। हमने उसे निकाल दिया।

जहां तक पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का सम्बन्ध है, उसका उत्तर ठाकुर युगल किशोर सिंह दे चुके हैं कि इसका उत्तरदायित्व नियोजक पर है और सरकार कह सकती है कि किसी विशेष उद्योग को परिवर्तन करने की सूचना देने से मुक्त किया जाता है। यह तो एक प्रकार का आपात कालीन उपबन्ध है जिसका बहुत कम प्रयोग किया जायेगा।

†**श्री नम्बियार** : ऐसे मामलों में आपातकाल की क्या सम्भांवना है ? परिवतन करने की सूचना ही तो देना है और उसे आपातकाल में इससे भी मुक्त किया जा रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने किसी भी संशोधन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। वह इस बात का भी उत्तर दे चुके हैं।

---

†मल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्तियां १५ से १८ के स्थान पर यह रखा जाये :

"9 A. No employer, who proposes to effect any change in the conditions of service applicable to any workman in respect of any matter specified in the Fourth Schedule, shall effect such change—"

["९ क. कोई भी नियोजक जो चतुर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी विषय के सम्बन्ध में किसी श्रमिक पर लागू होने वाली सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने का विचार रखता है ऐसा नहीं करेगा"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्ति १९ में—

शब्दों "concerned in" ["से सम्बन्धित"] के स्थान पर शब्द "likely to be affected by" ["द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना"] रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्तियों २३ और २४ के स्थान पर यह रखा जाये : —

"Provided that no notice shall be required for effecting any such change—

(a) Where the change is effected in pursuance of any settlement award or decision of the Appellate Tribunal constituted under the Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950; or

(b) Where the workmen likely to be affected by the"

["परन्तु शर्त यह हो कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी—

(क) जब औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की किसी व्यवस्था पंचाट, अथवा निर्णय के अनुसरण में परिवर्तन किया जाये, अथवा

(ख) जहां श्रमिकों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५, पंक्ति ४२ में : ---

शब्द "shall not" ["नहीं होगा"] के पश्चात शब्द "apply or shall apply" ["लागू होता है या होगा"] रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ६, पंक्ति १ में से : —

शब्द "apply" ["लागू "] निकाल दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५४, ५५, ५६, ६२, ९३ और १३८ सभा के समक्ष मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६ संशोधित रूप में विधेयक मे जोड़ दिया गया।

खंड ७ (धारा १० का संशोधन)

†**श्री खंडूभाई देसाई :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

(१) पृष्ठ ७, पंक्ति ३५—

"धारा १७ (क)" को निकाल दिया जाये।

(२) पृष्ठ ७, पंक्ति ३६—

शब्दों "section 33 B to" ["धारा ३३ ख से"] के पश्चात शब्द "the" ["वह"] जोड़ दिया जाये।

(३) पृष्ठ ७, पंक्ति ३७—

"in respect of the National Tribunal"

["राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निमित्त"] शब्दों को निकाल दिया जाये।

(४) पृष्ठ ७, पंक्ति ४२—

शब्द "appropriate" ["उपयुक्त"] के पहले शब्द "the" ["वह"] जोड़ दिया जाये।

(५) पृष्ठ ७, पंक्ति ४२ और ४३—

शब्द "in respect of the national tribunal" ["राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निमित्त"] निकाल दिये जायें।

(६) पृष्ठ ७, पंक्ति ३६—

"and section 33B" ["और धारा ३३ख"] शब्दों के स्थान पर शब्द "section 33B and section 36A" ["धारा ३३ख और धारा ३६क"] रखे जायें।

ठाकुर युगल किशोर सिंह ने संशोधन संख्या ६८, ७०, ७१ और ७२ और श्री तुषार चटर्जी ने संशोधन संख्या १२० और १२१ प्रस्तुत किये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**श्री तुषार चटर्जी** : मेरे संशोधन संख्या १२० और १२१ हैं। अपने संशोधन में मैंने सरकार द्वारा किसी मामले को न्यायाधिकरण में सौंपे जाने के अधिकार में रुकावट डालने का प्रयत्न नहीं किया है बल्कि मेरा अभिप्राय है कि कर्मचारी को भी यह अधिकार दिया जाये। इसके बिना व्यर्थ का विलम्ब होता है। जैसे फरवरी १९५५ में कार्मिक संघ ने सरकार से प्रार्थना की थी कि एक मामला न्यायाधिकरण को सौंपा जाये परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में कर्मचारी को यह अधिकार देना अत्यन्त आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री तु ार चटर्जी]

संशोधन १२१ द्वारा मैं कर्मचारी को पिछले विवाद का निर्णय न किये जाने की स्थिति में भी किसी नये मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने का अधिकार देना चाहता हूं। यह अत्यन्त आवश्यक है।

यदि किसी मामले को न्यायाधिकरण को सौंपने का एकमात्र अधिकार सरकार को प्राप्त रहता है तो बहुत से आवश्यक मामलों के न्यायाधिकरण को न भेजे जाने की संभावना है। परन्तु कर्मचारी के पास इस अधिकार के होने से बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं संशोधन संख्या १२० और १२१ का समर्थन करती हूं। माननीय मंत्री ने कहा कि हर एक मामला आप ही न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाता है परन्तु मैं अपने राज्य के कई उदाहरण बता सकती हूं जिनमें मामले कई वर्ष बीत जाने पर भी न्यायाधिकरण को नहीं सौंपे गये हैं। हमने सरकार से कई बार कहा परन्तु कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जब हम श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित कर रहे है तो श्रमिक को प्रत्यक्ष रूप से न्यायाधिकरण के समक्ष जाने का अधिकार होना चाहिये। यह संशोधन अवश्य स्वीकार किये जाने चाहियें अन्यथा श्रमिको कों इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं ६८ नंबर का एमेंडमेंट (संशोधन) पेश करता हूं। मेरा अपना तजुर्बा है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) का जो भी हो, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) के फिगर्स (आंकड़े) देखे जायें तो मालूम होगा कि बहुत कम इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स (औद्योगिक विवाद) का रिफरेंस (निर्देश) ट्राइब्यूनल के सामने होता है। अभी जैसा बताया गया कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स (समझौते की कार्यवाही) में बहुत सी डिस्प्यूट्स सेट्ल (निबटारा) हुई, उसके सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था और आज भी पूछता हूं कि जितनी डिस्प्यूट्स थीं उनमें से कितनी बाकी रह गई। जब तक इस का पता नहीं लगेगा तब तक यह कहना कि हम ने इतनी डिस्प्यूट्स सेट्ल कर दीं, यह कोई माने नहीं रखता। अगर दस डिस्प्यूट्स होती हैं, तो दो को तय कर देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। इसी तरह से अगर दस डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल के सामने जाने के लिये होती हैं तो दो उसके सामने भेज देते हैं और बाकी की आठ यों ही पड़ी रह जाती हैं। यहां पर यूनियन्स के संगठित होने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि उन के अन्दर एकता कायम होना बहुत जरूरी है। एक चीज को जब आप तसलीम कर रहे हैं तो उनका हक भी तो देना चाहिये कि वह जज के सामने जा सकें और वहां से फैसला करा सकें। जब आप को अधिकार है कि आप उस के फैसले को नामंज़र कर दें या संशोधित कर दें, या जो चाहें कर दें तो उसको वहां तक जाने में आपको हिचकिचाहट क्यों है? आपको वर्कर को सीधे ट्राइब्यूनल के सामने जाने का अधिकार देना चाहिये।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कोयला खदानों संबंधी विवाद फरवरी १९५४ में औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा गया था परन्तु उस पर पंचाट इस वर्ष के मई मास में दिया गया है। इस अन्तर्कालीन अवधि में कई नये विवाद उत्पन्न हुए जिन्हें न्यायाधिकरण को सौंपने के लिये हम सरकार से नहीं कह सकते। यदि श्रमिकों को यह अधिकार दे दिया जाता है तो वे नये विवादों को न्यायाधिकरण के समक्ष ले जा सकेंगे। यदि संशोधन संख्या १२१ स्वीकार कर लिया जावे तो इससे औद्योगिक शांति स्थापित हो जायेगी।

†**श्री वेंकटरामन्** : मैं समझता हूं कि इस बात की व्यवहार्यता पर विचार किये बिना ही यह संशोधन प्रस्तुत किया है। यदि किसी उद्योग में ४००,००० श्रमिक हों और यदि प्रत्येक को किसी भी मामले को औद्योगिक न्यायालय में ले जाने की छूट दे दी जाये तो इससे बड़ी कठिनाइयां पैदा होंगी।

फिर यह कहा जा सकता है कि किसी भी पंजीबद्ध कार्मिक संघ को यह अधिकार होना चाहिये कि वह किसी मामलें को न्यायालय में ले जा सके। कार्मिक संघ विधि के अनुसार कोई भी सात व्यक्ति मिलकर स्वयं को संघ के रूप में पंजीबद्ध करा सकते हैं। इस का यह परिणाम होगा कि एक छोटे से उद्योग में १०० अथवा २०० कार्मिक संघ बन जायेंगे और उतने ही विवाद भी पैदा होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कार्मिक संघों को मान्यता देने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। यदि इस बात को लिया जाये तो यह विवाद पैदा होगा कि इसके लिये सदस्यों की कितनी प्रतिशतता अपेक्षित है। कुछ राज्य सरकारें विवादों के न्यायाधिकरण के पास भेजने में दूरदर्शिता से काम नहीं लेती हैं। उन पर राज्य विधान मंडलों में दबाव डाला जाना चाहिये। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो उपचार बताया गया है वह तो रोग से भी अधिक खतरनाक है।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : श्रीमान्, जिन्होंने इस संशोधन का सुझाव दिया है, जैसा कि श्री वेंकटरामन पहले कह चुके हैं, उन्होंने वस्तुतः परिस्थितियों को देखा नहीं है, यह समझा जाता है कि विवादों को मध्यस्थ निर्णय को सौंपने के प्रश्न का सम्बन्ध प्रबन्धकों और कर्मचारियों से है। परन्तु एक तीसरा पक्ष और भी है जिस की उपेक्षा कर दी जाती है और वह है समुदाय। उसे भी अपनी राय व्यक्त करनी होती है। अतः सरकार को, समुदाय का प्रतिनिधि होने और संसद् के प्रति उत्तरदायी होने के नाते यह निर्णय करने का स्वविवेक प्राप्त होना चाहिये कि विवाद न्याय निर्णयन के लिये भेजा जाये अथवा नहीं।

मैं लोक सभा को यह बताना चाहता हूं कि यदि प्रत्येक सदस्य को न्याय निर्णयन के लिये जाने की छूट दे दी जाये तो पिछले दो दिनों में जो भी सुन्दर भाषण यहां दिये गये हैं वे बेकार हो जायेंगे। प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि प्रबन्धकों और श्रमिकों को एक दूसरे को समझना चाहिये। ऐसा वातावरण पैदा करने के विचार से इस विधेयक में पारस्परिक समझौतों और मध्यस्थ निर्णय को विधि द्वारा स्वीकृति दी गई है। यदि प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो फिर विधेयक में मध्यस्थता निर्णय और पारस्परिक समझौते के लिये जो उपबन्ध किये गये हैं वे बिलकुल बेकार हो जायेंगे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय में जायेगा जैसा कि श्री वेंकटरामन ने कहा इससे गड़बड़ पैदा होगी और मुकदमाबाजी कभी समाप्त होनें में नहीं आयेगी। औद्योगिक शांति की बजाये औद्योगिक तनाव और अशांति पैदा होगी।

जैसा कि श्री वेंकटरामन् ने बताया, संभव है कि कुछ राज्यों में ऐसे मामलों के न्यायाधिकरण को सौंपे जाने के बारे में कुछ असन्तोष हो। हम इसकी जांच करेंगे। सामान्यतः विभिन्न संगठनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उन आंकड़ों को मैं लोक सभा के समक्ष रख चुका हूं और हम चाहते हैं कि जहां तक सम्भव हो पारस्परिक सहमति रहे। आप किसी विवाद को न्याय निर्णयन को सौंपे जाने के लिये सरकार से क्यों कहते हैं? इसीलिये कि आप किसी बात पर सहमत हो पाते हैं। यदि विवाद को मध्यस्थ निर्णय अथवा न्याय निर्णयन को नहीं सौंपा जाता है तो आप को काम बन्द करने का अधिकार है। हड़ताल करने का अधिकार तो छीना नहीं गया है। यदि कोई मामला न्याय निर्णयन को नहीं सौंपा जाता है तो आपका हड़ताल करना उचित होगा। अन्त में आप यह कर सकते हैं। यदि उस समय जब कि विवाद वाले विषय पर न्यायाधिकरण में कोई कार्यवाही हो रही हो, कोई और विवाद पैदा हो जाते हैं, तो कई बार हमने इन अन्तर्कालीन विवादों को भी न्याय निर्णयन को सौंप दिया है। यदि किसी उद्योग का एक विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष हो तो दूसरा विवाद उसे नहीं भेजा जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। उसे उसी न्याय निर्णयन व्यवस्था अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है। अतः मैं अनुभव करता हूं कि प्रस्तावित संशोधन से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी इसलिये माननीय सदस्यों से, मेरा निवेदन है कि वे अपने संशोधनों पर आग्रह न करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३५, शब्द "section 17 A" ["धारा १७ क"] को निकाल दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रजी में।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३६—

शब्द "section 33 B to" ["धारा ३३ ख से"] के पश्चात शब्द "the" ["वह"] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३७—

"in respect of the National Tribunal ["राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निमित्त"] शब्दों को निकाल दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति ४२—

शब्द "appropriate" ["उपयुक्त"] के पूर्व शब्द "the" ["वह"] जोड़ा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्तियां ४२ और ४३—

शब्द "in respect of the National Tribunal" ["राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निमित्त"] निकाल दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३६—

शब्द "and section 33 B" ["और धारा ३३ ख"] के स्थान पर " section 33 B and section 36 A" ["धारा ३३ ख और धारा ३६क"] रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, १२० और १२१ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ७ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री राजा राम शास्त्री : चूंकि इस मामले पर काफी बहस हो चुकी इसलिये मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो लोग लेबर (श्रमिकों) के फील्ड (क्षेत्र) में काम करते हैं उनको तजर्बा है कि अगर गवर्नमेंट को यह पावर दे दी जाये तो मज़दूरों को कितनी कठिनाई होती है। वेंकटरामन साहब ने कहा कि अगर मज़दूरों को अदालत में जाने का हक दे दिया जायेगा तो अदालतों में भीड़ लग जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में आई एन० टी० यू० सी० (भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस) की क्या राय है। क्योंकि गवर्नमेंट आई० एन० टी० यू० सी० की बड़ी समर्थक है इस लिये मैं इस ओर विशेष रूप से उसका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करनी है। उनके एन्युअल नम्बर (वार्षिक अंक) में कहा गया है :

"विदेश से जो विशेषज्ञ हमारे देश में आये हैं उनका मत है कि इससे सरकार निरंकुश हो जाती है।"

गवर्नमेंट को पावर दिये जाने के बारे में आई० एन० टी० यू० सी० का क्या कहना है, इस तरफ मैं खास तौर से गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं "कार्य पालिका इस मामले पर संघ को बना अथवा बिगाड़ सकती है। कुछ सीमा तक यह धारणा ठीक है। यह देखा गया है कि जब कभी श्रमिक मांग रखते हैं तो सम्बन्धित सरकार न्याय निर्णयन के लिए केवल कुछ मांगों को भेजती है। श्रमिकों की मांग को भेजने का कारण उन्हे नहीं बताया जाता। इस प्रकार विवाद न भेजने के लिये कार्यपालिका पूर्णतः सहमत है।"

मेरी शिकायत यह नहीं है कि सरकार आई० एन० टी० यू० सी० को ज्यादा फेवर (पक्ष लेना) करती है और दूसरी यूनियन्स (संघ) को कम फेवर करती है। जो लोग भी लेबर (श्रम) के फील्ड (क्षेत्र) में काम करते हैं उनको यह शिकायत है कि जब कोई वर्कर (श्रमिक) निकाल दिया जाता है और रफरेंस (निर्देश) नहीं होता तो बहुत ज्यादा असंतोष होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वर्कर्स को यह हक होना चाहिये। गवर्नमेंट को वर्कर और एम्पलायर के बीच में दखल नहीं देना चाहिए। अगर मज़दूर और मालिक के बीच झगड़ा है तो उसको उसे अदालत द्वारा फैसला कराने का अधिकार होना चाहिये। मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऐसी हालत में हड़ताल की जाये लेकिन यह तो उलटी बात है। अभी तक तो उनको शिकायत यह थी कि हम लोग हड़ताल करत हैं पर सरकार चाहती थी कि झगड़े को अदालत में ले जाया जाये। अब जब हम चाहते हैं कि झगड़ों को अदालत में ले जायें तो गवर्नमेंट चाहती है कि हड़ताल कर दो। अगर हम हड़ताल करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि तुम देश के दुश्मन हो। मैं समझता हूं कि हड़तालों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मज़दूरों को अधिकार हो कि वे अदालत के जरिये अपनी शिकायतों का फैसला करवा लें। इसीलियें मैं इस अमेंडमेंट (संशोधन) को प्रेस (आग्रह) करता हूं।

श्री रा० रा० शास्त्री ने संशोधन संख्या ६३ प्रस्तुत किया।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** पिछले संशोधनों के संबंध में मैंने जो कहा उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है। जहां तक समझौते की कार्यवाही का सम्बन्ध है हम मुख्य श्रम आयुक्त और समझौता पदाधिकारियों के प्रतिवेदनों पर विचार करते हैं। उन प्रतिवेदनों के आधार पर ही हम निर्णय करते हैं कि किसी मामले विशेष को न्याय निर्णयन के लिये भेजा जाये अथवा नहीं।

जहां तक व्यक्तिगत मामलों का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि लोक सभा के सदस्य यह अनुभव करें कि इन स्थायी आदेशों के लागू होने अथवा न होने के सम्बन्ध में श्रमिक अब भी सीधे ही न्यायालय में जा सकता है और नवीन विधि के अन्तर्गत भी वह न्यायालय में जा सकेगा। अतः यह संशोधन को स्वीकार करना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।]

खंड ८ से ११

[पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संशोधन संख्या ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ और १००, ठाकुर युगल किशोर सिंह ने संशोधन संख्या १२२ और श्री रा० रा० शास्त्री ने संशोधन संख्या १२३ प्रस्तुत किये।]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब यह सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्लाज [खंड] ८ के बारे में मुझे कुछ ज्यादा अर्ज करना नहीं है। मैं आनरेबुल मिनिस्टर [माननीय मंत्री] को मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने यह फरमाया कि उनका अपनी जिन्दगी का तजुर्बा यह है कि अदालतों के फैसले के मुकाबले में जो पंचायत का फसला होता है वह निहायत अच्छा होता है। यह उनकी सारी जिन्दगी का तजुर्बा है और यही हम सब लोगों की जिन्दगी का भी तजुर्बा है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वह एक ऐसी नई दफा [धारा] इस ऐक्ट [अधिनियम] के अन्दर लाये और उस सिलसिले में मेरी अर्ज यह थी कि अगर वह उसको थोड़ा ब्रौडबेस कर देते तो बहुत बेहतर होता।

मेरा अमेंडमेंट नम्बर [संशोधन संख्या] ९५ है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि सिविल ला में जहां आर्बिटरेशन होता है वहां वह बिना अदालत की विसातत [क्षेत्राधिकार] के हो जाता है। अगर अदालत के अन्दर कोई मामला हो तो उसके आर्बिटरेशन [मध्यस्थता] के वास्ते प्राविजन [उपबंध] है। चूंकि पंचायत का फैसला अदालत के फैसले से बेहतर है इसलिये मुनासिब यह है कि सिविल ला का वह कम्पैरेरैटिव प्राविजन [तुलनात्मक उपबन्ध] दाखिल कर दें इस कानून में ताकि ऐसी सूरतों में कहीं कोई मामला अदालत में अगर चला भी गया हो तो फरीकेन का पंचायत में जाने का इकरार होते ही और आर्बिटरेशन के होते ही अदालत में वह फैसला भेज दिया जाये और जो उसके प्राविजंस हैं उनके मुताबिक अमल हो और मुकदमा बंद हो जाये और खत्म हो जाये और मैं समझता हूं कि इसको मानने में मिनिस्टर महोदय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह तो जो उनका लाइफ लौंग प्रिंसिपल [आजीवन सिद्धांत] रहा है मेरा अमेंडमेंट [संशोधन] उसको अमली जामा पहनाना चाहता है। और मेरे अमेंडमेंट को मानने में उन्हें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मेरा ९५ नम्बर का अमेंडमेंट नौन-कन्टैंशस [विवाद रहित] है और वह मंजूर किया जाय।

अब जनाब की खिदमत में मुझे फाइव (ई) के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना है। फाइव (ई), इस तरह है :

> "(५) एक न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, यदि उपयुक्त समझे तो विचाराधीन मामले का विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक लोगों को अपने समक्ष कार्यवाही में परामर्श देने के लिये नियुक्त कर सकता है।"

में इसकी बाबत पहले भी ऐतराजात कर चुका हूं और उनको दोहराना नहीं चाहता। दो असेसर्स [निर्धारक] तो पहले ही ऐपाइंटिंग एथारिटी [नियुक्ति अधिकारी] ने मुकर्रर कर रखे हैं और उनके अलावा यह दो और असेसर्स आप मुकर्रर करके क्या उनको आप आपस में लड़ाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस की राय आप मानेंगे और किस की राय आप नहीं मानेंगे ? आप चारों को आपस में लड़ा कर उनको निगेटिव करा सकते हैं और उनकी मुत्तफिक राय [एकमत] को तोड़ सकते हैं। आपने पहले ही दो असेसर्स मुकर्रर किये हैं और इनका मुकर्रर किया जाना गैर जरूरी है। यह जो एक्सपर्टस् फाइव (ई) में हैं उनको बतौर गवाह के एग्जामिन [जांच] करना चाहिये और यह प्राविजन यहां से निकाल देना चाहिये क्योंकि पहले जो प्राविजन असेसर्स का है वह काफी है और डबल असेसर्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी गवाही ली जाये और उनकी जिरह मेरी नाकिस राय में दफा ५ (५, घ) नहीं रहनी चाहिये और अगर आप इस को रखना ही चाहें तो रूल्स [नियमों] में आपको प्रोवाइड [उपबन्ध] कर देना चाहिये कि इनकी क्या शक्ल होगी और इनकी हाजिरी या अदम हाजिरी का फैसला किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री राजा राम शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना १२३ नम्बर का संशोधन पेश करता हूं। मेरे संशोधन का मतलब यह है कि मालिक और मजदूर किसी तरीके से आपस में समझौता करें। यहां पर सिर्फ पार्टीज दिया है जिसमें मैंने यह जोड़ दिया है : 'दलों' के स्थान पर एक ओर प्रबन्ध-कर्त्ता और दूसरी ओर सम्बन्धित श्रमिकों का कार्मिक संघ रखा जाये। इस अमेंडमेंट [संशोधन] के जरिए मैं चाहता हूं कि जो भी एग्रीमेंट [करार] हो वह मजदूरों और मालिकों में बाला बाला न हो बल्कि मिल मालिकों और मजदूरों की रैकगनाइज्ड ट्रेड यूनियन्स [मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ] के बीच हो। अगर आप केवल मिल मालिकों और मज़दूरों में सीधे एग्रीमेंट की बात रखेंगे और ट्रेड यूनियन्स को पावर नहीं देंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि मिल मालिक लोग अलग अलग मज़दूरों से बात करेंगे और अगर वह फैसला मजदूरों के संगठन को मंजूर न हुआ तो उससे बेकार में झगड़े बढ़ेंगे और इसीलिये मैंने खास तौर से इसमें "रैकगनाइज्ड ट्रेड यूनियन" यह शब्द रख दिये हैं क्योंकि यह जाहिर बात है कि जब कोई यूनियन रैकगनाइज्ड होगी तो मजदूरों पर उस यूनियन का प्रभाव होगा और मजदूर उसको मानते होंगे और इस वास्ते मैं चाहता हूं कि जो एग्रीमेंट हो वह मजदूरों के संगठन और मालिकों के बीच में होना चाहिये न कि मजदूरों और मालिकों में अलग अलग किया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इसके बारे में सोचेंगे और उनको इस चीज से घबड़ाना नहीं चाहिये कि अगर मजदूर यूनियन्स सीधे मालिकों से एग्रीमेंट करने लगेंगी तो उन यूनियन्स का प्रभाव बढ़ जायगा। गवर्नमेंट की तो खुद यह ख्वाहिश रही है कि ट्रेड यूनियन्स की ताकत बढ़े लेकिन देखने में यह आता है कि ट्रेड यूनियन्स की जब जब ताकत बढ़ाने का सवाल आता है तब तब गवर्नमेंट पीछे हट जाती है। अगर गवर्नमेंट वाकई मजदूर संगठनों को मजबूत बनाना चाहती है तो उसे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मिल मालिकों और ट्रेड यूनियन्स के बीच में जो सैटिलमेंट होगा उसके मानने से इंडस्ट्रियल पीस ज्यादा अच्छे तरीके से कायम हो सकेगा।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : अब तो यह होता है कि ट्राइब्यूनल [न्यायाधिकरण] के सामने कोई एग्रीमेंट [करार] ले कर जाता है कि यह ऐवार्ड [पंचाट] दिया गया है, तब भी केसेज चलते रह सकते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टी ट्राइब्यूनल के सामने आरबिटरेशन [मध्यस्थता] का नाम ले कर जाये कि हम फलां का आरबिटरेशन मानना चाहते हैं तो उसको फौरन मंजूर कर लिया जाये जैसे कि सिविल केसेज में होता है, और उस ऐवार्ड को सही माना जाता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप कुछ तो एक्सेप्ट [स्वीकार] कीजिये, सारा बगैर ऐक्सेप्ट्स [स्वीकृति] के ही चला जा रहा है।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो बातें कहीं हैं, उनके बारे में मुझे यह कहना है कि आज भी यदि दोनों पक्ष मध्यस्थ द्वारा निर्णय कराना चाहें तो वे उस व्यक्तिगत मामले विशेष पर कार्यवाही स्थगित करा कर न्यायाधिकरण से डिक्री प्राप्त कर सकते हैं। यह अब भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। खंड ८ में जो कुछ अपेक्षित है वह यह है कामगारों ने यह मांग की है कि वे एक ऐसा करार करें जिसके अनुसार उनके सभी विवाद मध्यस्थ निर्णय को सौंपे जायें। उन विवादों पर जो पंचाट दिये गये हैं अब उन पंचाटों को विधि द्वारा मान्यता दी जा रही है। यदि कोई विवाद राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के विचाराधीन हो, और यदि कार्यवाही के दौरान में, दोनों पक्ष इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि उनका समझौता हो सकता है तो फिर उस मामले को एक प्रकार का सहमत पंचाट प्राप्त करने के लिये न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जाये। बहुत से न्यायाधिकरणों में ऐसा हुआ है कि वह स्थगन की मांग करते हैं और कहते हैं कि वह विवाद को मध्यस्थ निर्णय को सौंपना चाहते हैं और मध्यस्थ के पंचाट के पश्चात् उसे न्याय निर्णयन व्यवस्था के समक्ष लाकर पारित किया जायेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या यह विधि है या प्रथा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : यह सामान्य प्रथा है, परन्तु विधि संबंधी स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थ के विचाराधीन किसी विवाद विशेष के लिये विधि-सम्बन्धी स्वीकृति देना बिलकुल ही आवश्यक नहीं है।

†**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : इस संशोधन को स्वीकार करने से इस कठिनाई के पैदा होने की सम्भावना है कि न्यायाधिकरण यह कह सकता है कि क्योंकि विवाद को हमें सौंपने से पूर्व मध्यस्थ निर्णयन का कोई उल्लेख नहीं किया गया था इसलिये हमें इस मामले को मध्यस्थ निर्णयन के लिये भेजने का कोई अधिकार नहीं है, हम स्वयं ही इसका निर्णय करेंगे। यदि पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो कोई कठिनाई नहीं होगी।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस समय न्यायालय को कार्यवाही रोकने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि विवाद के न्यायाधिकरण को सौंपे जाने के पश्चात् यदि दोनों पक्ष मध्यस्थ द्वारा निर्णय किये जाने के सम्बन्ध में समझौता करते हैं तो न्यायालय के लिये कार्यवाही को रोक देना अनिवार्य हो।

†**ठाकुर युगल किशोर सिंह** : अब तो यह होता है कि ट्राइब्यूनल के सामने कोई एग्रीमेंट [करार] ले कर जाता है कि यह ऐवार्ड [पंचाट] दिया गया है तब भी केसेज चलते रह सकते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टी ट्राइब्यूनल के सामने आरबिटरेशन [मध्यस्थ निर्णय] का नाम लेकर जाये कि हम फलां का आरबिटरेशन मानना चाहते हैं, तो उसको फौरन मंजूर कर लिया जाये जैसे कि सिविल केसेज में होता है, और उस ऐवार्ड को सही माना जाता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप कुछ तो ऐक्सेप्ट [स्वीकार] कीजिये, सारा अमेंडमेंट बगैर ऐक्सेप्टेन्स के ही चला जा रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९५, १२२ और १२३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९६, ९७, ९८, ९९ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०० मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १२ और १३

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सरकार का संशोधन सं० २३ खंड १२ में कुछ वृद्धि करता है और यह संशोधन खंड १३ के बारे में है, इसलिये हमें इन्हें एक साथ लेना पड़ेगा ।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १०, पंक्ति १३–

शब्द "and Section 17" ["और धारा १७"] के स्थान पर शब्द "Section 17 and Section 17 A" ["धारा १७ और धारा १७क"] रखा जाये ।

(२) पृष्ठ १०, पंक्तियों ३० और ३१ के स्थान पर यह रखा जाये :

17. (1) "Every report of a Board or Court together with any minute of dissent recorded therewith, every arbitration award, and every award of a Labour

["१७ (१) किसी बोर्ड अथवा न्यायालय का प्रत्येक प्रतिवेदन जिसके साथ ही अभिलिखित विमति टिप्पण (यदि कोई हों तो), प्रत्येक मध्यस्थता पंचाट और श्रम का प्रत्येक पंचाट"]

(३) पृष्ठ १०, पंक्ति ३४—

शब्द "It" ["इस"] के स्थान पर शब्द " The appropriate Government ["उपयुक्त शासन"] रखे जायें ।

[श्री तुषार चटर्जी ने संशोधन संख्या १०१, श्री रा० रा० शास्त्री ने संशोधन संख्या १२४, ठाकुर युगल किशोर सिंह ने संशोधन संख्या १२५ और श्री नी० श्रीकान्तन नायर ने संशोधन संख्या १२६ प्रस्तुत किये ।

श्री खंडूभाई देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ११, पंक्ति १ से १९ के स्थान पर यह रखा जाये :

"17A— COMMENCEMENT OF THE AWARD

(1) An award (including an arbitration award) shall become enforceable on the expiry of thirty days from the date of its publication under section 17 :

Provided that—

(a) if the appropriate Government is of opinion, in any case where the award has been given by Labour Court or Tribunal in relation to an industrial dispute to which it is a party; or

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री खंडूभाई देसाई]

(b) if the Central Government is of opinion in any case where the award has been given by a National Tribunal :

that it will be inexpedient on public grounds affecting national economy or social justice to give effect to the whole or any part of he award, the appropriate Government, or as the case may be, the Central Government, may, by notification in the Official Gazette, declare that the award shall not become enforceable on expiry of the said period of thirty days.

(2) Where any declaration has been made in relation to an award under the proviso to sub-section (1), the appropriate Government or the Central Government may, within ninety days from the date of publication of the award under section 17, make an order rejecting or modifying the award, and shall on the first available opportunity, lay the award together with a copy of the order before the Legislature of the State, if the order has been made by a State Government, or before Parliament, if the order has been amade by the Central Government.

(3) Where any award as rejected or modified by an order made under sub-section (2) is laid before the Legislature of a State or before Parliament, such award shall become enforceable on the expiry of fifteen days from the date on which it is so laid; and

Where no order under sub-section (2) is made in pursuance of a declaration under the proviso to sub-section (1), the award shall become enforceable on the expiry of the period of ninety days referred to in sub-section (2).

(4) Subject to the provisions of sub-section (1) and sub-section (3) regarding the enforceability of an award, the award shall come into operation with effect from such date as may be specified therein, but where no date is specified, it shall come into operation on the date when the award becomes enforceable under subsection (1) or sub-section (3), as the case may be."

[१७ क—पंचाटका प्रारम्भ]

(१) पंचाट (मध्यस्थ-निर्णय पंचाट सहित) धारा १७ के अधीन इसके प्रकाशन की तिथि से ३० दिन पश्चात् लागू होगा :

परन्तु—

(क) यदि समुचित सरकार की यह सम्मति है, किसी भी अवस्था में जब कि पंचाट श्रम-न्यायाश्रय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी ऐसे औद्योगिक विवाद के संबंध में दिया गया है, जिससे यह भी सम्बन्धित है, अथवा

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार की यह सम्मति है, किसी भी अवस्था में जब कि पंचाट राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है :

कि पंचाट के किसी भी अंश अथवा सम्पूर्ण पंचाट को क्रियान्वित करना राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय की दृष्टि के लोकाधार पर विलम्बनीय होगा तो समुचित सरकार, अथवा जैसी भी स्थिति हो, केन्द्रीय सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् पंचाट लागू नहीं होगा।

(२) जहां कहीं उपधारा (१) के परन्तुक के अधीन किसी पंचाट के सम्बन्ध में कोई घोषणा की गई है वहां के केन्द्रीय सरकार धारा १७ के अधीन पंचाट के प्रकाशन की तिथि के पश्चात् नव्वे दनों के भीतर समुचित सरकार अपने केन्द्रीय सरकार, पंचाट को रद्द करते हुए अथवा उसका

संशोधन करते हुए आदेश दे सकती है, और सर्वप्रथम उपलब्ध अवसर पर पंचाट तथा आदेश की एक प्रति, यदि राज्य सरकार द्वारा आदेश दिया गया है तो, राज्य के विधान मंडल के समक्ष और यदि आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया है तो संसद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

(३) जहां उपधारा (२) के अधीन आदेश द्वारा रद्द हुए तथा रूपभेद किये गये आदेश की प्रति राज्य के विधान मण्डल अथवा संसद् के समक्ष रखी गयी है, वहां वह इस प्रकार रखे जाने की तिथि के पश्चात् पन्द्रह दिनों की अवधि पूरी होने पर लागू होगा, और जहां उपधारा (१) के परन्तुक के अधीन घोषणा के अनुसरण में उपधारा (२) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया गया है, वहां उपधारा (२) में उल्लिखित नव्वे दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् पंचाट लागू होगा।

(४) पंचाट के लागू हो सकने के बारे में उपधारा (१) और उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पंचाट उसमें निर्दिष्ट तिथि से क्रियान्वित होगा किन्तु जहां तिथि का उल्लेख नहीं है वहां उपधारा (१) अथवा उपधारा (३) के अधीन, जब पंचाट लागू हो सकने योग्य होगा उस तिथि पर, जैसी भी स्थिति हो, यह क्रियान्वित होगा ।"]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री नम्बियार :** मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खंड १३ को संशोधन संख्या २३ द्वारा बिलकुल बदल दिया गया है । यह संशोधन लम्बा है और मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता हूं । उन मामलों संबंधी पंचाटों में, जिनमें सरकार एक पक्ष है और जिनमें असरकारी व्यक्ति ही दोनों पक्ष हैं अन्तर किया गया है । खंड का विश्लेषण सारी स्थिति को स्पष्ट कर देता है । उन मामलों में जिसमें राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार एक पक्ष है सरकार को अधिकार है कि वह पंचाट में ९० दिन में रूपभेद अथवा संशोधन कर सकती है और फिर संशोधित पंचाट ही लागू होगा । सरकार को यह बताना चाहिये कि यह भेद भाव क्यों रखा गया है । मामले के निर्णय के लिये सौंपते समय भी सरकार को इन्कार कर देने का अधिकार रहता है । सरकारें सबसे बड़ी नियोजक इकाई है । रेलवे है, भारतीय एयरलाइन्ज निगम है और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट आदि हैं, और अब बीमा व्यवसाय भी सरकार का ही हो गया है । अब जब कि कोई औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण के सुपुर्द किया जाता है तो सरकार इसे रद्द कर सकती है । वह देर भी कर सकती है और न्यायाधिकरण को मामला सौंपे जाने पर वह अपनी पसन्द के न्यायाधिकरण का चुनाव कर सकती है । नियुक्तक शक्ति तो सरकार के पास ही होती है इसलिये जिनको वह चाहे चुन सकती है । इतनी सारी बातें होने के पश्चात् जब पंचाट दिया जाता है तो सरकार उसमें संशोधन करना चाहती है । और इस प्रकार के परिवर्तन के लिये वह ९० दिन की अवधि चाहती है । यह सब क्यों ? जब कोई बड़ा औद्योगिक विवाद होता है तो सरकार को उसे न्यायाधिकरण को सौंपना पड़ता है और जब सरकार चाहती है ९० दिन की अवधि में वह कामगारों पर दबाव डाल कर समूची कार्यवाही को व्यर्थ बना दे । बैंक पंचाट में यही सब कुछ हुआ । इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि सरकार एक आदर्श नियोजक बनना नहीं चाहती है । प्रत्युत वह सरकारी नियोजक और निजी नियोजक में अन्तर करना चाहती है । इससे आम नियोजकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है । यह एक गलत सिद्धांत है । सभी पंचाटों को स्वीकार करके लागू किया जाना चाहिये । पुराना इतिहास यही है कि सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिये कभी किसी पंचाट में परिवर्तन नहीं किया है । परिवर्तन यदि किया भी गया है तो श्रमिकों के प्रतिकूल उद्देश्यों से प्रभावित होकर किया गया है । जब प्रश्न उठाया जाता है तो कहा जाता है कि 'सार्वजनिक हित में हमें ऐसा करना ही पड़ा ।' अब 'सामाजिक न्याय' नाम का एक मुहावरा और घड़ लिया गया है, यह सामाजिक न्याय क्या है? क्या सरकार को ही यह एकाधिकार प्राप्त है कि वह यह निर्णय करे कि 'सार्वजनिक हित' क्या है । यह तो सरकार के लिये कोई श्रेयजनक बात नहीं है और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रम नीति संबंधी वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार को एक आदर्श नियोजक की भांति व्यवहार करना चाहिये । बातें करने और दुनिया को दिखाने के लिये यह सब कुछ ठीक है परन्तु जब कुछ करने की बात आती

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नम्बियार]

है तो वह सामाजिक न्याय की बात चलाती है। यह कोई ठीक बात नहीं है। सरकार को जनता के हित में जनता पर राज करना है और भेदभाव दूर करने हैं अन्यथा इस मामले पर दूसरी पंच-वर्षीय योजना में जो कुछ कहा गया है उस पर पानी फेर दिया जाना चाहिये।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह खंड बहुत ही विवादास्पद है। परन्तु बहुत गम्भीर विचार के पश्चात् मेरा यह मत है कि सरकार को ऐसे अधिकार दिये जाने चाहियें। मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने कहा कि इस अधिनियम से सरकार को जो अधिकार प्राप्त है उसका उपयोग श्रमिकों के विरुद्ध ही किया गया है। वह बिलकुल ठीक नहीं है। इस मामले पर हमें बैंक पंचाट के संबंध में किये गये निर्णय के दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिये। मैंने अपने मित्र श्री वेंकटरामन के उस भाषण का गहरा अध्ययन किया है जो कि उन्होंने सामान्य चर्चा के समय दिया था। उन्होंने इस खंड के संबंध में बड़ी सख्त बातें कहीं। मुझे अपने राज्य का एक ऐसा उदाहरण मालूम है जहां सरकार ने श्रमिकों के हित में पंचाट में परिवर्तन किया। टाटा तेल कम्पनी ने ४५ कर्मचारियों को निकाल दिया था। मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष गया और निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में हुआ। तब मामला अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष गया और उसने कम्पनी के पक्ष में निर्णय दिया। इस मामले के संबंध में मैंने तत्कालीन श्रम मंत्री श्री वी० वी० गिरि से प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होना चाहिये। उन्होंने प्रयत्न किया और अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट में संशोधन किया गया। यह ठीक है कि ऐसे उदाहरण दो तीन ही हैं।

†**श्री नी० श्रीकांतन् नायर** : केवल दो ही मामले हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : इस मामले में सरकार ने अधिकारों का प्रयोग कर्मचारियों के पक्ष में किया।

†**श्री नम्बियार** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले में सरकार कोई पक्ष थी ?

†**श्री अ० म० थामस** : संशोधन में .....

†**श्री नम्बियार** : इसका उत्तर दीजिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। कोई माननीय सदस्य उत्तर दिये जाने का आग्रह नहीं कर सकता है, और इस प्रकार की अन्तर्बाधायें ठीक नहीं हैं।

†**श्री वे० प० नायर** (चिरयिन्कील) : यदि कोई गलत बात कहे ....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य स्वयं अपने परिणाम निकाल लें।

†**श्री अ० म० थामस** : सरकार के संशोधन का यही उद्देश्य है कि वह केवल उसी समय हस्तक्षेप करेगी जब कि सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से पंचाट में संशोधन किया जाना जरूरी होगा। मेरे विचार में सरकार इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकती है। श्री खंडूभाई देसाई जैसे व्यक्ति के मंत्री होते हुए जिन्होंने कि अपना जीवन ही श्रमिकों के हितों की रक्षा में व्यतीत किया है, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिये। सरकार किसी भी दल की हो, केन्द्र की हो अथवा राज्य की हो, श्रम मंत्री तो वही होगा जिसने श्रम आन्दोलन में कुछ भाग लिया हो। इस लिये सरकार के इन अधिकारों के प्राप्त किये जाने पर कोई सन्देह नहीं किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त मामला संसद् के समक्ष भी रखा जायेगा और सदन उसमें जब भी चाहे हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिये अन्याय की कोई बात नहीं है और मैं सरकार के संशोधन का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** अपने संशोधन संख्या १२६ के संबंध में मुझे श्री ग० ध० सोमानी तथा श्री बंसल का एक अपीलीय प्राधिकारी अथवा उच्च न्यायालय को इस संबंध में अधिकार दिये जाने के प्रश्न पर समर्थन प्राप्त हुआ है। परन्तु एक अन्तर है, मेरा कहना है कि केवल दो आधारों पर ही उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्चय न्यायालय को इन न्यायाधिकरणों के पंचाटों पर अधिकार प्राप्त होना चाहिये। प्रथम यह कि जब गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया गया हो और दूसरा यह कि निर्णय किसी भावना विशेष से प्रेरित हो दिया गया हो। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी उस दिन मैंने अपीलीय न्यायाधिकरण का उदाहरण दिया था जिसे सब ने भ्रष्ट माना था ; ऐसे मामले में उच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय ही नहीं है। दो ही मामलों में सरकार ने पंचाटों को संशोधित किया है। एक बैंकों के मामले में और दूसरे, मेरे राज्य त्रावनकोर-कोचीन के ४५ कर्मचारियों की छंटनी के मामले में। उसमें भी राजनीतिक पक्षपात आ गये थे। अभ्यंश के मामलों में १९४६ में श्री रामास्वामी आय्यर के शासनकाल में निश्चय किया गया था और उसे आज तक माना जा रहा था कि सब को कुल आय का एक जैसा अर्थात् ४ प्रतिशत अभ्यंश दिया जाये। यद्यपि मामला काफी महत्वपूर्ण था परन्तु राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। न्यायाधिकरण ने दस वर्ष से चले आ रहे इस निर्णय को बदल दिया, क्योंकि सर्वोच्चय न्यायालय ने १९४८ के बाद से चालू किये गये उद्योगों के संबंध में इसके विपरीत मत प्रकट किया था। न्यायाधिकरण के समक्ष अधिवक्ता ने इसका उल्लेख किया तो न्यायाधिकरण ने इसे मान लिया। अब जब कि ऐसा कोई निर्णय हो तो उसके लिये कोई मार्ग चाहिये। सरकार पर चाहे केन्द्र की हो अथवा राज्य की प्रत्येक समय आश्रित नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि उसके सामने तो राजनीतिक भेदभाव रहते ही हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। डेढ़ वर्ष की बात है कि मैंने श्रम मंत्रालय के विरुद्ध एक लेख याचिका प्रस्तुत की थी क्योंकि मेरे संघ और त्रावनकोर-कोचीन सरकार के बीच तय हुई शर्तों को बदल दिया गया था। सरकार ने निर्देश पद बदल दिये और धारा १० (१) (ग) के अन्तर्गत मामले को अनिवार्य न्यायाधिकरण को भेज दिया। मैंने पंजाब उच्च न्यायालय में अपील की। उक्त सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं भेजा है और इसलिये मेरी लेख-याचिका पर कुछ निर्णय नहीं हो सका। माननीय मंत्री श्री खंडूभाई देसाई ने ऐसा किया है। मैं कई बार उच्च न्यायालय का द्वार खटखटा चुका हूं पर जवाब मिला है कि उसे भी अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यह है राजनीतिक पक्षपात, इसलिये हम धारा १७ अथवा १७ क के अन्तर्गत इन अधिकारों के सरकार को दिये जाने की आज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि वह हमेशा उनका प्रयोग श्रमिकों के हितों में ही नहीं करेगी। यदि सरकार श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाली हो तो ऐसे अधिकार उसे दिये जाने का म विरोधी नहीं हूं, पर यहां वह बात नहीं है। इसलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं जिसमें मेरा और श्री सोमानी का एक मत है। मैं जानता हूं कि श्रम मंत्री इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

†**श्री आबिद अली :** अभी तक ४४ संशोधन स्वीकार किये गये हैं।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** वह तो आपके अपने संशोधन हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह अपने संशोधनों के संबंध में ही कह रहे हैं।

†**श्री नम्बियार :** छपाई की गलतियां इसमें शामिल हैं।

श्री राजा राम शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दफा [धारा] १२ में संशोधन नम्बर १२४ पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस दफा में यह लिखा है :

"यथा संभव उसकी समाप्ति पर शीघ्र।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री राजाराम शास्त्री]

मेरा संशोधन यह है कि इसके स्थान पर ये शब्द लिख दिए जायें :

"दो मास के भीतर" ।

मैं इस संशोधन को इसलिये जरूरी समझता हूं कि आम तौर पर लोगों को यह शिकायत रहती है कि अदालतों में फैसले बहुत देर से होते हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी इस तथ्य को स्वीकार करेगी और हम लोग तो रोज-मर्रा इसको भुगतते हैं। इस बात से मज़दूरों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है कि न मालूम अदालतों में कितना टाइम लग जाता है। इसमें शब्द रखे गये हैं—"जल्द से जल्द जहां तक सम्भव हो सकेगा।" इतने विस्तृत और व्यापक शब्दों को रखने से मामले का फैसला होने में बहुत जमाना लग सकता है। क्या यह बेहतर न होगा कि अदालतों को कहा जाय कि अर्जी को महीने के अन्दर अन्दर डिस्पोज आफ़ [निबटाना] कर दिया जाय। अगर यह व्यवस्था कर दी जायगी, तो अदालतें भी कोशिश करेंगी कि दो महीने के अन्दर ही मामले को निबटा दिया जाय। मैं समझता हूं कि अगर हकूमत समझती है कि अदालतों में बहुत वक्त लग जाता है और वह यह चाहती है कि फैसले दो महीने के अन्दर हो जायें, तो हकूमत को इस सुझाव को मान लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन १२५ के द्वारा यह व्यवस्था की है कि जो ट्रिब्यूनल [न्यायाधिकरण] का एवार्ड [पंचाट] हो, उसकी कापी फ्री आफ कास्ट [बिना मूल्य] पार्टीज [दलों] को दी जाय। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** खंड १२ और १३ का आशय स्पष्ट है। मैं केवल श्री श्रीकान्तन नायर की बातों का उत्तर दूंगा। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के मध्य किसी निर्देश पद के संबंध में सहमति का कोई प्रश्न नहीं था। यदि दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् वह हमारे पास भेजा जाता तो हम जैसा कि वह हमारे पास आता वैसा ही उसे प्रस्तुत कर देते। परन्तु यह ऐसा नहीं था।

एक बात उन्होंने और कही कि हमने पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष निलम्बित एक याचिका का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। हम उसका उत्तर काफी समय हुआ भेज चुके हैं। रूपभेद करने के संबंध में सरकार ने जिन अधिकारों को लिया है, उनके संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि अपीलीय न्यायालय के समाप्त हो जाने पर सदन भी मेरे साथ इस बात पर सहमत होगा कि ऐसे अधिकारों को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक ही न्यायालय है और किसी पंचाट विशेष में भूल हो सकती है। यदि उसमें भूल हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिये समय चाहिये और उस भूल के ठीक किये जाने के पश्चात् भी, जिसे प्रविधिक रूप से परिवर्तन कहा जा सकता है, हमारी बात ही अन्तिम बात नहीं है। हमें उस परिवर्तन को, या जो भी रूपभेद हम करना चाहते हैं उसको लोक-सभा पटल पर रखना पड़ता है और लोक-सभा पटल पर रखे जाने के १५ दिन पश्चात् वह लागू हो सकेगा। सदन को उसके संबंध में अपने विचार प्रकट करने का काफी समय मिलेगा।

उन पंचाटों के संबंध में, जिनमें कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार एक पक्ष होती है, यह कोई नवीनता नहीं है। यह व्यवस्था १९४७ से ही चल रही है और यह शक्ति प्राप्त है। पंचाट को बदलने अथवा किसी पंचाट को रद्द कर देने के मामले में उसे सभा पटल पर रखा जाता है और अभी तक कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है और न गत नौ वर्षों में कोई ऐसा अवसर आया है कि जिसमें उस पंचाट में परिवर्तन किया गया हो जिसमें कि सरकार एक पक्ष थी। इसलिये मेरे विचार से इस संबंध में कोई आशंका नहीं होनी चाहिये। कोई विरला ही अवसर ऐसा आ सकता है और उसी के लिए यह एक व्यवस्था की गई है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह परिवर्तन किसी भी पक्ष के हक में हो सकता है, और श्रमिकों प्रति सामाजिक न्याय करने के लिये भी परिवर्तन किया जा सकता है।

इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह खंड ११ और १२ उनके वर्तमान रूप में तथा खंड १३ को मेरे संशोधन के साथ स्वीकार कर ले।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०, पंक्ति १३ "and Section 17" ["और धारा १७"] के स्थान पर "Section 17 and Section 17A" ["धारा १७ और धारा १७ क"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १०, पंक्ति ३० और ३१ के स्थान पर यह रखा जाये :

" 17 (1) Every report of a Board or Court together with any minutes of dissent recorded therewith, every arbitration award and every award of a Labour "

["१७(१) बोर्ड अथवा न्यायालय का प्रत्येक प्रतिवेदन जिसके साथ ही अभिलिखित विमति टिप्पण (यदि कोई हो तो), प्रत्येक मध्यस्थल पंचाट और श्रम का प्रत्येक पंचाट"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०, पंक्ति ३४, शब्द "It" [इस] के स्थान पर "the appropriate Government" ["उपयुक्त शासन"] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०१, १२५ और १२६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११, पंक्ति १ से १९ के स्थान पर यह रखा जाये :

"17A— COMMENCEMENT OF THE AWARD

(1) An award (including an arbitration award) shall become enforceable on the expiry of thirty days from the date of its publication under section 17:

Provided that —

(a) if the appropriate Government is of opinion, in any case where the award has been given by a Labour Court or Tribunal in relation to an industrial dispute to which it is a party; or

(b) if the Central Government is of opinion, in any case where the award has been given by a National Tribunal :

that it will be inexpedient on public grounds affecting national economy or social justice to give effect to the whole or any part of the award, the appropriate Government, or as the case may be, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the award shall not become enforceable on the expiry of the said period of thirty days.

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

(2) Where any declaration has been made in relation to an award under the proviso to sub-section (1), the appropriate Government or the Central Govetnment may, within ninety days from the date of publication of the awa:d under section 17, make an order rejecting or modifying the award, and shall, on the first available opportunity, lay the award together with a copy of the order before the Legislature of the State if the order has been made by a State Government, or before Parliament, if the order has been made by the Central Government.

(3) Where any award as rejected or modified by an order made under sub-section (2) is laid before the Legislature of a State or before Parliament, such award shall become enforceable on the expiry of fifteen days from the date on which it is so laid; and where no order under sub-section (2) is made in pursuance of a declaration under the proviso to sub-section (1), the award shall become enforceable on the expiry of the period of ninety days referred to in sub-section (2).

(4) Subject to the provisions of sub-section (1) and sub-section (3), regarding the enforceability of an award, the award shall come into operation with effect from such date as may be specified therein, but where no date is specified, it shall come into operation on the date when the award becomes enforceable under sub-section (1) or sub-section (3), as the case may be."

["१७ क—**पंचाट का प्रारम्भ**

(१) पंचाट (मध्यस्थ-निर्णय पंचाट सहित) धारा १७ के अधीन इसके प्रकाशन की तिथि से ३० दिन पश्चात लागू होगा :

परन्तु—

(क) यदि समुचित सरकार की यह सम्मति है, किसी भी अवस्था में जब कि पंचाट-श्रम-न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी ऐसे औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में दिया गया है, जिससे यह भी सम्बन्धित है, अथवा

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार की यह सम्मति है, किसी भी अवस्था में जब कि पंचाट राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है :

कि पंचाट के किसी भी अंश अथवा सम्पूर्ण पंचाट को क्रियान्वित करना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय की दृष्टि से लोकाधार पर विलम्बनीय होगा तो समुचित सरकार, अथवा जैसी भी स्थिति हो, केन्द्रीय सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात पंचाट लागू नहीं होगा।

(२) जहां कहीं उपधारा (१) के परन्तुक के अधीन किसी पंचाट के सम्बन्ध में कोई घोषणा की गई है वहां के केन्द्रीय सरकार धारा १७ के अधीन पंचाट के प्रकाशन की तिथि के पश्चात नव्वे दिनों के भीतर समुचित सरकार अपने केन्द्रीय सरकार, पंचाट को रद्द करते हुए अथवा उसमें संशोधन करते हुए आदेश दे सकती है, और सर्वप्रथम उपलब्ध अवसर पर पंचाट तथा आदेश की एक प्रति यदि राज्य सरकार द्वारा आदेश दिया गया है तो, राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष और यदि आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया है तो संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(३) जहां उपधारा (२) के अधीन आदेश द्वारा रद्द हुए तथा रूपभेद किये गये आदेश की प्रति राज्य के विधान मंडल अथवा संसद के समक्ष रखी गयी है, वहां वह इस प्रकार रखे जाने की

तिथि के पश्चात् पन्द्रह दिनों की अवधि पूरी होने पर लागू होगा, और जहां उपधारा (१) के परन्तुक के अधीन घोषणा के अनुसरण में उपधारा (२) अधीन कोई आदेश नहीं दिया गया है, वहां उपधारा (२) में उल्लिखित नव्वे दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात पंचाट लागू होगा।

(४) पंचाट के लागू हो सकने के बारे में उपधारा (१) और उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पंचाट में निर्दिष्ट तिथि से क्रियान्वित होगा किन्तु जहां तिथि का उल्लेख नहीं है वहां धारा (१) अथवा उपधारा (३) के अधीन, जब पंचाट लागू हो सकने योग्य होगा उस तिथि पर, जैसी भी स्थिति हो, यह क्रियान्वित होगा।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १२ और १३ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १२ और १३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

[**धारा १५**—(धारा १९ का संशोधन)]

संशोधन किया गया—

(१) पृष्ठ ११, पंक्ति ३७ के बाद, यह जोड़ा जाये :

' (a) in sub-section (i), the words "arrived at in the course of a conciliation proceeding under this Act" shall be omitted '

—[*Shri Khandubhai Desai*]

['(क) उपधारा (१) में से शब्द "इस अधिनियम के अन्तर्गत समझौते की कार्यवाही के दौरान में निश्चित" निकाल दिये जाये'] ; और

—[**श्री खंडूभाई देसाई**]

(२) पंक्ति ३८ में, "(a)" ["(क)"] के स्थान पर "(aa)" ["(कक)"] रखा जाये।

—[**श्री खंडूभाई देसाई**]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है:

खंड १५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १५ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं अपने संशोधन नम्बर १२७ और १२८ मूव करता हूं।

अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि पबलिक यूटिलिटी सरविसेज़ (सार्वजनिक श्रम सेवाएं) के बारे में तो यह प्राविज़न (उपबन्ध) है कि स्ट्राइक (हड़ताल) का नोटिस (सूचना) कंसिलिएशन आफिसर (समझौता पदाधिकारी) को मिले और वह सरकार को उसकी रिपोर्ट दे दे वैसे ही कंसिलिएशन प्रोसीडिंग (समझौते की कार्यवाही) शुरू हो जाती है। लेकिन जहां तक

†मूल अंग्रेजी में।

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

नान-पबलिक यूटिलिटी सरविसेज़ (सार्वजनिक लाभ सेवाएं) का सवाल है उन के लिये यह प्राविजन नहीं है। यह कमी है। कंसिलिएशन आफिसर को जो स्ट्राइक का नोटिस मिलता है उसकी किसी को खबर नहीं होती, न तारीख की खबर होती है कि कब स्ट्राइक होगी। अगर इस बीच में कोई गड़बड़ हो जाती है तो पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब तक पार्टी को उसकी खबर न मिल जाये तब तक कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की शुरूआत न समझी जाये।

इसके अलावा जब कंसिलिएशन आफिसर सरकार के पास रिपोर्ट भेज देता है तो यह समझा जाता है कि प्रोसीडिंग्स समाप्त हो गईं। मैं यह चाहता हूं कि जब उस रिपोर्ट की कापी पार्टी कंन्सर्न्ड (सम्बन्धित) को मिल जाये तभी उस प्रोसीडिंग्स को खत्म समझा जाये क्योंकि यह मालूम होने पर पार्टी जो कार्यवाही करना चाहेगी कर लेगी। इन प्रोसीडिंग्स का समय निश्चित होना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि इस बारे में नियम साफ हो जाना चाहिये।

श्री आबिद अली : इस बारे में मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील के सिलसिले में जो फैसला हुआ था उसके बाद हमने एक नोटीफिकेशन (अधिसूचना) के जरिये से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के शुरू होने और खत्म होने का समय निश्चित कर दिया था। पार्टीज को इत्तला किस तरह होनी चाहिये इसका भी नियम बना दिया था। जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, अगर इसमें कोई दिक्कत महसूस हुई और हमको यह बतलाया गया तो हम इसको रूल्स (नियम) में शामिल कर देंगे ताकि किसी किस्म का शक बाकी न रह जाये और किसी को तकलीफ न हो।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : जब एक्ट में ही कंसिलिएशन के बारे में प्रावीजन (उपबंध) दे दिया गया है तो उसके खिलाफ आप रूल्स में कैसे प्राविजन कर सकते हैं। इसीलिये तो मैंने संशोधन दिया है। अगर आपको संशोधन करना है तो यही कीजिये।

श्री आबिद अली : हमने इसको जांच लिया है। हम रूल्स में इस बारे में कम ज्यादा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२७ और १२८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड १६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १७ से २१ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड २२(धारा ३३ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना)

श्री तुषार चटर्जी ने संशोधन संख्या १४२ और १०५, १०६, १०७, १०८ और १०९, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संशोधन संख्या १०३ और १०४, ठाकुर युगल किशोर सिंह ने संशोधन संख्या १२९, श्री राजा राम शास्त्री ने संशोधन संख्या १३० और श्री नम्बियार ने संशोधन संख्या १४३ और १४४ प्रस्तुत किये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं।

†**श्री तुषार चटर्जी :** धारा ३३ के संशोधन पर आपत्ति की गई है। तमाम सदस्यों ने प्रस्तावित संशोधन की त्रुटियां बताई हैं और कहा ह कि उसमें कामगारों के साथ न्याय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्रम मंत्री ने यह तो माना है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखने पर तो अवश्य ही इसमें कामगारों के अधिकार कम किये गये हैं, लेकिन उनका कहना है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने पर उसमें प्रस्तावित परित्राण पर्याप्त है। मैं इसी का उत्तर देना चाहता हूं।

अनुभव हमें यही बताता है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने पर भी कामगारों के अधिकारों में कमी की गई है और हमारी आशंकायें केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर ही आधारित नहीं हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से धारा ३३ में दिये गये परित्राण वास्तविक नहीं हैं।

कहा गया है कि यद्यपि नियोजक सेवा की शर्तों में परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन स्थायी आदेशों के अनुसार ही कर सकता है। स्थायी आदेशों में तो नियोजकों को मनमानी कार्यवाही करने की बड़ी व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। एक स्थायी आदेश में अवचार के अन्तर्गत बिड़ी सिगरेट पीना और पान खाना तक रखा गया है। गैर-अनुमति प्राप्त कार्यों के लिये पैसे इकट्ठे करना भी अवचार है। और अवचार करने पर कामगार को निकाला भी जा सकता है, या उसके वेतन में कटौती की जा सकती है।

†**श्री आबिद अली :** उस संस्था का नाम क्या है ?

†**श्री तुषार चटर्जी :** वह शराब बनाने का एक कारखाना है।

†**श्री नी० श्रीकान्तन् नायर :** लगभग सभी स्थायी आदेशों में ऐसी ही व्यवस्था है, 'आदर्श' स्थायी आदेशों में भी।

†**श्री तुषार चटर्जी :** कम से कम बंगाल में तो सभी स्थायी आदेश इसी प्रकार के हैं।

स्थायी आदेशों में इन किसी भी शीर्षों के अन्तर्गत नियोजक को कार्यवाही करने से रोकने के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिये, स्थायी आदेशों का रहना कोई गारंटी नहीं है।

यह एक तर्क दिया जा सकता है कि सामान्य परिस्थिति में भी स्थायी आदेश लागू रहते ह और इसलिये उन पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन न्यायाधिकरण के समक्ष किसी मामले के विचाराधीन होने के समय कामगारों को हड़ताल के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, जिस साधन का सामान्य परिस्थिति में वे प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इन त्रुटिपूर्ण स्थायी आदेशों में भी, सामान्य परिस्थिति में स्वेच्छाचारी कार्यवाहियों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इस खंड में तो नियोजक को मामले के न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन होने के समय भी कामगारों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति दे दी गई है, और इसके लिये कोई परित्राण नहीं रखा गया है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि नियोजक को परिवर्तन करने का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन एक मास पूर्व नोटिस दे देने मात्र से ही तो वह कार्यवाही उचित नहीं हो जायेगी।

एक यह बात भी सुझाई गई है कि किसी कामगार को निकालने के लिये उसे एक माह का वेतन देना पड़ेगा, और यह भी कि नियोजक को ऐसी कार्यवाही को न्यायाधिकरण से अनुमोदित कराना पड़ेगा। काम से हटाये जाने से कामगार को जो कष्ट होगा, उसकी पूर्ति एक माह का वेतन नहीं कर सकता है। फिर, एक बार निकाल दिये जाने पर, जब उसका मामला न्यायाधिकरण में भेजा जायेगा और उसमें अधिक समय लगेगा, तो उस बीच वह कामगार क्या करेगा ? क्या वह बेरोज़गार बैठा रह सकता है ? क्या वह किसी दूसरी जगह काम की तलाश नहीं करेगा ? हो सकता है कि अधिक समय बाद जब न्यायाधिकरण उसके पक्ष में निर्णय दे, तो वह कहीं किसी दूसरे काम पर लग चुका हो।

दूसरी बात यह है कि नियोजक ही न्यायाधिकरण से अपनी कार्यवाही का अनुमोदन कराने के लिये प्रार्थना-पत्र देगा। उस मामले की सुनवाई भी इकतर्फा बिना उस कामगार की उपस्थिति के होगी। ऐसी स्थिति में अनुमोदन मिलने की ही अधिक सम्भावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री तुषार चटर्जी]

यह अच्छा है कि कार्मिक संघ के पदाधिकारियों को सुरक्षण दिया गया है। लेकिन साधारण कामगारों को भी यही अधिकार मिलना चाहिये। इससे तो कामगारों और कार्मिक संघ के पदाधिकारियों में विभाजन हो जायेगा और इससे केवल नियोजकों को ही लाभ होगा।

उपमंत्री का कहना है कि निकाले जाने पर एक माह का वेतन दिये जाने की व्यवस्था कामगारों के लिये बड़ ही लाभ की है। एक माह के वेतन के बदले नौकरी से हटाया जाना कोई लाभ नहीं कहा जा सकता। कामगारों को नियोजक की अवैध कार्यवाही को चुनौती देने का अधिकार होना चाहिये। इसलिये हम चाहते हैं कि धारा ३३ को उसी रूप में रखा जाये जिसमें कि वह अधिनियम में है।

यह परिवर्तन आवश्यक क्यों समझा गया ? कामगारों के काम करने की शर्तों में परिवर्तन करने के लिये नियोजक न्यायाधिकरण की शरण में भी तो जा सकता था। उसके लिये काफी समय पहले नोटिस दिया जाना चाहिये। लेकिन सरकार कामगारों को उनके अधिकारों से वंचित क्यों कर रही है ? यह तो नियोजकों के ही लाभ की व्यवस्था है। वे इसकी मांग भी कर रहे थे।

मेरा विचार है कि सरकार ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसलिये, इस संशोधन को वापिस ले लिया जाना चाहिये।

†**श्री सिंहासन सिंह :** इस प्रस्तावित धारा के अन्तर्गत संशोधित धारा के अन्तर्गत, मामले की कार्यवाही के विचाराधीन होने के दौरान में भी कामगारों को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है।

श्री तुषार चटर्जी ने यहां एक स्थायी आदेश से पढ़कर सुनाया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** निकाले जाने को विवाद से संबंधित नहीं करना चाहिये।

†**श्री सिंहासन सिंह :** उन में अवचार की परिभाषा इतनी व्यापक है कि किसी भी आचरण को अवचार कहा जा सकता है। इस प्रस्तावित संशोधन द्वारा धारा ३३ के अन्तर्गत दी गई गारंटी को हटाया जा रहा है।

इस में हम इस व्यवस्था को पर्यवेक्षक वर्ग पर भी लागू कर रहे हैं। एक ओर तो कामगारों को, जिनमें अधीक्षक वर्ग के व्यक्ति भी शामिल है, बड़े-बड़े लाभ पहुंचाए जा रहे हैं ; और दूसरी ओर विवाद के विचाराधीन होने के दौरान में, उपखंड (२) के अन्तर्गत उन्हें दण्ड दिये जा सकने की भी व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, नियोजक उस कामगार की सेवा की विवाद से असंबद्धित शर्तों में परिवर्तन भी कर सकता है। मामले की कार्यवाही के दौरान में ही नियोजक बड़ी आसानी से कामगारों की तमाम सुविधायें छीन सकता है।

पता नहीं उपखंड (२) के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। मज़दूरों को माननीय मंत्री से बड़ी-बड़ी आशायें थीं, लेकिन इस प्रस्तावित संशोधित धारा में तो उनसे वे भी अधिकार छीने जा रहे हैं जो उन्हें मूल धारा के अन्तर्गत मिले हुए थे। इसके परिणामस्वरूप श्रमिक न्यायाधिकरण में अपने विवाद भेजने से हिचकिचायेंगे। इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये और फिर से पूर्व-स्थिति को ही स्थापित किया जाना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मैंने संशोधन संख्या १०३, १०४ और ११० प्रस्तुत किये हैं। वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है। मैं इस सारी स्थिति को भारत के एक नागरिक के दृष्टिकोण से देखता हूं।

अवचार के लिये दंड देने की अनुमति मालिक को दी जानी चाहिये। लेकिन यदि वह कोई छोटा-मोटा अवचार है, तो उसे अवचार नहीं कहा जा सकता है। ऐसे मामलों के लिये मालिक को दण्ड देने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिये। अपराधिक प्रकार के अवचारों के लिये तो दण्ड देने की

---

†मूल अंग्रेजी में।

शक्ति मालिकों को होनी चाहिये। तोड़-फोड़ करने वाले मज़दूरों को निकालने की शक्ति भी दी जानी चाहिये। लेकिन निकाले जाने के लिये एक माह के वेतन का प्रतिकर पर्याप्त नहीं है।

मेरा विचार यह है कि ऐसे अवचारों के लिये, जिनके परिणामस्वरूप राष्ट्र की हानि होती हो, कोई भी छूट नहीं दी जानी चाहिये, लेकिन साधारण प्रकार के अवचार के लिये दूसरी ही व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं दो बातें और चाहता हूं। विवाद की सुनवाई के दौरान में कामगारों को मालिक द्वारा शिकार बनाये जाने से रोकने के लिये न्यायालय को इससे भी अधिक शक्तियां दी जानी चाहियें। उसमें तो, उसके प्रमाणित हो जाने पर न्यायालय को हर्जाना दिलाने की भी शक्ति दी जानी चाहिये। उसकी ठीक-ठीक दशा तो मालिक को कारावास दंड देना ही है। मुझे उससे कोई भी सहानुभूति नहीं है।

एक बात और भी। कहा गया है कि हड़ताल के दौरान में एक प्रतिशत कामगारों को सुरक्षा दी गई है। यदि इस एक प्रतिशत में से कोई कामगार शरारत करता है, तो मालिक को उसे बिना वेतन के निलम्बित करने की अनुमति दी जानी चाहिये। उसे वेतन तो दिया जाये पर उसे कारखाने में प्रवेश करने का अधिकार न हो।

इस प्रकार की एक व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे कि मज़दूर को अपनी नौकरी से हाथ न धोना पड़े। बाद में, यदि न्यायालय यह निर्णय करे कि वह कार्यवाही अनुचित थी, तो उसे पूरे समय का वेतन मिलना चाहिये। यदि उसे कारखाने में प्रवेश करने दिया जाता है, तो वह मालिक के विचारानुसार, तोड़-फोड़ कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि अन्त में उसका निकाला जाना न्यायपूर्ण ठहराया गया तो उसके वेतन का क्या होगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उस परिस्थिति में हमारे पास धारा २४ है, हम वैसी ही कोई व्यवस्था कर सकते हैं।

धारा ५ में न्याय करने की पूरी शक्ति न्यायालय को प्रदान की गई है ।

श्री वेंकटरामन् : आप मज़दूर से उसे फिर कैसे वसूल करेंगे ?

पंडित ठाकुरदास भार्गव : यह केवल एक प्रतिशत सुरक्षित कामगारों पर ही लागू होगी। चूंकि विधि ने यह सुरक्षा दी है, इसलिये उसे वापिस नहीं लिया जाना चाहिये। समझौता इस बात पर होना चाहिये कि उसे उस अवधि का वेतन तो मिले, लेकिन उसे कारखाने में प्रवेश करने का अधिकार न दिया जाये, क्योंकि उसके द्वारा की गई तोड़-फोड़ की कार्यवाही से सारे देश को हानि पहुंचने की सम्भावना हो सकती है।

श्री नम्बियार : यह एक बहुत ही विवादग्रस्त प्रश्न है। धारा ३३ बहुत ही सीधी है और उसमें अवैध रूप से सेवा मुक्त किये जाने या निकाले जाने के विरुद्ध मज़दूरों को सुरक्षा दी गई है। माननीय मंत्री अब उस सुरक्षा को भ्रामक बताते हैं और इस संशोधन द्वारा उन्हें पूरा-पूरा लाभ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन कैसे? उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में तो उन्होंने कहा है कि वे वर्तमान व्यवस्था को इसलिये बदलना चाहते हैं ताकि नियोजकों की यह शिकायत दूर हो जाये कि विवाद के विचाराधीन रहने के समय वे विवाद से असंबंधित अवचार और अनुशासनहीनता के मामलों के विरुद्ध भी कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। यहां यह स्पष्ट है कि वे नियोजकों के हित के लिये यह संशोधन कर रहे हैं। कामगारों को पूरा-पूरा लाभ पहुंचाने की बात इसके बिलकुल विपरीत है। माननीय मत्री इसका स्पष्टीकरण करें।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री नम्बियार]

फिर, माननीय मंत्री का कथन है कि कुछ कामगारों को सुरक्षा दी गई है। इससे तो, जैसा कि श्री तुषार चटर्जी बता चुके हैं, कामगारों में विभाजन होगा और कलह फैलेगी और नियोजकों को कार्मिक संघ के आगे बढ़े हुए कार्यकर्त्ताओं को शिकार बनाने में मदद मिलेगी। नियोजक जान बूझ कर आन्दोलनकारी कर्मचारियों को निकालते हैं। इसके अन्तर्गत तो नियोजकों को न्याय-निर्णयन के नाम पर हड़ताल के अधिकार से वंचित कामगारों को शिकार बनाने में अधिक आसानी रहेगी। इस संशोधन से न तो कर्मचारियों को लाभ ही पहुंचेगा और न द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में श्रमिकों और मालिकों के संबंध ही अच्छे बनेंगे। नियोजक यदि इस संशोधन का सहारा लेकर कामगारों को निकालेंगे तो फिर से हड़तालें आरम्भ हो जायेंगी ; उसके बाद आप चाहे जो भी कार्यवाही उसके विरुद्ध करते रहें।

यदि आप उत्पादन की वृद्धि और औद्योगिक संबंधों के सुधार की दृष्टि से इस संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको भारी निराशा ही हाथ लगेगी। इस विधान के एक प्रस्तावक श्री गिरि को भी इस बात पर विश्वास नहीं है कि मालिक अच्छा व्यवहार करेंगे। माननीय मंत्री कहते हैं कि यदि इस संशोधन से ठीक परिणाम न निकले, तो वे फिर से इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर देंगे। तब आप अभी ही कामगारों को उनके अधिकारों से वंचित क्यों करते हैं ?

मैं आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विचारों को जानता हूं। वे इससे सहमत नहीं है। परामर्शदात्री समिति का कोई सदस्य भी इसके पक्ष में नहीं है। सभी कार्मिक संघों के विरोध के बावजूद, माननीय मंत्री इस संशोधन पर क्यों जोर दे रहे हैं और इस प्रकार समिति को सौंपे बिना ही क्यों पारित किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि धारा ३३ के इस संशोधन को वापिस ले लिया जाये।

श्री राजा राम शास्त्री : सबसे पहले तो मैं यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार के दृष्टिकोण में और हम लोगों के दृष्टिकोण में इस मामले में बहुत बड़ा अन्तर है। हमारी समझ में नहीं आता कि इस दफा को रखने से किस तरह से मज़दूरों की रक्षा ज्यादा होगी। इस चीज़ को माननीय मंत्री जी ने समझाने की तो कोशिश की है लेकिन यह चीज़ हमारी समझ में तो नहीं आई। मैं चाहता कि आप हमें समझायें कि इस दफा (धारा) के रखने से किस तरह से उनकी ज्यादा रक्षा होगी बनिस्बत इसके कि जिस तरह से उनकी रक्षा आज हो रही है। मैं यह समझता हूं कि यह दफा (धारा) उनके हितों पर कुठाराघात करेगी और पहले से झगड़े ज्यादा बढ़ेंगे।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि उत्पादन हम लोगों को बढ़ाना चाहिये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हमें सफल बनाना चाहिये परन्तु जिस तरह आप यह क्लाज़ (खंड) रख रहे हैं उससे मैं समझता हूं आप इस ध्येय की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। आप देखेंगे कि जब कभी भी इस तरह से मज़दूर निकाले जायेंगे तो वे लड़ने लग जायेंगे जिसका नतीजा यह होगा कि शांति स्थापित होने के बजाय अशांति ही ज्यादा बढ़ेगी।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर वही बात होती जो कि मंत्री लोग कहते हैं कि इससे मज़दूरों की रक्षा ज्यादा होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मालिकों के पक्ष के लोग यहां पर अवश्य बैठे होते। उनको यहां पर बैठने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई क्योंकि उनको मालूम है कि इस क्लाज़ को उन्हीं की खातिर रखा गया है। आप यह भी देखिये कि चाहे मज़दूर क्षेत्रों में काम करने वालों की संख्या कम ही है लेकिन उनमें से भी काफी लोग यहां पर बैठे हुए हैं और वे सब यह समझते हैं कि इससे मज़दूरों का नुकसान ही होने वाला है। मालिक लोग यह जानते हैं कि जो कुछ उन्हें चाहिये उनको वह मिल रहा है। अब आप देखिये कि इस दफा के पास हो जाने के बाद क्या होने वाला है। हर एक जगह के मालिक मज़दूरों से यह कहेंगे कि तुम्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि भारत की सावरेन पार्लियामेंट (सम्पूर्ण प्रभुत्व-

†मूल अंग्रेजी में ।

सम्पन्न संसद) ने हमको यह सावरेन अधिकार प्रदान किया है कि अगर तुम ने कभी बदमाशी की और अगर न भी की लेकिन अगर हमने समझा कि तुमने की है तो तुम निकाल दिये जाओगे। पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा कि अगर कोई मज़दूर हत्या करने के लिये तैयार हो जाता है तो उस मज़दूर को क्यों न निकाल बाहर किया जाये। हम लोगों ने जिन्होंने मज़दूर क्षेत्रों में काम किया है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अकसर मालिकों की तरफ से ही मारपीट होती है और बहुत ही कम केसिज़ में मज़दूरों की तरफ से किसी प्रकार की ज्यादती होती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मालिकों को मज़दूरों के प्रति कोई शिकायत हो सकती है उसी तरह से मज़दूरों को भी मालिकों के प्रति शिकायत हो सकती है। इस वास्ते जहां मालिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी शिकायत आथोरिटीज़ (प्राधिकारियों) के सामने कर सकते हैं उसी तरह से मज़दूरों को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वें भी आथोरिटीज़ (प्राधिकारियों) के सामने जा कर अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। जब यह अधिकार आप मालिकों को देते हैं तो इसे मज़दूरों को भी दीजिये। दोनों को यह अधिकार होना चाहिये और इसी चीज़ को दृष्टि में रखते हुए मैंने एक संशोधन पेश किया है और मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री जी उसको मान लेंगे।

यह बात भी मेरी समझ में नहीं आई कि मालिक अगर नोटिस देता है तो क्यों उसकी एप्रूवल (अनुमति) के लिये ही वह एप्लीकेशन (आवेदन पत्र) दे। मैं समझता हूं कि उसकी एप्लीकेशन एप्रूव भी हो सकती है और डिसएप्रूव भी। इस वास्ते जो संशोधन मैंने पेश किया है उस में मैंने यह कहा कि एप्रूवल (अनुमति) के साथ साथ डिसएप्रूवल (अस्वीकृति) का शब्द भी होना चाहिये। जहां आपने मालिक को अधिकार दिया है कि वह शिकायत कर सकता है वहां पर मज़दूर को भी यह हक़ हासिल होना चाहिये कि जहां पर झगड़े तय होते हैं वहां दोनों ओर के नुमाइन्दों को बुलाया जाए, दोनों की बात को सुना जाये और दोनों को सुनने के बाद ही फैसला दिया जाये। मैं समझता हूं कि अगर यह दफा इसके अन्दर न होती और जो अधिकार अब तक मज़दूरों को प्राप्त हैं वे उनके पास रहने दिये जाते तो यह एक खुशी की बात होती। लेकिन अब इस दफा के यहां रहने से, मैं समझता हूं, जितने भी हक़ अब तक मज़दूरों को मिले हुए हैं, उनसे कई गुना ज्यादा उनसे छीने जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइये कि जिस वक्त पर कोई मालिक अपने यहां के ट्रेड यूनियन वर्कर (कार्मिक संघ कार्यकर्त्ता) को निकालेगा और मज़दूर इसकी मुखालिफत करेंगे तो क्या होगा। हड़ताल मज़दूर कर नहीं सकेंगे क्योंकि उसे आप गैर कानूनी करार दे देंगे, अदालत में वह जा नहीं सकेगा क्योंकि इस चीज की इज़ाज़त देना आपके हाथ में है और कोई दूसरी चीज वह कर नहीं सकेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या करेगा? ऐसी दशा में क्या आप यह समझते हैं कि शांति कायम रह सकेगी और यदि रह सकेगी तो कैसे? मेरा अपना विचार तो यह है कि इस दफा के रहते किसी सूरत में भी शांति कायम नहीं रह सकती है। इस चीज को मज़दूर नहीं मानेगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि दोनों मंत्री जो कि बैठे हुए हैं इस दफा को कायम रखने की ज़िद्द न करें। उनको चाहिये कि वे हमारी बात को भी सुनें और साथ साथ मालिकों की बात को भी सुनें और जो दुरुस्त बात हो वही करें। हम लोग जानते हैं कि मालिक किस तरह से काम करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मालिकों की तरफ से काफी सख्ती होती है और इस दफा के पास होने के बाद और भी सख्ती उनकी तरफ से होगी। मैं सदन के तमाम माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि अगर वे हमको कुछ और नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो करें कि दफा ३३ जिस तरह से है उसको वैसे ही बना रहने दें। मज़दूरों की रक्षा होने के बजाय उनका गला घोंटने की ही कोशिश मालिकों की तरफ से होगी। इस वास्ते यह जो दफा २२ है इसकी मैं सख्त मुखालिफत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वे इस दफा (धारा) की मुखालिफत करें और इस दफा को न रहने दें।

†**श्री वेंकटरामन्** : पिछले विधेयक में धारा ३३ और ३३ क मुख्यतः मेरे अनुरोध पर ही पुरः-स्थापित की गई थी। यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप कुछ उपबन्ध कम हो गये हैं किन्तु इसमें आशंकित हो जाना उचित नहीं है। इससे मज़दूर जगत में यह धारणा फैलने की संभावना है कि

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वेंकटरामन्]

कर्मचारी पूर्णरूपेण मालिकों की इच्छा पर छोड़ दिये गये हैं। मैं खेदपूर्वक कह दं कि मालिक धारा ३३ पर आश्रित हो गये हैं। उन्होंने बिना वेतन दिये श्रमिकों को निकालना आरम्भ कर दिया। वह श्रमिक को निलम्बित कर देते हैं और कहते हैं कि यह न बर्खास्तगी है और न ही अन्यथा कार्य है। उनका मत है कि यह कार्य सर्वथा कानून के अन्तर्गत है। मैं १९५०-१९५२ के समय की त्रिदलीय वार्ता की चर्चा कर रहा हूं, श्रमिक इस बात के लिये उत्सुक थे कि उन्हें कुछ मौद्रिक अदायगी हो तथा 'निलम्बन' भी परिभाषा के अन्तर्गत रखा जाये।

वह उस समझौते की पृष्ठभूमि है। यह श्रमिकों पर थोपा नहीं गया है। उनका कथन है कि जब उनका मामला न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो तो उन्हें कुछ प्रतिकर दिया जाये और अन्तोगत्वा वह एक महीने के लिये रजामन्द हो गये।

मेरा निवेदन है कि यदि सरकार न्यायाधिकरण को इस प्रकार के निर्देश दे कि इस खंड के अधीन ऐसे सभी प्रार्थना पत्रों का निबटारा कर दिया जायेगा तो भय की कोई बात नहीं रहेगी।

जो संशोधन किया गया है उसके अन्तर्गत प्रत्येक जागृत एवं सतर्क श्रमिक अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है और स्थायी आदेश में उपयुक्त संशोधन करा सकता है। प्रमाणकर्ता पदाधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि वह स्थायी आदेशों की उपयुक्तता पर विचार करें और परिवर्तन की सूचना से सम्बन्धित खंड कुछ संरक्षण देता है।

मैं यह नहीं कहता कि इसके अन्तर्गत सब कुछ आ गया है किन्तु इस प्रकार की भयपूर्ण अभिव्यक्ति की लेशमात्र आवश्यकता नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हम तो संविहित आदेश चाहते हैं।

†**श्री वेंकटरामन् :** यदि उस का प्रबन्ध एक महीने में न हो सका तो वैधिक रूप से कोई कार्यवाही न की जा सकेगी। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस विषय में हमें आश्वासन दे।

†**श्री आबिद अली :** जब मैं वर्तमान स्थिति, जैसी कि वह अधिनियम में नहीं बल्कि व्यवहार में थी, बता रहा था उस समय मुझे इस बात से परेशानी हुई कि विरोधी दल के सदस्य इस विशेष खंड की तुलना, जैसी स्थिति अधिनियम में दी गई है, के साथ कर रहे थे। मुझे यह देखकर संतोष हुआ कि श्री वेंकटरामन के सुझाव पर विरोधी दल के सदस्य सहमत हुए हैं। हम यह आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि ऐसे मामले जल्दी निबटाये जायेंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हम संविहित उपबन्ध चाहते हैं।

†**श्री आबिद अली :** हम 'एक महीना' शब्द रख सकते हैं किन्तु उससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि मामला तय न हुआ तो क्या स्थिति होगी ? विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि अदालत समय बढ़ा सकती है। तो फिर ऐसे उपबन्ध से क्या लाभ होगा। अदालत को हम यह हिदायत कर सकते हैं कि मामला जल्दी निबटाया जाये। जब माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं तो मुझे भी संतोष है। (**एक माननीय सदस्य** : नहीं, बिलकुल नहीं।) हम तो खुद यह चाहते हैं कि मामले जल्दी निबटाये जायें। त्रिसूत्री प्रणाली के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि विभिन्न मामले श्रम-न्यायालय द्वारा तय किये जायें। हमारी इच्छा है कि जिन मज़दूरों को भी निकाला जाये उन्हें एक महीने की मजूरी पहले दी जाये किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उसे निकालने की यह एक क्षतिपूर्ति है। किसी मज़दूर को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसने ऐसा कोई काम न किया हो। हम यह भी चाहते हैं कि दो महीने के भीतर ही मज़दूर का मामला तय किया जाये। पहले महीने की उसे मजूरी मिलेगी, दूसरे महीने की उसे निलम्बन क्षति पूर्ति मिलेगी और तीसरे महीने में अदालत उसके मामले का फैसला कर देगी। यदि उसे फिर से नियुक्त किया गया तो उसे इन दिनों की विश्राम वृत्ति

---

†मूल अंग्रेजी में।

मिलेगी और यदि वह काम नहीं करना चाहता है तो उसे अलग कर दिया जायेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस के साथ कोई अन्याय नहीं किया जायेगा। वर्तमान स्थिति यह है कि कार्यवाही की अवधि में अनेक मज़दूरों को अलग कर दिया जाता है और वे न्यायालय की शरण लेते हैं। कभी-कभी दो तीन वर्ष लग जाते हैं और उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाती। मूल न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद अपील भी की जा सकती है।

†**श्री नम्बियार** : हम चाहते हैं कि मामले का निर्णय जल्दी हो। जहां तक मामले को जल्दी तय करने का प्रश्न है उस में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चर्चा में काल का और अन्य घटनाओं का उल्लेख किया गया है किन्तु मैं एक बार फिर यह बताना चाहता हूं कि जब हड़ताल करने वाले विधि के अधीन रहते हैं, उन्हें कोई हानी नहीं पंहुच सकती। यदि वे मारधाड़ करने लगें तो बात दूसरी है।

इस प्रकार प्रस्तुत संशोधन से मज़दूरों की स्थिति कहीं अच्छी हो जायेगी। साथ ही सरकार ऐसे मज़दूरों की पूरी-पूरी सहायता करने को तैयार है जिनपर श्रम संघ के कोई अनुचित कार्यों का आरोप लगा कर अत्याचार किया गया हो। इस बात के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। यदि विवाद की बात हो तो वे न्यायालय का आश्रय ले सकते हैं और यदि विवाद से सम्बन्ध न हो उसे न्याय-निर्णयन के लिये सौंपा जा सकता है। इसलिये इस बात पर क्रोध प्रदर्शित करना कि मज़दूरों का हनन हो रहा है ठीक नहीं है। इस संशोधक विधेयक से उनकी स्थिति कहीं अच्छी हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४२ मतदान के लिये रखा गया।

मत विभाजन हुआ { **पक्ष में २४**
विपक्ष में ६०

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अन्य संशोधनों पर आग्रह नहीं किया गया है इसलिये वे सभा की अनुमति से वापिस लिये समझे जायेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड २२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड २४—(नवीन धारा ३३ ख तथा ३३ ग का रखा जाना)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १५, पंक्ति १३ से २१ के स्थान पर निम्न रखा जाये:—

"33 B. *Power to transfer certain proceedings.*— (1) The appropriate, Government may, by order in writing and for reasons to be stated therein, withdraw any proceeding under this Act pending before a Labour Count, Tribunal, or National Tribunal and transfer the same to another Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, for the disposal of the proceeding and the Labour Court, Tribunal or National Tribunal to which the proceeding is so transferred may subject to special directions in the order of transfer, proceed either *de novo* or from the stage at which it was so transferred:

---

†मूल अंग्रेजी में।

[अध्यक्ष महोदय]

Provided that where a proceeding under section 33 or section 33 A is pending before a Tribunal or National Tribunal, the proceeding may also be transferred to a Labour Court.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), any Tribunal or National Tribunal, if so authorised by the appropriate Government, may transfer any proceeding under section 33 or Section 33A pending before it to any one of the Labour Courts specified for the disposal of such proceeding by the appropriate Government by notification in the official Gazette and the Labour Court to which the proceeding is so transferred shall dispose of the same."

"३३ ख कतिपय मामलों के हस्तान्तरण की शक्ति.— (१) समुचित सरकार, लिखित रूप में आदेश द्वारा और उसमें व्यक्त किये जाने वाले कारणों के आधार पर श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन कोई कार्यवाही वापस ले सकती है और कार्यवाही को निबटान के लिये इसे किसी अन्य श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण से हस्तान्तरित कर सकती है तथा जिस श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण से उक्त कार्यवाही इस प्रकार हस्तान्तरित की गई है वह हस्तान्तरण के आदेश में उल्लिखित किसी विशिष्ट निर्देश के अधीन, इस मामले पर या तो नये सिरे से अथवा जिस अवस्था में यह हस्तान्तरित किया गया है वहां से आगे कार्यवाही कर सकता है।

परन्तु यह कि जहां कार्यवाही न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष धारा ३३ अथवा धारा ३३ क के अधीन विचाराधीन हैं तो कार्यवाही श्रम न्यायालय को भी हस्तान्तरिता की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव बिना, कोई न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, यदि समुचित सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कर दिये गये हैं तो धारा ३३ अथवा ३३ क के अधीन इसके समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही को किसी एक ऐसे श्रम न्यायालय को हस्तान्तरित कर सकती है जोकि ऐसे मामलों को निबटाने के लिये समुचित सरकार द्वारा शासकीय गजट में एक अधिसूचना द्वारा विशिष्ट रूप से निश्चित किये गये हों तथा जिस श्रम न्यायालय को यह कार्यवाही हस्तान्तरित की गई है वह इसका निबटारा करेगा।

पृष्ठ १५, पंक्ति २९ में "and proceed" (तथा कार्यवाही करेगा) शब्दों के स्थान पर "the collector who shall proceed" (जिलाधीश को, जो कार्यवाही करेगा) शब्द रखे जायें।

—[श्री खंडूभाई देसाई]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५७ मतदान के लिये सभा के समक्ष रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"खंड २५ विधेयक का अंग बने।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नवीन खण्ड २५ क

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १६ में पंक्ति ९ के पश्चात यह रखा जाये :—

"25A. *Insertion of new section* 36A.— After section 36 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"36A. *Power to remove difficulties*—(1) If, in the opinion of the appropriate Government, any difficulty or doubt arises as to the interpretation of any provision of an award or settlement, it may refer the question to such Labour Court, Tribunal or National Tribunal as it may think fit.

(2) The Labour Court, Tribunal or National Tribunal to which such question is referred shall, after giving the parties an opportunity of being heard, decide such question and its decision shall be final and binding on all such parties."

["२५ क, नई धारा ३६ क का रखा जाना—

मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

"३६क, कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(१) यदि समुचित सरकार की सम्मति में पंचाट अथवा समझौता के किसी उपसंध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई अथवा शंका उत्पन्न हो तो ऐसे प्रश्न को वह ऐसे श्रम-न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर सकती है, जिसे यह उचित समझे ।

(२) श्रम-न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जिसे इस प्रकार का प्रश्न निर्दिष्ट किया गया हो, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, प्रश्न का निर्णय करेगा तथा यह निर्णय आन्तर्य एवं पक्षों के लिये मान्य होगा ।"]

—[श्री खण्डूभाई देसाई]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि नवीन खंड २५ क विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नवीन खण्ड २५ क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २६—(धारा ३२ का संशोधन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ१६, पंक्ति २१ के पश्चात् यह रखा जाये :—

"(aaa) the appointment of assessors in proceedings under this act."

[(ककक) इस अधिनियम के अधीन होने वाली कार्यवाही में असेसरों की नियुक्ति]

—[श्री खण्डूभाई देसाई]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २६ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २८—(नवीन खण्ड ४० का रखा जाना)

संशोधन किया गया :

(१)पृष्ठ १७, पंक्ति १६ में :

"appropriate" [उपयुक्त] शब्द के स्थान पर "central" [केन्द्रीय] शब्द रखा जाये ।

(२) पृष्ठ १७, पंक्ति २१ के अन्त में यह जोड़ा जाये :—

"and every such notification shall, as soon as possible after it is issued, be laid before both the Houses of Parliament"

["तथा इस प्रकार की प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखी जायेगी"]

—[श्री खण्डूभाई देसाई]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि खंड २८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २९—(अनुसूची के स्थान पर नवीन अनुसूची का रखा जाना)

संशोधन किये गये :

पृष्ठ १७, पंक्ति २९ के पश्चात रखा जाये :—

"1 A	Banking"
"1 B	Cement"
["१ क	बैंकिंग
१ख	सीमेंट"]

(२) पृष्ठ १८, पंक्ति ३ में "Jurisdiction" [क्षेत्राधिकार] शब्द के स्थान पर "Matters within the jurisdiction" [क्षेत्राधिकार के अधीन मामले] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ १८, पंक्ति ७ में "employees" [कर्मचारी] शब्द के स्थान पर "workmen" [कामगार] शब्द रखा जाये ।

(४) पृष्ठ १८, पंक्ति ८ में "a person" [व्यक्ति] शब्द के स्थान पर "workman" [कामगार] शब्द रखा जाये ।

(५) पृष्ठ १८, पंक्ति १४ में "Jurisdiction" [क्षेत्राधिकार] शब्द के स्थान पर "Matters within the jurisdiction" [क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मामले] शब्द रखे जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(६) पृष्ठ १८, पंक्ति २९ के स्थान पर रखा जाये :—

"Conditions of service for change of which notice is to be given."

(सेवा की शर्तें, जिनके परिवर्तन के लिये पूर्व सूचना दी जायेगी)

(७) पृष्ठ १८, पंक्ति ३२ में "employees" [कर्मचारी] शब्द के स्थान पर "workmen" [कामगार] शब्द रखा जाये ।

(८) पृष्ठ १९, पंक्ति ९ में "employe es" [कर्मचारी] शब्द के स्थान पर "workmen" [कामगार] शब्द रखा जाये ।

—[श्री खण्डूभाई देसाई]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २९ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३०—(न्यायाधिकरण के समक्ष निलम्बित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में परित्राण)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १९, पंक्ति १८ में "the said act as amended by" [द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम] शब्द हटा दिये जायें ।

—[श्री खण्डूभाई देसाई]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड ३०, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३० संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३१ विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३२ (१९४६ के अधिनियम २० का संशोधन)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १९ में पंक्ति ३१ के बाद यह रखा जाये :

(1)

' (a) in section 2, for clause (i), the following shall be substituted,—

(i) 'workman' means any person (including an apprentice) employed in any industrial establishment to do any skilled or unskilled, manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward whether the terms of employment be express or implied but does not include any such person—

(i) who is subject to the Army Act, 1950, or the Air Force Act, 1950 or the Navy (Discipline) Act, 1934, or

(ii) who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison, or

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

(iii) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(iv) who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding five hundred rupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature."

(ii) line 32, *for* "(a)" *substitute* "(aa)"

[(१) पंक्ति ३१ के बाद यह रखा जाये—

(१) श्रमिक शब्द का अर्थ है किसी औद्योगिक संस्थापन में पारिश्रमिक अथवा पुरस्कार हेतु कुशल अथवा अकुशल श्रम, पर्यवेक्षण कार्य, टेकनीकल अथवा क्लर्की संबंधी कार्य में नियोजित कोई व्यक्ति (जिसमें प्रशिक्षणार्थी भी सम्मिलित है) भले ही नियोजन की शर्तें स्पष्ट हों, अथवा निहित, किन्तु उसमें ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है :

(१) जो सेना अधिनियम, १९५० अथवा विमान बल अधिनियम, १९५०, या नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, १९३४ के अधीन है, अथवा

(२) जो पुलिस सेवा में नियोजित है, अथवा जेल का पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी है, अथवा

(३) जो मुख्यत: प्रबन्धकीय अथवा प्रशासनिक पद पर नियोजित है, अथवा

(४) जो पर्यवेक्षी पद पर नियोजित होते हुए पांच सौ रुपये मासिक से अधिक वेतन प्राप्त करता है अथवा पद से सम्बद्ध काम के स्वरूप के आधार पर या उसमें निहित शक्तियों के बल पर, मुख्यत: प्रबन्धकीय स्वरूप का कार्य करता है ।

(२) पंक्ति ३२, "(क)" के स्थान पर "(कक)" रखा जाये ।

—[श्री खण्डूभाई देसाई]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३२, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३२ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३३—(१९५० के अधिनियम ४८ का निरसन तथा बचत)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २०, पंक्ति ३१ से ३९ के स्थान पर यह रखा जाये :—

"(2) Notwithstanding such repeal—

(a) if, immediately before the commencement of this section, there is any appeal or other proceeding pending before the Appellate Tribunal constituted under the said Act, the appeal or other proceeding shall be decided and disposed of by the Appellate Tribunal as if the said Act had not been repealed by this Act;

†मूल अंग्रेजी में ।

(b) the provisions of sections 22, 23, 23A of the said Act shall, in relation to any proceeding pending before the Appellate Tribunal, be deemed to be continuing in force;

(c) any proceeding transferred to an industrial tribunal under section 23A shall be disposed of under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947,

and save as aforesaid, no appeal or other proceeding shall be entertained by the Appellate Tribunal after the commencement of this section, and every decision or order of the Appellate Tribunal, pronounced or made, before or after the commencement of this section shall be enforced in accordance with the provisions of the said Act ".

[(२) इस प्रकार के निरसन के होते हुए भी--

(क) यदि इस धारा के आरम्भ होने के तुरन्त पूर्व, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कोई अपील अथवा अन्य कार्यवाही का निर्णय एवं निबटारा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस रूप में किया जायेगा मानो उक्त अधिनियम इस अधिनियम द्वारा निरसित नहीं किया गया;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा २२, २३ और २३क के उपबन्धों का प्रवर्तन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में, जारी समझा जायेगा ;

(ग) धारा २३क के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण से हस्तान्तरित किसी कार्यवाही का निबटारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा,

और जैसा ऊपर बताया गया है उसके अतिरिक्त, उस धारा के आरम्भ होने के पश्चात अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी अपील अथवा अन्य कार्यवाही की सुनवाई नहीं की जायेगी और इस धारा के आरम्भ होने के पहले अथवा बाद में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा घोषित तथा किया गया प्रत्येक निर्णय पर आदेश उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार लागू किया जायेगा ।]

—[श्री खण्डूभाई देसाई]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ३३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में '1955' (१९५५) शब्द के स्थान पर '1956'(१९५६) रखा जाये।

—[श्री खण्डूभाई देसाई]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुवा ।

खण्ड १ संशोधित रूपमें विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में 'sixth year' [छठे वर्ष] शब्द के स्थान पर 'seventh year' [सातवें वर्ष] शब्द रखे जायें ।

—[श्री खण्डूभाई देसाई]

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री खंडूभाई देसाई :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात लोक-सभा बुधवार, २५ जुलाई, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६] पृष्ठ

स्थगन-प्रस्ताव २०९–१०

रेलवे उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने डा० लंका सुन्दरम् और श्री अ० क० गोपालन को विशाखपटनम् बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक और पत्तन श्रमिक संघ की ओर से हड़ताल का नोटिस दिये जाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१०–११

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई :—

(१) एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन १९५४-५५ का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन ।

(२) इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन १९५४–५५ का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन ।

(२) सूचना तथा प्रसार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५१९, दिनांक २८ जून, १९५६ में प्रकाशित समाचार पत्र तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ की धारा २०-क की उपधारा (२) के अन्तर्गत समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) नियम की एक प्रति ।

(३) विधि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३४९, दिनांक ११ जून, १९५६ में प्रकाशित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अधीन लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन नामावली की तैयारी) की एक प्रति ।

(४) द्वितीय पंच वर्षीय योजना (भूमि सुधार तथा कृषि जिसमें पशुपालन सम्मिलित है) से सम्बन्धित समिति "सी" की कार्यवाही की रूप रेखा सहित कार्यवाही की एक प्रति ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन "स्वीकृत" २११–१३

कार्यमंत्रणा समिति का १८ जुलाई, १९५६ को लोक-सभा में उपस्थापित अड़तीसवां प्रतिवेदन सभा द्वारा स्वीकृत किया गया ।

विधेयक पारित २१३–७६

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक पर और आगे विचार जारी रहा तथा विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

बुधवार, २५ जुलाई, १९५६ के लिये कार्यावलि—

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा ।

भा० स० मु० ना०—वि ३-१९६ लोक-सभा १७-७-५७-१९०